सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का

झारखण्ड में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के कार्यान्वयन पर प्रतिवेदन

31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

झारखण्ड सरकार

वर्ष 2022 की प्रतिवेदन संख्या 3

(निष्पादन लेखापरीक्षा)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का

झारखण्ड में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के कार्यान्वयन पर प्रतिवेदन

31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

झारखण्ड सरकार

वर्ष 2022 की प्रतिवेदन संख्या 3

(निष्पादन लेखापरीक्षा)

विषय सूची

		संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ संख्या
प्राक्कथन			iii
झारखण्ड में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा			
कार्यकारी सारांश			1
अध्याय 1	परिचय		7
अध्याय 2	नियोजन		13
अध्याय 3	ग्राम एवं गृह विद्युतीकरण		23
अध्याय 4	फीडरों का पृथक्करण		41
अध्याय 5	उप-संचरण एवं वितरण संरचना का सुदृढ़ीकरण		45
अध्याय 6	वित्तीय प्रबंधन		57
अध्याय 7	संविदा प्रबंधन		65
अध्याय 8	अनुश्रवण		83
अध्याय 9	अनुशंसाएँ		87
परिशिष्टियाँ			
I	ग्रामीण उपभोक्ताओं से संग्रहण निपुणता का विवरण	3.2.8	91
II	समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक ह्रास (एटीसी) को दर्शाती विवरणी	3.2.9	92
III	विद्युत उप-केन्द्रों (पीएसएस) के संवर्धन और उसके विरुद्ध उपलब्धि का विवरण	5.2	93
IV	वितरण ट्रांसफार्मर की अधिक अधिष्ठापन को दर्शाती विवरणी	5.4	94
V	एचटी/एलटी लाइन के संगत एचटी/एलटी पीसीसी पोलों के अधिष्ठापन का विवरण	5.5 व 5.6	95
VI	जेएसबीएवाई कार्य-क्षेत्र के सापेक्ष उपलब्धि	5.8	96
VII	डीडीयुजीजेवाई के अंतर्गत आरईसी को ऋण-घटक पर उच्चतर दर से ब्याज का भुगतान	6.4	97
VIII	आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना) के अंतर्गत बोकारो, धनबाद एवं गिरिडीह में एनविल केबल्स एवं शिखा इलेक्ट्रिकल के संयुक्त उद्यम द्वारा	7.1.1	103

	समर्पित तकनीकी मानदंडों के संगत न्यूनतम तकनीकी मानदंड को दर्शाती विवरणी		
IX	साहिबगंज जिले के सन्दर्भ में आईएलएफएस के द्वारा समर्पित तकनीकी मानदंडों के संगत न्यूनतम तकनीकी मानदंड को दर्शाती विवरणी	7.1.2	104
X	पश्चिमी सिंहभूम तथा पूर्वी सिंहभूम जिले के सन्दर्भ में आईएलएफएस के द्वारा समर्पित तकनीकी मानदंडों के संगत न्यूनतम तकनीकी मानदंड को दर्शाती विवरणी	7.1.2	105
XI	पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, साहिबगंज तथा पाकुड़ पैकेजों में मूल्य-वृद्धि को दर्शाती विवरणी	7.2	106
XII	सौभाग्या के कार्य-क्षेत्र के संगत उपलब्धि	7.3	107
XIII	जेएसबीएवाई के कार्य-क्षेत्र के संगत उपलब्धि	7.4.2	108

प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु झारखण्ड के राज्यपाल को समर्पित करने के लिए तैयार की गई है।

राज्य में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के कार्यान्वयन का आकलन करने के उद्देश्य से 2014-15 से 2019-20 की अवधि को आच्छादित करते हुए 2019-20 में झारखण्ड में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के कार्यान्वयन पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा की गई।

प्रतिवेदन भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के निष्पादन लेखापरीक्षा निर्देशिका तथा लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियमों के अनुरूप तैयार की गई है।

कार्यकारी सारांश

प्रतिवेदन के बारे में:

भारत के अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की उपलब्धता अपर्याप्त एवं अविश्वासपूर्ण है। भारत सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारें भी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत उपलब्धता में विद्यमान कमी के उन्मूलन के उद्देश्य से कई ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं का कार्यान्वयन करती रही हैं।

राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत XII पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य तथा उसकी प्राप्ति हेतु आरजीजीवीवाई को एक पृथक संघटक के रूप में समाहित करते हुए भारत सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयुजीजेवाई) लागू (दिसंबर 2014) की।

पुनः आखिरी मील तक विद्युत-संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों के सभी अविद्युतीकृत घरों तथा शहरी क्षेत्र के शेष सभी आर्थिक रूप से कमजोर अविद्युतीकृत घरों को विद्युत-संबंध प्रदान करने हेतु भारत सरकार ने प्रधानमंत्री हर घर बिजली योजना (सौभाग्या) की शुरूआत की (अक्टूबर 2017)।

झारखण्ड सरकार ने गरीबी रेखा से उपर (एपीएल) के ग्रामीण लाभुकों को निःशुल्क विद्युत-संबंध उपलब्ध कराने हेतु अप्रैल 2015 में अटल ग्राम ज्योति योजना (एजीजेवाई) तथा ग्रामीण लाभुकों को कृषि पम्पों के लिए निःशुल्क विद्युत-संबंध उपलब्ध कराने के लिए अप्रैल 2015 में तिलका मांझी कृषि पम्प योजना (टीएमकेपीवाई) लागू की। विद्युत शक्ति उपकेंद्रों (पीएसएस) एवं संलग्न लाइनों के निर्माण तथा कृषि विद्युत-संबंध सहित सभी वंचित घरों में विद्युत-संबंधों के अलावा सभी स्तरों पर मीटरीकरण हेतु झारखण्ड सरकार ने झारखण्ड सम्पूर्ण बिजली आच्छादन योजना (जेएसबीएवाई) भी लागू की (मार्च 2017)।

इसी पृष्ठभूमि में राज्य में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के कार्यान्वयन का आकलन करने के उद्देश्य से 2015-20 की अवधि को आच्छादित करते हुए 2019-20 में झारखण्ड में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के कार्यान्वयन पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा की गई।

इस लेखापरीक्षा के अंतर्गत क्या शामिल किया गया है?

इस निष्पादन लेखापरीक्षा में हमने राज्य में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के कार्यान्वयन को ध्यान केंद्रित किया। विभिन्न ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के उद्देश्यों की प्राप्ति का आकलन चयनित जिलों में पूर्वनिर्धारित मानदंडों तथा नियोजन, ग्राम एवं गृह विद्युतीकरण, फीडरों के पृथक्करण, उप-संचरण एवं वितरण संरचना के सुदृढ़ीकरण, वित्तीय प्रबंधन, संविदा प्रबंधन और अनुश्रवण जैसे विषयों के अंतर्गत किया गया।

हमने क्या पाया तथा हमारी अनुशंसाएँ क्या हैं?

राज्य में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के कार्यान्वयन में हमने उन्नयन के महत्वपूर्ण क्षेत्र पाए जैसा कि नीचे प्रकाश डाला गया है:

नियोजन

- झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) ने उपभोक्ता डाटाबेस के अलावा ग्रामीण विद्युतीकरण की स्थिति से संबंधित डाटाबेस का संधारण नहीं किया। नमूना-जाँचित सात जिलों में विद्युतीकरण कार्य शुरु करने से पूर्व किये गए फील्ड सर्वेक्षण में टर्न-की संवेदक (टीकेसी) ने पाया कि डीपीआर में 260 विद्युतीकृत एवं 678 अविद्यमान ग्रामों को शामिल किया गया था।

- चतरा, गढ़वा, लातेहार और पलामू में आरजीजीवीवाई (X पंचवर्षीय योजना) के अपूर्ण रहने, जेबीवीएनएल के द्वारा दुमका और पश्चिमी सिंहभूम में बचे हुए बीपीएल घरों के विद्युतीकरण का मुद्दा नहीं उठाने तथा सिमडेगा जिला के डीपीआर को अपलोड नहीं करने के कारण जेबीवीएनएल भारत सरकार के ₹ 182.68 करोड़ के अनुदान से वंचित रहा।

जेबीवीएनएल को परिसम्पतियों के डेटाबेस का निर्माण एवं रखरखाव हेतु ग्रामों तथा अन्य क्षेत्रों के भौतिक सर्वेक्षण के साथ-साथ आधुनिक तकनीक आधारित जीआईएस प्रणाली को अंगीकार करने का प्रयास करना चाहिए जिससे परियोजना निरूपण एवं नियत समय में कार्य पूर्ण करने में वे सक्षम हों।

ग्राम एवं गृह विद्युतीकरण

- यद्यपि, नमूना-जांचित सात जिलों में पूर्ण विद्युतीकरण के लक्ष्य जुलाई 2019 से दिसम्बर 2019 की अवधि में ही निर्धारित कर दिए गए थे, डीडीयुजीजेवाई के अंतर्गत 7,925 ग्रामों में से चयनित 819 (10 प्रतिशत) ग्रामों का विद्युतीकरण मार्च 2020 तक भी पूर्ण नहीं हो पाया। इसके अतिरिक्त, विभिन्न योजनागत बाधाओं के कारण आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना) एवं डीडीयुजीजेवाई के अंतर्गत मार्च 2020 तक क्रमशः 1,15,629 में से 23,951 (21 प्रतिशत) विद्युत-संबंध तथा 2,15,605 में से 68,417 (32 प्रतिशत) विद्युत-संबंध प्रदान नहीं किए जा सके।

- एजीजेवाई को 3.64 लाख एपीएल घरों के लक्ष्य के विरुद्ध 1.86 लाख एपीएल घरों को निःशुल्क विद्युत-संबंध प्रदान करने के उपरांत समय से पहले बंद कर दिया गया क्योंकि जेबीवीएनएल टर्न-की संवेदकों (टीकेसी) को लाभुकों की सूची उपलब्ध नहीं करा पायी।

- डीडीयुजीजेवाई के अंतर्गत 56,954 एपीएल विद्युत-संबंध नियम विरुद्ध निःशुल्क निर्गत करने के कारण जेबीवीएनएल ने ₹ 15.85 करोड़ का परिहार्य व्यय किया।

- सौभाग्या के अंतर्गत नमूना-जांचित सात जिलों में 4,06,196 विद्युत-संबंध प्रदान करने के कार्यादेश के विरुद्ध 2,84,485 विद्युत-संबंध, निःशुल्क विद्युत-संबंध के योग्य लाभुकों का आकलन सुनिश्चित किए बिना ही निर्गत किए गए।

- यद्यपि, विभाग ने अप्रैल 2015 में टीएमकेपीवाई के अंतर्गत 3.04 लाख कृषि विद्युत-संबंध प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया था, किन्तु मुख्यतः सिंचाई हेतु नजदीकी जल स्रोतों में जल के अभाव के कारण कृषकों से कृषि विद्युत-संबंध के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। योजना कोई भी विद्युत-संबंध निर्गत किये बिना अक्टूबर 2018 में बंद कर दी गई।

- केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत नमूना-जांचित सात जिलों में निर्गत कुल 5,23,295 विद्युत-संबंधों में से मात्र 2,93,334 उपभोक्ताओं को बिल दिया जा रहा था।

431 उपभोक्ताओं की समीक्षा से यह उजागर हुआ कि बिलिंग में विद्युत-संबंध निर्गत करने की तिथि से दो महीने से लेकर 27 महीनों तक का विलम्ब हुआ। पुनः, मीटर विहीन/त्रुटिपूर्ण मीटर वाले 200 उपभोक्ताओं, जिनके मीटर बदले गए थे, की समीक्षा से उजागर हुआ कि 182 उपभोक्ताओं को मीटर परिवर्तन होने के आठ माह से लेकर 23 माह के बाद भी औसत आधार पर बिलिंग किया जा रहा था।

- 2018-19 और 2019-20 के दौरान ग्रामीण उपभोक्ताओं से उर्जा शुल्क का संग्रहण झारखण्ड सरकार से प्राप्त सब्सिडी के अतिरिक्त क्रमशः 15.46 एवं 13.98 प्रतिशत, डीएस-I(ए)[1] एवं 46.77 और 38.81 प्रतिशत, डीएस-I(बी)[2] के अंतर्गत था। जेबीवीएनएल के सकल संग्रहण कुशलता (85 और 90 प्रतिशत के मध्य) की तुलना में यह काफी कम था।

- जेबीवीएनएल 2018-19 तक 15 प्रतिशत समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीसी) ह्रास को हासिल करने में विफल रही जैसा कि उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) में परिलक्षित था और 2019-20 के दौरान एटीसी ह्रास 33.49 प्रतिशत था। एटीसी ह्रास को ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के अन्दर रखने में विफल रहने के परिणामस्वरूप जेबीवीएनएल ऋणों को अनुदान में परिवर्तित करने के अवसर से वंचित रहेगा।

जेबीवीएनएल को मीटर-विहीन परिसरों में मीटर लगाकर, मीटर-युक्त ग्रामीण उपभोक्ताओं के नियमित बिलिंग, ग्रामों में नजदीकी संग्रहण केन्द्रों की स्थापना, ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा मित्रों के द्वारा स्पॉट बिलिंग तंत्र को सुदृढ़ करने इत्यादि के

---

[1] घरेलू ग्रामीण बीपीएल उपभोक्ताओं को जेएसईआरसी टैरिफ के अनुसार डीएस-i(ए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है

[2] बीपीएल के अलावा अन्य घरेलू ग्रामीण उपभोक्ताओं को जेएसईआरसी टैरिफ के अनुसार डीएस-i(बी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है

द्वारा ग्रामीण उपभोक्ताओं से ऊर्जा शुल्क के संग्रहण की क्षमता को सकल संग्रहण क्षमता के अनुरूप सुधार के लिए समयबद्ध ठोस प्रयास करना चाहिए ताकि एटीसी ह्रास को 15 प्रतिशत तक कम किया जा सके।

इसके अतिरिक्त, ऊर्जा विभाग को बिना कोई विद्युत-संबंध प्रदान किए बंद कर दी गई टीएमपीकेवाई तथा अधूरे में ही बंद कर दी गई एजीजेवाई परियोजना की संरचना की कमियों एवं लक्ष्यों की जाँच करनी चाहिए। विभाग को जेबीवीएनएल प्रबंधन के द्वारा इन योजनाओं के कार्यान्वयन के स्तर पर धीमी प्रगति और आखिरी मील तक विद्युत-संबंध स्थापित करने हेतु परियोजना की अधिकृति में संभाव्य संवर्धन से विभाग को अवगत कराने में विफल रहने की भूमिका की भी जाँच करनी चाहिए।

फीडरों का पृथक्करण

- यद्यपि, कृषि फीडरों के पृथक्करण के अंतर्गत 47 फीडर एवं 1,981.29 सर्किट किमी कृषि विद्युत लाइनें बिछाई गई, परन्तु इनमें से कोई भी चार्ज नहीं की जा सकी। इनमें से ₹ 90.61 करोड़[3] की लागत से देवघर, धनबाद और राँची जिलों में स्थापित 40 फीडर एवं 1,840.71 सर्किट किमी कृषि विद्युत लाइनों को 2,966 डीटीआर स्थापित होने के बाद भी उपयोग में नहीं लाया जा सका जबकि इन जिलों में 16,406 कृषि उपभोक्ता पूर्व से ही विद्यमान थे।

जेबीवीएनएल को निष्क्रिय पड़े कृषि फीडरों एवं समर्पित लाइनों को चार्ज करते हुए विद्यमान कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत् आपूर्ति नियमित करने के तुरंत उपाय करने चाहिए।

उप-संचरण एवं वितरण संरचना का सुदृढ़ीकरण

- डीडीयुजीजेवाई के अंतर्गत 235 मेगा वोल्ट एम्पियर (एमवीए) के 29 विद्युत शक्ति केंद्र (पीएसएस) निर्मित किये गए। इनमें से मात्र 70 एमवीए के आठ पीएसएस ही चार्ज किए जा सके, जबकि तीन से 29 माह के बाद भी 21 पीएसएस मुख्यतः ग्रीड उप केन्द्रों (जीएसएस) के अपूर्ण रहने (तीन मामले), आवश्यक 33 केवी अथवा 11 केवी लाइनों के नहीं बिछने (16 मामले) के साथ ही इन पीएसएस के संचालन के लिए प्रशिक्षित मानवबल के अभाव (दो मामले) के कारण निष्क्रिय (जून 2020) पड़े थे।

- पीएसएस तथा निर्मित फीडरों में जेबीवीएनएल ने ऊर्जा मीटर नहीं लगाए। यद्यपि वितरण ट्रांसफार्मरों (डीटीआर) में मीटर लगाए गए परन्तु, हानियों पर नियंत्रण रखने के लिए डीटीआर-वार ऊर्जा लेखांकन नहीं किया जा रहा था। अतः मुख्य उद्देश्यों में से एक, अर्थात एटीसी ह्रास की कमी, अप्राप्त रही।

---

[3] 2966 x ₹ 81332 (डीटीआर का औसत मूल्य) + 1840.71 x ₹ 3,61,189 (कृषि लाइनों का औसत मूल्य)= ₹ 90.61 करोड़

जेबीवीएनएल को पीएसएस, संलग्न विद्युत लाइन इत्यादि जैसे निष्क्रिय पड़ी परिसम्पतियों के श्रेष्ठतम उपयोग को शीघ्रता से सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि इनके निर्माण में खर्च किया गया धन उपयोगी हो सके।

जेबीवीएनएल को सभी स्तरों पर मीटरीकरण एवं ऊर्जा लेखांकन सुनिश्चित करना चाहिए ताकि, सुधारात्मक उपायों के लिए एटीसी ह्रास के कारकों को चिन्हित किया जा सके।

वित्तीय प्रबंधन

- जेबीवीएनएल ने आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना) से सम्बंधित कार्यों का समय से पूर्ण कराना सुनिश्चित नहीं किया परिणामस्वरूप परियोजना अनुश्रवण अभिकरण (पीएमए) को सितम्बर 2020 तक शुल्क भुगतान के मद में ₹ 3.43 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

- जेबीवीएनएल नियत समय से पूर्व कार्य समाप्ति सुनिश्चित करने, एटीसी ह्रास को 2018-19 तक निर्धारित 15 प्रतिशत तक रखने तथा मीटर-युक्त बिलिंग के अभाव में झारखण्ड सरकार से स्वीकार्य राजस्व सब्सिडी की मांग करने में विफल रहा। अतः जेबीवीएनएल ऋण के 50 प्रतिशत अर्थात् ₹ 558.32 करोड़ को अतिरिक्त अनुदान में परिवर्तित करने में सक्षम नहीं रह पाएगा।

विद्युतीकरण कार्य के प्रारंभ से पूर्व लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए परियोजनागत अवरोधों पर ध्यान देना चाहिए ताकि योजनाएं समय पर पूर्ण हों। विभाग द्वारा कार्यों के अपूर्ण रहने के कारणों की पूरी तरह से विश्लेषण की जानी चाहिए जिससे पुनरावृति टाली जा सके। वर्तमान में निर्धारित कार्यक्रम से पीछे चल रहे सभी कार्यों की शीघ्रता से समाप्ति के लिए सघन अनुश्रवण करना चाहिए।

संविदा प्रबंधन

- ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्यान्वयन हेतु छः एजेंसियों को 18 पैकेज में कार्य प्रदान किए गए। एजेंसियों में से कोई भी निविदा के योग्य होने के तकनीकी मानदंडों को पूर्ण नहीं करता था। इसके अतिरिक्त, नमूना-जाँचित 304 मामलों में, रॉयल्टी की कटौती नहीं करने, इकरारनामों के संपादन में विलम्ब, वेंडरों को खुली निविदा को अधिसूचित करने तथा संविदा/कार्य प्रदान करने में वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन (डीओएफपी) के उल्लंघन के उद्धरण पाए गए।

संविदा प्रबंधन परियोजनाओं के प्रभावी, कुशल एवं मितव्ययी संपादन का सार है। अतः जेबीवीएनएल को निविदा आमंत्रण सूचना/ मानक निविदा प्रपत्र का अनुसरण करना चाहिए तथा डीओएफपी एवं कार्यादेश की शर्तों का अनुपालन करना चाहिए।

अनुश्रवण

- जिला विद्युत समिति (डीईसी) को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता, उपभोक्ताओं की संतुष्टि की समीक्षा तथा ऊर्जा कुशलता एवं ऊर्जा संरक्षण को प्रोत्साहन देने के

लिए प्रत्येक तीन माह में एक बार बैठक करनी थी। नमूना-जांचित सात जिलों में अप्रैल 2015 से मार्च 2020 तक की अवधि में अपेक्षित 20 बैठकों के विरुद्ध डीईसी मात्र एक बार ही बैठक कर पाई, जिसका कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था। अतः परियोजना निर्देशिका में निर्धारित डीईसी के द्वारा पर्यवेक्षी निरीक्षण अनुपस्थित था।

विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि डीईसी नियमानुसार अपनी बैठक करे तथा सुधारात्मक कार्यों एवं उत्तरदायित्व निर्धारण हेतु प्रतिवेदन में इंगित किए गए विचारोन्मुख विषयों की समीक्षा में रचनात्मक रूप से सहभागिता निभाए।

सरकार की प्रतिक्रियाएं क्या रही?

अपने स्तर पर किये जा रहे प्रयासों से सम्बंधित एक सामान्य प्रतिक्रिया देते हुए सरकार ने आश्वस्त किया कि लेखापरीक्षा द्वारा प्रतिवेदन में इंगित कमियों पर तंत्र के उन्नयन हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएँगे।

अध्याय

1 परिचय

पांच वर्षों में सभी घरों तक बिजली सुलभ कराने के उद्देश्य से भारत सरकार ने X पंचवर्षीय योजना (2002-07) के अंतर्गत राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) लागू (मार्च 2005) की, जो ग्रामीण विद्युत संरचना निर्माण एवं गृह विद्युतीकरण के लिए एक योजना थी। योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) के घरों को नि:शुल्क विद्युत-संबंध उपलब्ध कराना था जबकि, अन्य ग्रामीण घरों को सशुल्क विद्युत-संबंध प्रदान कराना था। X और XI पंचवर्षीय योजना के अधूरे कार्यों को पूर्ण करने के उद्देश्य से 100 की जनसंख्या के उपर के सभी छूटे हुए गाँवों को शामिल करते हुए आरजीजीवीवाई को XI, XII और XIII पंचवर्षीय योजनाओं में भारत सरकार ने दो बार विस्तारित किया (फ़रवरी 2008 तथा सितम्बर 2013)।

बाद में, आरजीजीवीवाई (XII और XIII पंचवर्षीय योजना) के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आरजीजीवीवाई को एक पृथक घटक के रूप समाहित करते हुए भारत सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयुजीजेवाई) लागू (दिसंबर 2014) किया। डीडीयुजीजेवाई कृषि उपभोक्ताओं को बिजली नियंत्रित करने, गैर कृषि उपभोक्ताओं को 24x7 बिजली उपलब्ध कराने तथा समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीसी) हानियों को 2018-19 तक 15 प्रतिशत तक कम करने हेतु (i) कृषि और गैर कृषि फीडरों[4] का पृथक्करण (ii) ग्रामीण क्षेत्रों[5] में उप-संचरण एवं वितरण अवसंरचना (एसटीडी) का संवर्धन तथा (iii) ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया था।

डीडीयुजीजेवाई के प्रारम्भ होने पर ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार और ऊर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार ने मार्च 2019 तक राज्य में सभी उपभोक्ताओं को बिजली उपलब्ध कराने तथा सभी वंचित घरों तक बिजली सुलभ कराने के लिए एक संयुक्त घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किया (अक्टूबर 2015)। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम

---

4 नए फीडरों की स्थापना के लिए उच्च विभव निर्माण(एचटी)लाइनों का निर्माण; विद्यमान लाइनों का पुनर्विन्यास/पुनर्निर्माण; नए वितरण ट्रांसफार्मरों (डीटीआर) की स्थापना; विद्यमान डीटीआर का संवर्धन; उपभोक्ताओं (कृषि एवं गैर कृषि) के रोस्टर के पुनर्वर्गीकरण के लिए डीटीआर एवं संबंधित निम्न विभव (एलटी) लाइनों का स्थानांतरण

5 संबंधित 66/33/22/11 केवी लाइनों सहित शक्ति उप-केन्द्रों (पीएसएस) का निर्माण/संवर्धन; उच्च क्षमता/अतिरिक्त शक्ति ट्रांसफ़ॉर्मरों के स्थापना; सम्बंधित एलटी लाइनों के साथ वितरण ट्रांसफ़ॉर्मरों (डीटीआर) की स्थापना/संवर्धन; विद्यमान उप-केन्द्रों और लाइनों का नवीकरण और आधुनिकीकरण; उच्च विभव वितरण प्रणाली (एचवीडीएस) स्थापित करना, चोरी की आशंका वाले क्षेत्रों में एरियल बंच्ड (एबी) केबल लगाना और सभी इनपुट बिदुओं सहित सभी फीडरों और डीटीआर की मीटरीकरण करना

लिमिटेड[6] (आरईसी), झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड[7] (जेबीवीएनएल) और झारखण्ड सरकार ने भी क्रमशः आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना) और डीडीयुजीजेवाई के एक साथ कार्यान्वयन के लिए दो त्रिपक्षीय समझौते (अप्रैल 2016 और नवम्बर 2016) किए।

पुनः आखिरी मील तक विद्युत-संबंध स्थापित करते हुए एवं ग्रामीण क्षेत्रों के सभी अविद्युतीकृत घरों तथा शहरी क्षेत्र के शेष सभी आर्थिक रूप से कमजोर अविद्युतीकृत घरों को विद्युत-संबंध निर्गत करते हुए सार्वभौम गृह विद्युतीकरण के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु भारत सरकार ने प्रधानमंत्री हर घर बिजली योजना (सौभाग्या) शुरू (अक्टूबर 2017) की।

भारत सरकार की उपरोक्त वर्णित योजनाओं के अतिरिक्त, झारखण्ड सरकार ने गरीबी रेखा से उपर (एपीएल) के ग्रामीण लाभुकों[8] को निःशुल्क विद्युत-संबंध उपलब्ध कराने हेतु अटल ग्राम ज्योति योजना (एजीजेवाई) तथा ग्रामीण लाभुकों[9] को कृषि पम्पों के लिए निःशुल्क विद्युत-संबंध उपलब्ध कराने हेतु तिलका मांझी कृषि पम्प योजना (टीएमकेपीवाई) लागू की (अप्रैल 2015)। उक्त दोनों योजनाओं में लाभुकों के चयन के लिए आरजीजीवीवाई के अंतर्गत आच्छादित ग्रामों को लिया गया।

विभिन्न केन्द्रीय और राज्य योजनाओं के कार्यान्वयन के बावजूद भी कुछ घर (एपीएल, बीपीएल और कृषि उपभोक्ता) मुख्यतः आरजीजीवीवाई के अंतर्गत बीपीएल उपभोक्ताओं पर केंद्रित होने के कारण, डीडीयुजीजेवाई/एजीजेवाई/ टीएमकेपीवाई में सभी घरों के आच्छादित नहीं होने तथा समय के साथ घरों की संख्या में वृद्धि के कारण अनाच्छादित[10] रह गए। सभी को विद्युत सुनिश्चित करने के लिए झारखण्ड सरकार ने मार्च 2017 में झारखण्ड सम्पूर्ण बिजली आच्छादन योजना (जेएसबीएवाई) लागू की। सौभाग्या की शुरुआत के बाद जेएसबीएवाई के दायरे को फिर से परिभाषित किया गया (अप्रैल 2018) जिसके तहत् आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाना था, अर्थात् विद्युत् सब-स्टेशनों (पीएसएस) और संबंधित लाइनों का निर्माण और सभी स्तरों पर मीटरीकरण के अलावा अनाच्छादित घरों को कृषि विद्युत-संबंध सहित विद्युत-संबंध प्रदान करना था।

---

6 भारत सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम और केन्द्रीय आरई योजनाओं के लिए नोडल अभिकरण

7 झारखण्ड की वितरण कंपनी

8 एजीजेवाई के तहत, प्रत्येक विधानसभा के 30 गांवों का चयन किया जाना था और प्रत्येक चयनित गांव के 50 एपीएल लाभार्थियों को घरेलू विद्युत्-संबंध जारी किया जाना था।

9 टीएमकेपीवाई के तहत, प्रत्येक विधानसभा के 50 गांवों (प्रत्येक पंचायत से एक) को विधानसभा सदस्य (एमएलए) द्वारा चुना जाना था और प्रत्येक चयनित गांव में 25 कृषि पंपों को बीपीएल और एपीएल कृषकों को क्रमशः 60 और 40 प्रतिशत अनुपात को बनाए रखते हुए विद्युत्-संबंध प्रदान किया जाना था।

10 अविद्युतीकृत टोला-12,762; एपीएल-3,06,614; बीपीएल-2,01,991 और कृषि संबंध-1,32,772 (कुल: 6,41,377 संबंध)

1.2 एजेंसियों की भूमिका

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) भारत सरकार की योजनाओं को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी है। जेबीवीएनएल झारखंड में राज्य परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) है। आरईसी को राज्यों की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) की जांच और मूल्यांकन करना था, पीआईए के साथ समन्वय करना, भारत सरकार की ओर से निधि जारी करना और योजनाओं के कार्यान्वयन का अनुश्रवण करना था।

इसके अलावा, पीआईए द्वारा तैयार डीपीआर की अनुशंसा करने के लिए एक राज्य स्तरीय स्थायी समिति (एसएलएससी) थी, जो ऊर्जा मंत्रालय (भारत सरकार) की अनुश्रवण समिति (एमसी) के अनुमोदन के लिए डीपीआर को आरईसी को प्रस्तुत करती थी, योजनाओं की प्रगति की मासिक अनुश्रवण और योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों का निराकरण करती थी। इसके अलावा, राज्य सरकार को नीतिगत मुद्दों, सब-स्टेशनों के लिए भूमि, अन्य वैधानिक मंजूरी प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना और ऋण घटक के लिए गारंटी प्रस्तुत करना था, यदि यूटिलिटी इसे प्रदान करने में सक्षम नहीं है।

पीआईए को डीडीयुजीजेवाई के लिए जिलावार डीपीआर तैयार करना था, उन्हें सिफारिश के लिए एसएलएससी को जमा करना था और समय सीमा के भीतर योजना को लागू करना था।

1.3 योजना का कार्यान्वयन

परियोजना निर्देशिका के अनुसार, परियोजनाओं को टर्न-की आधार पर कार्यान्वित किया जाना था। तथापि, परियोजनाओं के आंशिक टर्न-की/विभागीय निष्पादन की अनुमति असाधारण मामलों में एमसी, ऊर्जा मंत्रालय के अनुमोदन से दी गई थी। जेबीवीएनएल ने कार्य के दायरे को दो भागों (i) सामग्री की आपूर्ति और (ii) कार्य का निर्माण में विभाजित करते हुए टर्न-की आधार पर संवेदकों के माध्यम से कार्यों का निष्पादन करवाया।

1.4 जेबीवीएनएल में ग्रामीण विद्युतीकरण (आरई) संभाग की संगठनात्मक संरचना

जेबीवीएनएल का प्रबंधन निदेशक मंडल (बीओडी) में निहित है, जिसमें प्रबंध निदेशक (एमडी) और झारखण्ड सरकार द्वारा नियुक्त अन्य निदेशक शामिल हैं। कार्यकारी निदेशक (ईडी), महाप्रबंधक (जीएम), ग्रामीण परियोजनाओं के सहयोग से मुख्यालय में आरई योजनाओं के लिए जिम्मेदार हैं। उप-महाप्रबंधक (डीजीएम) के नियंत्रण में एक कार्यकारी अभियंता, दो सहायक अभियंता और दो कनिष्ठ अभियंताओं वाली एक समर्पित टीम सभी 15 विद्युत आपूर्ति अंचलों (ईएससी) में आरई योजनाओं के कार्यान्वयन की देखभाल करने के लिए जिम्मेदार थी। विभाग का संगठनात्मक संरचना **चार्ट 1.1** में दिखाया गया है।

चार्ट 1.1: संगठनात्मक संरचना

ऊर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार के अंतर्गत झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड का ग्रामीण विद्युतीकरण (आरई) संभाग

प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार-सह-सीएमडी, जेयूवीएनएल

प्रबंध निदेशक, जेबीवीएनएल

कार्यकारी निदेशक (परियोजना)

महाप्रबंधक, (ग्रामीण परियोजनाएँ)

विद्युत आपूर्ति अंचलों के उप महाप्रबंधक

1.5 वित्तपोषण प्रतिरूप

भारत सरकार और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के वित्तपोषण प्रतिरूप निम्नानुसार थे:

- आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना) के तहत्, भारत सरकार को स्वीकृत परियोजना लागत का 90 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी के रूप में देना था और 10 प्रतिशत राज्य द्वारा अपने संसाधनों/वित्तीय संस्थानों (एफआई) से ऋण से योगदान देना था।

- डीडीयुजीजेवाई के तहत, भारत सरकार को पूंजी सब्सिडी के रूप में लागत का 60 प्रतिशत योगदान देना था, 10 प्रतिशत राज्य का योगदान होना था और शेष 30 प्रतिशत वित्तीय संस्थाओं/बैंकों से ऋण के रूप में होना था। इसके अलावा, भारत सरकार ऋण राशि के 50 प्रतिशत को (30 प्रतिशत) अतिरिक्त अनुदान में परिवर्तित करेगी, बशर्ते कि (i) निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार योजना को समय पर पूरा किया जाए, (ii) 2018-19 तक एटीसी हानियों को घटाकर 15 प्रतिशत किया जाए और (iii) मीटर खपत के आधार पर राज्य द्वारा स्वीकार्य राजस्व सब्सिडी का अग्रिम में भुगतान किया जाए।

- भारत सरकार को एमसी द्वारा परियोजनाओं के अनुमोदन और त्रिपक्षीय समझौते के निष्पादन पर अपना 10 प्रतिशत हिस्सा, यूटिलिटी/पीआईए द्वारा लेटर ऑफ अवार्ड जारी करने पर 20 प्रतिशत, 60 प्रतिशत राज्य अंशदान के 100 प्रतिशत जारी करने तथा पहली और दूसरी किस्त के 90 प्रतिशत के उपयोग पर और शेष 10 प्रतिशत काम पूरा होने पर जारी करना था।

- सौभाग्या के लिए वित्तपोषण प्रतिरूप डीडीयुजीजेवाई के समान ही था। हालांकि, ऋण राशि का 50 प्रतिशत दिसंबर 2018 तक 100 प्रतिशत घरेलू विद्युतीकरण की उपलब्धि के बाद ही अतिरिक्त अनुदान में परिवर्तित किया जाना था।
- राज्य योजनाओं (एजीजेवाई, टीएमकेपीवाई और जेएसबीएवाई) के तहत, सरकार द्वारा जेबीवीएनएल को अनुदान के रूप में लागत का 100 प्रतिशत प्रदान करना था।

1.6 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह निर्धारित करने के लिए की गई थी कि:

- गांवों को पूरी तरह से विद्युतीकृत कर दिया गया है और बीपीएल परिवारों को नि:शुल्क बिजली प्रदान की गई है;
- कृषि और गैर-कृषि फीडरों का पृथक्करण, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर-कृषि उपभोक्ताओं को आपूर्ति के लिए विवेकपूर्ण रोस्टर सुविधा पूर्ण किया गया था;
- 2019 तक 24x7 बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए वितरण ट्रांसफार्मर, फीडर और उपभोक्ताओं के मीटरीकरण सहित ग्रामीण क्षेत्रों में एसटीडी बुनियादी ढांचे के कार्यों को विवेकपूर्ण और पारदर्शी तरीके से पूरा किया गया है; तथा
- योजनाओं का नियोजन, कार्यान्वयन और प्रबंधन प्रभावी, कुशल और किफायती तरीके से किया गया और योजना निर्देशिका का पालन किया गया।

1.7 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा उद्देश्यों की उपलब्धि का आकलन करने के लिए अपनाए गए लेखापरीक्षा मानदंड निम्न से प्राप्त किए गए थे:

- आरईसी, डीडीयुजीजेवाई/सौभाग्या/एजीजेवाई/टीएमकेपीवाई और जेएसबीएवाई की निर्देशिकाएं;
- आरजीजीवीवाई के प्रावधान;
- राष्ट्रीय विद्युत योजना और राष्ट्रीय टैरिफ नीति के प्रावधान; झारखंड ऊर्जा नीति;
- आरईसी, झारखण्ड सरकार और जेबीवीएनएल के बीच त्रिपक्षीय इकरारनामा;
- डीडीयुजीजेवाई/ सौभाग्या/ एजीजेवाई/ टीएमकेपीवाई और जेएसबीएवाई की परिप्रेक्ष्य योजना और परियोजना प्रतिवेदन;
- भारत सरकार/ उर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश;
- सर्वेक्षण प्रतिवेदन/डीपीआर;
- मितव्ययिता, दक्षता, प्रभावशीलता, समानता और नैतिकता के सिद्धांतों के संदर्भ से अनुबंध प्रदान करने के लिए तैयार की गई मानक प्रक्रियाएं;

- झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग (जेएसईआरसी) के साथ वार्षिक राजस्व रिटर्न (एआरआर) दाखिल करने के लिए परिपत्र और नियमावली;
- जेएसईआरसी/केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा जारी मानदंड/निर्देशिका;
- जेबीवीएनएल के निदेशक मंडल की बैठकों का एजेंडा और कार्यवृत्त;
- संचालन और रखरखाव नियमावली और;
- लेखा, वित्तीय और आंतरिक नियंत्रण नियमावली।

1.8 लेखापरीक्षा के क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

16 अगस्त 2019 को विभाग के प्रधान सचिव के साथ एक प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र, मानदंड आदि पर चर्चा की गई और विभाग के इनपुट प्राप्त किए गए। निष्पादन लेखापरीक्षा का क्षेत्र, 2014-20 की अवधि में भारत सरकार (आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना), डीडीयुजीजेवाई और सौभाग्य) और राज्य (एजीजेवाई, टीएमकेपीवाई और जेएसबीएवाई) की ग्रामीण विद्युतीकरण (आरई) योजनाओं से आच्छादित था। राज्य के 24 जिलों को तीन स्तरों में पूर्ण किए गए कार्य के प्रतिशत के अनुसार स्तरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण के माध्यम से 24 में से नौ जिलों[11] का चयन किया गया था। हालांकि, कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के कारण नौ में से केवल सात[12] जिलों की नमूना जांच की गई।

लेखापरीक्षा जांच में ऊर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार, जेबीवीएनएल मुख्यालय में कार्यकारी निदेशक (परियोजना) एवं महाप्रबंधक (परियोजना), नमूना-जांचित जिलों के विद्युत आपूर्ति अंचलों, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डलों एवं विद्युत आपूर्ति उप-प्रमण्डलों के अभिलेखों की समीक्षा शामिल थी। लेखापरीक्षा ने नमूना-जांचित सात जिलों में स्थित 28 गांवों[13] में किए गए कार्यों का संयुक्त भौतिक सत्यापन भी किया। 08 अक्टूबर 2021 को प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार के साथ निकास सम्मलेन आयोजित की गई थी। विभाग के जवाब को प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

1.9 स्वीकृति

लेखापरीक्षा ऊर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार, जेबीवीएनएल तथा चयनित जिलों के विद्युत आपूर्ति अंचलों के उप महाप्रबंधकों द्वारा निष्पादन लेखापरीक्षा में दिए गए सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता है।

---

[11] धनबाद, देवघर, दुमका, गिरिडीह, गुमला, जमशेदपुर, पलामू, पाकुड़ और राँची

[12] धनबाद, देवघर, दुमका, गिरिडीह, पलामू, पाकुड़ और राँची

[13] (i) धनबाद (अनालसिया, कापसरा, कंचनपुर, मधुगोड़ा); (ii) पाकुड़ (जितलपुर, मोहनपुर, सुंदरपुर, धनपहाड़िया) (iii) देवघर (बाराकोला, रक्ती, गुनियासोल, मोहनाडीह), (iv) पलामू (खेंद्रा कलां, पुरंदिन, नवाटोली, खेंद्रा खुर्द), (v) गिरिडीह (बदवाड़ा, बुच्चा नवाडीह, बरिया, जादू रायडीह), (vi) दुमका (बेदिया, पलासी, सीकरपुर, बृंदाबनी) और (vii) राँची (मुरुपिरी, मक्का, मलार, पाल्मा)

अध्याय

2 नियोजन

2.1 विभाग एवं जेबीवीएनएल की नियोजन में उदासीनता

फीडर पृथक्करण के लिए दोषपूर्ण नियोजन

जेबीवीएनएल ने मिश्रित भार वाले फीडर जहां फीडर पृथक्करण की आवश्यकता थी, मौजूदा और संभावित कृषि उपभोक्ताओं की कुल संख्या, कुल क्षेत्रफल और खेती योग्य भूमि का स्थान और जलग्रहण क्षेत्र जहां से उपभोक्ता सिंचाई के लिए पानी खींच सकते हैं जैसे विवरण को ध्यान दिए बिना ही डीपीआर तैयार किया। एसएलएससी ने यह भी सत्यापित नहीं किया कि क्या इन मुद्दों को डीपीआर में शामिल किया गया था और केवल जेबीवीएनएल द्वारा प्रस्तावित डीपीआर को अनुमोदन के लिए आरईसी को भेज दिया गया था जैसा कि **कंडिका 4.1** में चर्चा की गई है।

पीएसएस के निर्माण में दोषपूर्ण नियोजन

जेबीवीएनएल ने टर्न-की संवेदकों (टीकेसी) को भूमि उपलब्ध कराने में विलंब किया, पहले सौंपे गए अनुपयुक्त या पथरीली भूमि के कारण स्थान को बदल दिया गया और पीएसएस स्थलों के लिए सड़कों की पहुंच की उपलब्धता, नमूना-जांचित जिलों में जारी आशय पत्र (एलओआई) की तारीख से चार से 19 महीनों के बीच की अवधि के अंदर भी सुनिश्चित नहीं किया। विभाग पीएसएस के निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करने में विफल रहा जिसके कारण राँची जिले के तीन पीएसएस के डी-स्कोपिंग के साथ-साथ निर्माण में भी विलम्ब हुआ जैसा कि **कंडिका 5.1 और 5.8** में चर्चा की गई है।

33 केवी लाइन के निर्माण में वैधानिक मंजूरी एवं अन्य गतिविधियों को करने में विलंब

जेबीवीएनएल की ओर से वन मंजूरी शुरू करने में विलंब, आरेख और पावर ट्रांसफॉर्मर्स (पीटीआर) के तकनीकी मानकों को अंतिम रूप देने में विलंब, बीओक्यू में विचलन को अंतिम रूप देने में विलंब, और आरओडब्ल्यू (राईट ऑफ वे) के संबंध में स्थानीय लोगों द्वारा उत्पन्न बाधा को हल करने में विलंब था। विभाग समय पर वन मंजूरी प्राप्त करने और आरओडब्ल्यू मुद्दों को हल करने में भी विफल रहा जैसा कि **कंडिका 5.3** में चर्चा की गई है।

जिला विद्युत समितियां

डीडीयुजीजेवाई के लिए डीपीआर जिला विद्युत समितियों (डीईसी) की अधिसूचना से पहले तैयार किए गए थे, हालांकि स्थानीय इनपुट शामिल करने के लिए डीईसी के परामर्श से डीपीआर तैयार किए जाने थे। इसके अलावा, झारखण्ड सरकार

/एसएलएससी ने 19 जिलों के डीपीआर पर डीईसी की सिफारिशों को प्राप्त किए बिना सभी 24 जिलों के डीपीआर को आरईसी को अग्रेषित करने की सिफारिश की, जिन्हें आरईसी द्वारा स्वीकृति दी गई, जैसा कि **कंडिका 8.1** में चर्चा की गई है।

2.2 व्यापक डेटाबेस का अभाव और योजनाओं की अधिकता

जेबीवीएनएल के पास विभिन्न विद्युतीकरण योजनाओं के तहत सभी पात्र लाभार्थियों का व्यापक डेटाबेस नहीं है। जेबीवीएनएल ने कभी भी एक डेटाबेस तैयार करने के लिए अपने स्तर पर कोई सर्वेक्षण नहीं किया जो राज्य में संचालित विभिन्न योजनाओं की आवश्यकताओं और मानदंडों को पूरा करे। जेबीवीएनएल के पास केवल उन उपभोक्ताओं का विवरण है जिन्हें विद्युत-संबंध दिए गए हैं जैसा कि **कंडिका 2.4.3** में चर्चा की गई है। इसलिए, विभिन्न योजनाओं के तहत संभावित उपभोक्ताओं की संख्या और स्थान का निर्धारण टीकेसी पर छोड़ दिया गया है। एक साथ कई योजनाओं के कार्यान्वित होने से यह समस्या और बढ़ जाती है।

प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य)

जेबीवीएनएल ने उचित सर्वेक्षण के माध्यम से प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के तहत नि:शुल्क विद्युत-संबंध के लिए पात्र लाभार्थियों का आकलन नहीं किया। परिणामस्वरूप, उनके पास संवेदक को आदेश देने से पहले सभी पात्र लाभार्थियों वाला डेटाबेस नहीं था। इसके बजाय, संवेदक को मनमाने ढंग से विद्युत-संबंध का लक्ष्य दिया गया था जिसके विरुद्ध उन्होंने अपने स्वयं के आकलन के अनुसार विद्युत-संबंध जारी किए जैसा कि **कंडिका 3.2.3** में चर्चा की गई है।

अटल ग्राम ज्योति योजना (एजीजेवाई)

जेबीवीएनएल को संबंधित विधायकों की सिफारिशों पर लाभार्थियों की सूची तैयार करनी थी। जेबीवीएनएल ऐसा करने में विफल रहा, इसलिए यह टर्न-की संवेदकों (टीकेसी) को लाभार्थियों की सूची प्रदान नहीं कर सका। परिणामस्वरूप, 3.64 लाख एपीएल परिवारों के लक्ष्य के मुकाबले 1.86 लाख एपीएल परिवारों को नि:शुल्क विद्युत-संबंध प्रदान करने के बाद एजीजेवाई को समय से पूर्व ही बंद कर दिया गया। इस पर **कंडिका 3.2.4** में चर्चा की गई है।

2.3 आरईसी के द्वारा आवश्यकता आकलन प्रपत्र (एनएडी) की पुष्टि के बिना विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) का बनाया जाना।

डीडीयुजीजेवाई की निर्देशिका के अनुसार, जेबीवीएनएल को एक आवश्यकता मूल्यांकन दस्तावेज (एनएडी) तैयार करना था जिसमे उपभोक्ताओं, खपत पैटर्न, वोल्टेज विनियमन, एटीसी हानि स्तर, एचटी और एलटी अनुपात, ट्रांसफार्मर और फीडरों/लाइनों के इष्टतम भार आदि की सूचना के साथ-साथ भार प्रवाह अध्ययन हो ताकि फीडर पृथक्करण की आवश्यकता का आकलन तथा उप-संचरण और

वितरण तंत्र की महत्वपूर्ण कमियों की पहचान के पश्चात प्रस्तावित क्षेत्र और लागत अनुमानों की पुष्टि हो सके। आरईसी द्वारा जेबीवीएनएल के परामर्श से कार्य के क्षेत्र एवं लागत को अंतिम रूप देने के लिए एनएडी की जांच और उसका सत्यापन किया जाना था। आरईसी द्वारा सत्यापित व्यापक कार्य क्षेत्र के आधार पर, जेबीवीएनएल को विस्तृत क्षेत्र सर्वेक्षण और दरों की नवीनतम अनुसूची के आधार पर जिला/अंचल/जोन-वार डीपीआर तैयार करना था।

लेखापरीक्षा को दस्तावेजों में ऐसा कोई विवरण नहीं मिला जिसके आधार पर एनएडी को यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया था कि उप-संचरण और वितरण नेटवर्क में महत्वपूर्ण अंतराल की पहचान करने के बाद प्रस्तावित कार्यक्षेत्र और लागत अनुमानों को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त प्रासंगिक जानकारी थी। जेबीवीएनएल ने भी स्वीकार किया (अक्टूबर 2019) कि ₹ 11,266.58 करोड़ का एनएडी तैयार करने के लिए भार प्रवाह अध्ययन नहीं किया गया था। यद्यपि एनएडी आरईसी को भेजा गया था (फरवरी 2015), जिसका अनुमोदन प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2020)। अंततः डीपीआर को एनएडी के बिना तैयार किया गया और उर्जा मंत्रालय की निगरानी समिति द्वारा अनुमोदित (अगस्त 2015) किया गया। डीपीआर में कमियों पर अनुवर्ती उप-कंडिका में चर्चा की गई है।

प्रबंधन/विभाग ने कहा (मई 2021/अक्टूबर 2021) कि एनएडी की तैयारी के लिए प्रारूप आरईसी द्वारा उपलब्ध कराया जाना था। हालांकि, यह उपलब्ध नहीं कराया गया और जेबीवीएनएल ने उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर अपने स्वयं के प्रारूप में एनएडी तैयार किया। प्रबंधन/विभाग ने यह भी स्वीकार किया कि डीपीआर को एनएडी के अनुमोदन के बिना तैयार किया गया है।

2.4 ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए डीपीआर तैयार करना

लेखापरीक्षा ने पाया कि आरजीजीवीवाई के विस्तार (सितंबर 2013) और डीडीयुजीजेवाई के आरम्भ (दिसंबर 2014) से पहले, जेबीवीएनएल ने राज्य में ग्रामीण विद्युतीकरण के सुधार के लिए विस्तृत क्षेत्र सर्वेक्षण[14] और जिलेवार डीपीआर तैयार करने के लिए निविदा आमंत्रित की (मार्च 2012)। जेबीवीएनएल ने 24 जिलों के लिए डीपीआर तैयार करने हेतु तीन एजेंसियों[15] को अनुमोदित डीपीआर के अनुसार परियोजना की स्वीकृत लागत का 0.89 प्रतिशत से 1.56 प्रतिशत के बीच के अनुबंध मूल्य[16] पर विद्युत आपूर्ति क्षेत्र (ईएसए) वार आशय पत्र

---

[14] जीपीएस / जीआईएस सर्वेक्षण, वितरण प्रणाली का मूल्यांकन, मौजूदा एपीएल और बीपीएल विद्युत-संबंध और अपेक्षित एपीएल और बीपीएल विद्युत-संबंध प्रदान किया जाना है।

[15] मेकॉन-ईएसए राँची और पलामू, आरईसीपीडीसीएल-ईएसए धनबाद, जमशेदपुर और दुमका और एकेएस-ईएसए हजारीबाग

[16] ईएसए राँची के लिए 1.54 प्रतिशत, ईएसए पलामू के लिए 1.56 प्रतिशत, ईएसए धनबाद, जमशेदपुर और दुमका के लिए 0.99 प्रतिशत और ईएसए हजारीबाग के लिए 0.89 प्रतिशत (सेवा कर को छोड़कर)

(एलओआई) जारी किया (फरवरी 2013)। आवंटित लागत[17] के 60 प्रतिशत का भुगतान क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा विधिवत सत्यापित कर डीपीआर प्रस्तुत करने पर, 30 प्रतिशत भारत सरकार/झारखण्ड सरकार द्वारा डीपीआर के अनुमोदन पर और शेष 10 प्रतिशत कार्यों के आवंटन पर किया जाना था।

आरजीजीवीवाई के विस्तार के बाद, जेबीवीएनएल ने एजेंसियों को दो भागों में डीपीआर तैयार करने का निर्देश दिया (जुलाई 2013), एक उन कार्यों के लिए, जिन्हें आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना) के तहत आच्छादित किया जा सकता है (भाग-बी) और दूसरा, अनुबंध के अनुसार सभी शेष कार्यों के लिए (भाग-ए)। एलओआई मार्च 2014 में जारी किए गए थे और लेटर ऑफ अवार्ड (एलओए) अक्टूबर 2014 और जनवरी 2015 के बीच जारी किए गए थे।

एजेंसियों ने ₹ 4,879.16 करोड़ की परियोजना लागत वाली 24 जिलों के लिए सभी डीपीआर (भाग बी) प्रस्तुत की (दिसंबर 2013 से जनवरी 2014) जिन्हें एसएलएससी द्वारा आगे आरईसी को प्रस्तुत करने के लिए अनुशंसित (जनवरी-फरवरी 2014) की गई थी। इनमें से जेबीवीएनएल ने भारत सरकार के अनुमोदन के लिए आरईसी के वेब पोर्टल पर ₹ 4,714.71 करोड़ की परियोजना लागत सहित केवल 23 जिलों (सिमडेगा को छोड़कर) का डीपीआर अपलोड किया। इनके विरूद्ध, भारत सरकार ने केवल 17 जिलों के लिए ₹ 3,290.07 करोड़ की एसएलएससी सिफारिश के विरुद्ध ₹ 1,260.92 करोड़ (38.32 प्रतिशत) के लिए इन जिलों की परियोजनाओं को मंजूरी दी। ₹ 1,424.63 करोड़ की परियोजना लागत वाली शेष छः जिलों[18] की परियोजनाओं को अनुमोदित नहीं किया गया जिसके कारणों की विवेचना **कंडिका 2.4.1** में की गई है।

डीडीयुजीजेवाई की शुरुआत पर, जेबीवीएनएल ने सभी तीन एजेंसियों से सभी मौजूदा और संभावित कृषि उपभोक्ताओं के लिए बुनियादी ढांचे की आवश्यकता के संबंध में आंकड़ा एकत्र करने का अनुरोध किया (दिसंबर 2014) ताकि इनका उपयोग डीडीयुजीजेवाई के तहत परियोजनाओं के आसान वित्तपोषण को सुनिश्चित करने के लिए अलग डीपीआर तैयार करने के लिए किया जा सके। एजेंसियों ने जेबीवीएनएल को ₹ 6,333.77 करोड़[19] मूल्य के आंकड़े और डीपीआर (भाग ए) प्रस्तुत किए (जुलाई 2014 से सितंबर 2016)। हालांकि, जेबीवीएनएल के डीडीयुजीजेवाई के लिए अलग डीपीआर प्रस्तुत करने के अनुरोध पर, दो एजेंसियों (मेकॉन और आरईसीपीडीसीएल) ने कोई जवाब नहीं दिया और अंततः मेसर्स एकेएस ने जेबीवीएनएल के मौखिक अनुरोध पर सभी 24 जिलों के डीडीयुजीजेवाई

---

17 जेबीवीएनएल ने अंतरिम भुगतान के लिए अनुबंध मूल्य की राशि की गणना की जिसे अंततः डीपीआर की स्वीकृत लागत के साथ जोड़ा जाना था

18 गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, पश्चिमी सिंहभूम और दुमका

19 ईएसए राँची के लिए 1724.24 करोड़, ईएसए मेदनीनगर के लिए 1427.68 करोड़, ईएसए हजारीबाग के लिए 2302.00 करोड़, ईएसए धनबाद के लिए 137.40 करोड़, ईएसए पूर्वी सिंहभूम के लिए 262.15 करोड़, ईएसए दुमका के लिए 480.31 करोड़ रुपये।

के लिए ₹ 5,813.87 करोड़ के अलग-अलग डीपीआर प्रस्तुत किए (मार्च 2015)। इनमें से, भारत सरकार ने सभी 24 जिलों के लिए डीडीयुजीजेवाई के तहत वित्तीय सहायता के लिए ₹ 3,722.12 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी।

डीपीआर, अनुबंध दस्तावेज, संवेदक बिल और अन्य संबंधित अभिलेखों की समीक्षा में निम्नलिखित कमियां उद्घाटित हुईं:

2.4.1 आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना) के तहत झारखण्ड सरकार भारत सरकार के अनुदान से वंचित रही

जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, ₹ 1,418.20 करोड़ मूल्य के चार जिलों (गढ़वा, पलामू, लातेहार और चतरा) के डीपीआर भारत सरकार को प्रस्तुत (फरवरी 2014) किए गए थे, लेकिन इस आधार पर अनुमोदित नहीं किए गए थे कि इन जिलों में आरजीजीवीवाई (X पंचवर्षीय योजना) के कार्य पूर्ण नहीं थे। दो जिलों (पश्चिम सिंहभूम और दुमका) के डीपीआर (₹ 233.68 करोड़) भारत सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं थे क्योंकि आरईसी ने मूल्यांकन किया था कि सभी बीपीएल घरों का विद्युतीकरण हो गया था और इनमें कोई अतिरिक्त अवसंरचना की आवश्यकता नहीं थी, तथापि डीपीआर में क्रमशः 75,995 और 30,108 बीपीएल उपभोक्ताओं को विद्युत-संबंध देने का प्रस्ताव शामिल था। सिमडेगा की डीपीआर आवश्यकता के अनुसार आरईसी के वेब पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया था जिसका कारण अभिलेख में नहीं पाया गया।

इस प्रकार, चार जिलों में आरजीजीवीवाई (X पंचवर्षीय योजना) के कार्यों को पूरा न करने के कारण, दो जिलों में बचे हुए बीपीएल परिवारों के विद्युतीकरण के संबंध में आरईसी को समझाने में जेबीवीएनएल की अक्षमता और एक जिले की डीपीआर अपलोड करने में विफलता के कारण, झारखण्ड सरकार, भारत सरकार के द्वारा आरजीजीवीवाई के तहत स्वीकृत लागत के 90 प्रतिशत के बराबर अनुदान से वंचित रहा। बाद में, इन सात जिलों के डीपीआर को डीडीयुजीजेवाई के तहत अन्य 17 जिलों के साथ अनुमोदित (अगस्त 2015) किया गया, जहां भारत सरकार का अनुदान केवल 60 प्रतिशत था।

आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना) के तहत परियोजनाओं की स्वीकृति न होने के कारण झारखण्ड सरकार सात जिलों के ₹ 1,589.08 करोड़ के डीपीआर मूल्य पर भारत सरकार के ₹ 182.68 करोड़[20] का अनुदान, अन्य 17 जिलों के लिए डीपीआर मूल्य का 38.32 प्रतिशत की स्वीकृति को ध्यान में रखते हुए, प्राप्त करने में विफल रही। इसके अलावा, इन सात जिलों की डीपीआर तैयार करने पर किया गया ₹ 4.86 करोड़ का व्यय निष्फल हो गया।

---

[20] ₹1589.09 करोड़ x 38.32 प्रतिशत x (90-60) प्रतिशत = ₹182.68 करोड़

प्रबंधन/विभाग ने बताया (मार्च 2021/अक्टूबर 2021) कि जेबीवीएनएल ने डीपीआर तैयार कर आरईसी को जमा कर दिया और परियोजना की स्वीकृति पर जेबीवीएनएल का कोई नियंत्रण नहीं है।

तथ्य यह है कि सात जिलों के डीपीआर स्वीकृत नहीं किए गए थे क्योंकि जेबीवीएनएल ने (i) आरजीजीवीवाई (X पंचवर्षीय योजना) (चार जिलों) के तहत काम पूरा नहीं किया था, (ii) बचे हुए बीपीएल उपभोक्ताओं (दो जिलों) के बारे में आरईसी को आश्वस्त नहीं कर सका और (iii) डीपीआर (एक जिला) अपलोड करने में विफल।

2.4.2 डीपीआर तैयार करने पर व्यय

आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल):

आरईसीपीडीसीएल ने 11 जिलों के लिए अपूर्ण डीपीआर (भाग ए) प्रस्तुत किया (जुलाई 2014) क्योंकि इसमें पूर्ण विवरण और दस्तावेज शामिल नहीं थे। जेबीवीएनएल ने ड्राफ्ट डीपीआर लागत (₹ 919.72 करोड़) के 60 प्रतिशत (₹ 5.46 करोड़) के दावे के विरुद्ध ₹ 1.37 करोड़ (14.89 प्रतिशत) का भुगतान किया (सितंबर 2016 से नवंबर 2016)। भुगतान आरईसीपीडीसीएल के अनुरोध पर जेबीवीएनएल द्वारा इंगित कमियों को दूर करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में किया गया था, जिसकी कोई प्रासंगिकता नहीं थी क्योंकि इन 11 जिलों की डीपीआर पहले ही जेबीवीएनएल के मौखिक निर्देश पर मेसर्स एकेएस द्वारा प्रस्तुत (मार्च 2015) कर दी गई थी।

इस प्रकार, जेबीवीएनएल ने आरईसीपीडीसीएल को ₹ 1.37 करोड़ का भुगतान किया, जबकि यह जानकारी आवश्यक होगा कि मेसर्स एकेएस द्वारा डीपीआर भुगतान से छः से आठ महीने पहले ही प्रस्तुत किए गए थे और परिणामस्वरूप निष्फल व्यय हुआ।

मेकॉन और मेसर्स एकेएस: मेकॉन और मेसर्स एकेएस ने ₹ 5,453.92 करोड़[21] का डीपीआर भाग-ए के लिए प्रस्तुत किया। इन डीपीआर से, मेसर्स एकेएस ने डीडीयुजीजेवाई और जेएसबीएवाई का डीपीआर तैयार किया जिन्हें ₹ 4,794.80 करोड़[22] मूल्य की परियोजनाओं के लिए स्वीकृत (अगस्त 2015 और मार्च 2017) किया गया था। हालांकि, दोनों एजेंसियों द्वारा ₹ 61.37 करोड़[23] के दावे के विरुद्ध, जेबीवीएनएल

---

21 ईएसए राँची के लिए ₹ 1724.24 करोड़ और ईएसए मेदनीनगर के लिए ₹ 1427.68 करोड़ और ईएसए हजारीबाग के लिए ₹ 2302 करोड़

22 डीडीयुजीजेवाई के तहत ₹ 816.78 करोड़ और ईएसए राँची के लिए जेएसबीवाई के तहत ₹ 858.46 करोड़, डीडीयुजीजेवाई के तहत ₹ 714.83 करोड़ और ईएसए मेदिनीनगर के लिए जेएसबीवाई के तहत ₹ 512.64 करोड़ और डीडीयुजीजेवाई के तहत ₹ 772.98 करोड़ और ईएसए हजारीबाग के लिए जेएसबीवाई के तहत ₹ 1119.11 करोड़।

23 मेकॉन - ₹ 45.3 करोड़ और मेसर्स एकेएस - ₹ 16.07 करोड़

ने आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना)[24] के तहत चार जिलों के डीपीआर के लिए सर्वेक्षण नहीं करने और डीपीआर की अस्वीकृति के कारण दावा कम करने के केवल ₹ 16.57 करोड़[25] के मान्य दावे को स्वीकार किया (जनवरी 2019)। हालांकि, मेसर्स एकेएस को केवल ₹ 4.83 करोड़ का भुगतान किया गया (अक्टूबर 2017) जबकि मेकॉन को कोई भुगतान नहीं किया गया (अक्टूबर 2020)।

आगे यह देखा गया कि मेसर्स एकेएस ने जेबीवीएनएल के मौखिक अनुरोध पर अतिरिक्त कार्य के रूप में डीडीयुजीजेवाई और जेएसबीएवाई के लिए डीपीआर तैयार किया था, लेकिन जुलाई 2020 तक संशोधित कार्यादेश जारी नहीं किया गया था। इस तरह मेसर्स एकेएस के प्रति जेबीवीएनएल की देयता इसके अतिरिक्त कार्य के लिए सुनिश्चित नहीं किया जा सकता था यद्यपि डीडीयुजीजेवाई और जेएसबीएवाई की परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी थीं और प्रगति पर थीं। हालांकि, मेसर्स एकेएस ने ₹ 18.45 करोड़ का दावा भी प्रस्तुत किया (जनवरी और मार्च 2017)।

इसके अलावा, चूंकि एकेएस एक एमएसएमई उद्यम है, जेबीवीएनएल एमएसएमई अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार देय राशि पर ₹ 3.52 करोड़ ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था जो यह निर्धारित करता है कि बिल जमा करने के 45 दिनों से अधिक के भुगतान में विलंब पर आरबीआई द्वारा मासिक बकाया राशि पर अधिसूचित बैंक दर का तीन गुना चक्रवृद्धि ब्याज अक्टूबर 2017 से अक्टूबर 2020 की अवधि के लिए लगेगा।

लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए प्रबंधन/विभाग ने कहा (मई 2021/अक्टूबर 2021) कि डीपीआर में कमियों को सुधार करने के लिए आंशिक भुगतान किया गया था क्योंकि आरईसीपीडीसीएल का आंकड़ा एलओए की आवश्यकता के अनुसार नहीं था। इसके अलावा, प्रबंधन/विभाग ने स्वीकार किया कि मेसर्स एकेएस द्वारा डीडीयुजीजेवाई का डीपीआर तैयार करने के लिए कार्यादेश जारी नहीं किया गया था और कहा कि भुगतान अभी भी विचाराधीन है।

आरईसीपीडीसीएल को आंशिक भुगतान के संबंध में प्रबंधन/विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आरईसीपीडीसीएल को भुगतान का कोई वैध कारण नहीं था क्योंकि भुगतान से पहले मेसर्स एकेएस द्वारा डीपीआर तैयार किया गया था और जेबीवीएनएल ने स्वयं माना है कि आरईसीपीडीसीएल द्वारा तैयार डीपीआर में कई कमियां थीं।

2.4.3 बिना क्षेत्र सर्वेक्षण के डीपीआर तैयार करना

डीडीयुजीजेवाई की निर्देशिका के अनुसार, यूटिलिटी (पीआईए) को विस्तृत क्षेत्र सर्वेक्षण और दरों की नवीनतम अनुमोदित अनुसूची (एसओआर) के आधार पर

---

[24] इस धारणा पर कि डीपीआर तैयार करने में, सर्वेक्षण और शेष घटकों में से प्रत्येक 50 प्रतिशत होगा, जिससे सर्वेक्षण घटक का 40 प्रतिशत घटाया जाएगा।

[25] मेकॉन - ₹ 6.93 करोड़ और मेसर्स एकेएस - ₹ 9.64 करोड़

जिला/अंचल/क्षेत्रवार, डीपीआर तैयार करना था। डीपीआर को एसएलएससी या अनुश्रवण समिति (एमसी) को जेबीवीएनएल द्वारा एक वचनबद्धता के साथ अग्रेषित किया जाना था कि डीपीआर क्षेत्र सर्वेक्षण और अद्यतन एसओआर पर आधारित थे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि जेबीवीएनएल ने उपभोक्ता डेटाबेस को छोड़कर गांवों के विद्युतीकरण की स्थिति के संबंध में कोई डेटाबेस नहीं रखा था। एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों और डीपीआर की जांच की गई और जेबीवीएनएल द्वारा अनुमोदित किया गया और भारत सरकार की योजनाओं के तहत अनुमोदन के लिए एसएलएससी/एमसी को अग्रेषित किया गया। तथापि, नमूना-जांचित जिलों में अभिलेखों की समीक्षा में भारत सरकार द्वारा अनुमोदन के लिए डीपीआर में प्रस्तावित गांवों की संख्या (अनुमोदित) और क्षेत्रीय सर्वेक्षण के बाद ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए नियोजित टीकेसी द्वारा प्रस्तावित गांवों की संख्या में विसंगतियां पाई गईं जैसा कि **तालिका 2.1** में दिखाया गया है:

तालिका 2.1: डीपीआर में प्रस्तावित और क्षेत्रीय सर्वेक्षण में पाए गए गांवों की संख्या में विसंगतियां

जिले का नाम	योजना का नाम	डीपीआर के अनुसार गांवों का विद्युतीकरण किया जाना है	टीकेसी द्वारा क्षेत्र सर्वेक्षण के अनुसार गांवों का विद्युतीकरण किया जाना है	डीपीआर में विद्युतीकरण के लिए प्रस्तावित गांव लेकिन टीकेसी द्वारा अन्यथा पाए गए	
				पहले से ही विद्युतीकृत पाए गए गांव	अस्तित्वहीन पाए गए गांव
1	2	3	4	5	6
धनबाद	डीडीयुजीजेवाई	277	339	0	0
	आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना)	1,010	619	41	172
गिरिडीह	डीडीयुजीजेवाई	1,329	1,665	0	0
	आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना)	2,234	954	18	0
देवघर	आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना)	1,793	1,686	49	32
	डीडीयुजीजेवाई	470	543	33	03
पलामू	डीडीयुजीजेवाई	1,244	1,711	9	159
दुमका	डीडीयुजीजेवाई	714	2,633	61	231
पाकुड़	डीडीयुजीजेवाई	243	506	49	81
	आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना)	1,158	615	0	0
राँची	डीडीयुजीजेवाई	832	528	0	0
	आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना)	1,269	741	0	0
कुल		**12,573**	**12,540**	**260**	**678**

(स्रोतः डीपीआर और जेबीवीएनएल के ईएससी द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से संकलित)

तालिका 2.1 से, यह देखा जा सकता है कि सात नमूना-जांचित जिलों में, 938 गांवों (सात प्रतिशत) को टीकेसी द्वारा या तो विद्युतीकृत (260) या अस्तित्वहीन (678) पाया गया था, हालांकि इन गांवों को जेबीवीएनएल द्वारा विद्युतीकरण के लिए प्रस्तावित किया गया था और एसएलएससी द्वारा आरईसी को अनुशंसित किया गया था।

इस प्रकार, डीपीआर वास्तविक सर्वेक्षण किए बिना तैयार किए गए थे जिसके कारण अविद्युतीकृत गाँवों की वास्तविक संख्या में अंतर पाया गया। एसएलएससी ने भी आरईसी को अग्रेषित करने के पहले डीपीआर का विस्तृत विश्लेषण नहीं किया। आगे सौभाग्या योजना के तहत मुफ्त कनेक्शन के लिए पात्र लाभार्थियों की पहचान के लिए जेबीवीएनएल ने कोई क्षेत्रीय सर्वेक्षण नहीं किया।

लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए, प्रबंधन/विभाग ने कहा (मई 2021/अक्टूबर 2021) कि आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना) और डीडीयुजीजेवाई की डीपीआर तैयार करने के दौरान एजेंसी द्वारा आंकड़ा तैयार किया गया है। प्रबंधन/विभाग ने आगे बताया कि स्वीकृत लागत में कमी और पुनरीक्षित मात्रा में कमी और प्रत्येक घर को विद्युत-संबंध प्रदान करने के लिए उर्जा मंत्रालय के लक्ष्य को पूरा करने के लिए गांवों/बस्तियों को संतृप्ति की अवस्था तक आच्छादित करने के बाद के निर्णय के कारण गांवों को डीपीआर में शामिल नहीं किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि डीडीयुजीजेवाई के तहत टीकेसी द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार स्वीकृत लागत और पुनरीक्षित मात्रा के बाद भी सात नमूना-जांचित जिलों में से छः में डीपीआर के अनुसार विद्युतीकृत किए जाने वाले गांवों की तुलना में गांवों की संख्या अधिक पाई गई। इसके अलावा, टीकेसी के सर्वेक्षण के दौरान पहले से विद्युतीकृत गांवों और अस्तित्वहीन गांवों पर उत्तर मौन था।

उचित क्षेत्र सर्वेक्षण और व्यापक डेटाबेस का रखरखाव परियोजना नियोजन की रीढ़ होती है। जेबीवीएनएल उचित क्षेत्र सर्वेक्षण करने या एक डेटाबेस बनाए रखने में विफल रहा जो अपात्र लाभार्थियों को विद्युत-संबंध मिलने और फिजूलखर्ची के जोखिम से भरा था। इस विफलता के लिए दोषी अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता है।

सारांश में, *जेबीवीएनएल ने लाभार्थियों की पहचान करने के लिए कभी भी क्षेत्र सर्वेक्षण नहीं किया और न ही उन्होंने विद्युतीकृत गांवों/घरों का एक मान्य डेटाबेस बनाया। नमूना-जांचित सात जिलों में विद्युतीकरण कार्य शुरू करने से पहले क्षेत्र सर्वेक्षण करते समय टर्न-की संवेदकों (टीकेसी) ने पाया कि 260 विद्युतीकृत गांवों और 678 अस्तित्वहीन गांवों को डीपीआर में शामिल किया गया था। जेबीवीएनएल चतरा, गढ़वा, लातेहार और पलामू जिलों में आरजीजीवीवाई (X पंचवर्षीय योजना) को पूरा न करने, दुमका और पश्चिमी सिंहभूम जिलों में आरईसी के साथ छूटे हुए बीपीएल परिवारों के मुद्दे को आगे बढ़ाने तथा सिमडेगा जिले की डीपीआर अपलोड*

नहीं करने में विफलता के कारण ₹ 182.68 करोड़ की भारत सरकार के अनुदान से वंचित हुआ। जेबीवीएनएल ने डीपीआर में कमियों को दूर करने के लिए आरईसीपीडीसीएल को ₹ 1.37 करोड़ का भुगतान किया, हालांकि इन 11 जिलों की डीपीआर छः से आठ महीने पहले ही किसी अन्य एजेंसी द्वारा प्रस्तुत की जा चुकी थी जिसके परिणामस्वरूप व्यर्थ व्यय हुआ।

अध्याय 3 ग्राम एवं गृह विद्युतीकरण

3.1 राज्य में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं की भौतिक प्रगति

3.1.1 आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना) और डीडीयुजीजेवाई

मार्च 2020 तक आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना)) और डीडीयुजीजेवाई के तहत कार्यों का लक्ष्य और उपलब्धि **तालिका 3.1** में दी गई है:

तालिका 3.1: आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना) और डीडीयुजीजेवाई के तहत कार्य का लक्ष्य और उपलब्धि

अवयव /योजना	आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना)			डीडीयुजीजेवाई		
	डीपीआर के अनुसार लक्ष्य	टीकेसी द्वारा सर्वेक्षण के बाद का लक्ष्य	उपलब्धि मार्च 2020	डीपीआर के अनुसार लक्ष्य	पुनरीक्षित लक्ष्य मार्च 2020	उपलब्धि मार्च 2020 (प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7
गांव जिसका विद्युतीकरण करना था	18,092	10,752	10,752	11,788	17,430	15,750 (90.36)
बीपीएल विद्युत-संबंध	4,71,971	2,71,670	2,71,670	3,38,401	3,53,587	3,50,454 (99.11)
एपीएल विद्युत-संबंध	7,07,505	95,768	95,631	5,13,632	3,62,137	3,62,034 (99.97)

(स्रोत: जेबीवीएनएल द्वारा प्रस्तुत आंकड़ा)

उपरोक्त तालिका टर्न-की संवेदकों (टीकेसी) द्वारा किए गए वास्तविक सर्वेक्षण के बाद प्राप्त लक्ष्य की तुलना में डीपीआर के अनुसार लक्ष्य में संभावित भिन्नता को दर्शाती है। हालांकि, टीकेसी को सौंपे गए ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य लगभग पूरे हो चुके थे। भिन्नताएं मुख्य रूप से पहले से विद्युतीकृत/अस्तित्वहीन गांवों को डीपीआर में शामिल करने के कारण पाई गई, जो बिना क्षेत्र-सर्वेक्षण के तैयार किए गए थे जैसा कि **कंडिका 2.4.3.** में वर्णित है।

3.1.2 सौभाग्या/एजीजेवाई/टीएमकेपीवाई/जेएसबीएवाई

लेखापरीक्षा ने देखा कि अक्टूबर 2017 से मार्च 2020 की अवधि के दौरान सौभाग्या के तहत 17,64,248 विद्युत-संबंध लक्ष्य के विरुद्ध कुल 9,65,109 विद्युत-संबंध (54.70 प्रतिशत) जारी किए गए थे, जबकि एजीजेवाई के तहत 3,64,500 विद्युत-संबंधों के लक्ष्य के विरुद्ध 1,85,593 विद्युत-संबंध (50.92 प्रतिशत) जारी किए गए। यद्यपि, जेएसबीवाई के अंतर्गत 6,41,377 विद्युत-संबंध के लक्ष्य के विरूद्ध जारी किए गए विद्युत-संबंधों की संख्या लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई। टीएमकेपीवाई के तहत् नदियों या नहरों में सिंचाई के लिए पानी की कमी के

कारण संभावित कृषि-उपभोक्ताओं से विद्युत-संबंध मांग की कमी के कारण 3,03,750 कृषि पंप विद्युत-संबंध के लक्ष्य के विरूद्ध कोई विद्युत-संबंध जारी नहीं किया गया।

3.2 ग्राम विद्युतीकरण और विद्युत्-संबंध जारी करना

विद्युत मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार, एक गांव को विद्युतीकृत माना जाता है यदि (i) दलित बस्तियों, जहां यह मौजूद हों, सहित बसे हुए इलाके में वितरण ट्रांसफार्मर और बिजली की लाइनें जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं; (ii) सार्वजनिक स्थानों जैसे स्कूलों, पंचायत कार्यालयों, स्वास्थ्य केंद्रों, औषधालयों, सामुदायिक केंद्रों आदि को बिजली प्रदान की जाती है; और (iii) विद्युतीकृत घरों की संख्या एक गांव के कुल घरों का कम से कम 10 प्रतिशत है जिसे 100 और उससे अधिक की आबादी वाले गांव/आबादी में सभी घरों को आच्छादित करने के लिए बढ़ाया जाता है।

3.2.1 ग्राम विद्युतीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति न होना

मार्च 2020 तक ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना) और डीडीयुजीजेवाई के तहत लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि **तालिका 3.2** में दी गई है:

तालिका 3.2: मार्च 2020 तक आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना) और डीडीयुजीजेवाई के तहत ग्राम विद्युतीकरण का लक्ष्य और उपलब्धि

जिला का नाम	आरजीजीवीवाई की स्थिति (XII पंचवर्षीय योजना)			डीडीयुजीजेवाई की स्थिति		
	डीपीआर के अनुसार लक्ष्य	बीओक्यू फ्रीजिंग/क्षेत्र सर्वेक्षण के बाद का लक्ष्य	उपलब्धि (प्रतिशत)	डीपीआर के अनुसार लक्ष्य	बीओक्यू फ्रीजिंग/क्षेत्र सर्वेक्षण के बाद का लक्ष्य	उपलब्धि (प्रतिशत)
धनबाद	1,010	619	619 (100)	277	339	339 (100)
देवघर	1,793	1,686	1,686 (100)	470	543	543 (100)
पाकुड़	1,158	615	615(100)	243	506	350 (69)
पलामू	आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना) में शामिल नहीं है			1,244	1,711	1,180 (69)
गिरिडीह	2,234	954	942(99)	1,329	1,665	1,540 (92)
दुमका	आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना) में शामिल नहीं है			714	2,633	2,626 (99)
राँची	1,269	741	741(100)	832	528	528 (100)
कुल	**7,464**	**4,615**	**4,603**	**5,109**	**7,925**	**7,106 (89.67)**

(स्रोत: जेबीवीएनएल के ईएससी द्वारा प्रस्तुत डीपीआर और डेटा से संकलित)

जैसा कि **तालिका 3.2** में दिखाया गया है, तीन जिलों में डीडीयुजीजेवाई के तहत गांवों का विद्युतीकरण कार्य धीमा था और मार्च 2020 तक प्रगति 69 से 100

प्रतिशत के बीच थी, हालांकि इन्हें जुलाई 2019 और दिसंबर 2019 के बीच पूरा किया जाना था। विलंब का कारण मुख्य रूप से संवेदक के अनुमोदन में विलंब, गारंटीकृत तकनीकी मानकों (जीटीपी) और आरेख के अनुमोदन में विलंब, सामग्री निरीक्षण निकासी प्रमाण पत्र जारी करने में विलंब, संयुक्त माप प्रमाण-पत्र (जेएमसी) जारी करने में विलंब, देर से भुगतान, बीओक्यू को फ्रीज करने में विलंब, जेबीवीएनएल द्वारा संवेदकों को गांवों की सूची देर से जमा करना, परियोजना निगरानी एजेंसी (पीएमए) की नियुक्ति जनशक्ति की कमी और बीओक्यू जमा करने में विलंब, दोषों का सुधार, वन मंजूरी आवेदन जमा करना, साइट कार्यालयों को अंतिम रूप देना, परियोजना प्रबंधकों की नियुक्ति, सामग्री की कमी, जनशक्ति की कमी, कार्य निष्पादन की धीमी गति, टीकेसी आदि द्वारा कार्य पूरा किए बिना जेएमसी प्रस्तुत करना था। लेखापरीक्षा की तिथि (मार्च 2020) तक कार्य समाप्त नहीं होने का कारण, धीमी निष्पादन के कारण पाकुड़ और पूर्वी सिंहभूम के टीकेसी को रद्द (जनवरी 2019) करना तथा उसके कारण पुनर्निविदा एवं कार्यों का पुनरावंटन (मार्च 2019) था।

अवलोकन को स्वीकार करते हुए (मई/अक्टूबर 2021) प्रबंधन/विभाग ने कहा कि विलंब प्रक्रियात्मक कारणों से हुई थी और आश्वासन दिया कि जेबीवीएनएल भविष्य में इस तरह की विलंब को कम करेगा।

3.2.2 विद्युत-संबंध के लक्ष्य की प्राप्ति न होना

आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना)/डीडीयुजीजेवाई के दिशा-निर्देशों के अनुसार, बीपीएल परिवारों को एक एलईडी लैंप के साथ मुफ्त विद्युत-संबंध प्रदान किया जाना था जबकि एपीएल परिवारों को सशुल्क विद्युत-संबंध प्रदान किया जाना था। मार्च 2020 तक बीपीएल और एपीएल विद्युत-संबंध के लक्ष्य और उपलब्धियां **तालिका 3.3** में दी गई हैं:

तालिका 3.3: मार्च 2020 तक आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना) और डीडीयुजीजेवाई के तहत विद्युत-संबंध का लक्ष्य और उपलब्धि

जिला का नाम	आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना) की स्थिति				डीडीयुजीजेवाई की स्थिति			
	बीपीएल		एपीएल		बीपीएल		एपीएल	
	लक्ष्य	उपलब्धि (प्रतिशत)	लक्ष्य	उपलब्धि (प्रतिशत)	लक्ष्य	उपलब्धि (प्रतिशत)	लक्ष्य	उपलब्धि (प्रतिशत)
धनबाद	17,858	13,332 (*85*)	0	1,212(-)	16,000	11,077 (*69*)	2,000	3,944 (*197*)
देवघर	24,603	17,731(*72*)	-	-	5,718	3,152 (*55*)	14,312	12,417 (*97*)
पाकुड़	21,944	16,183(*74*)	-	-	1,457	25	-	-
पलामू	आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना) में शामिल नहीं है				74,613	28,228 (*38*)	-	-
गिरिडीह	17,000	13,620(*80*)	4,000	4,000 (*100*)	38,984	31,630 (*81*)	36,614	19,210 (*52*)
दुमका	आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना) में शामिल नहीं है				4,422	10,492 (*237*)	0	5,528 (-)
राँची	23,331	23,331(*100*)	2,831	2,269 (*80*)	13,111	13,111 (*100*)	8,374	8,374 (*100*)
कुल	**1,04,736**	**84,197**	**6,831**	**7,481**	**1,54,305**	**97,715**	**61,300**	**49,473**

(स्रोत: जेबीवीएनएल के ईएससी द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से संकलित)

तालिका 3.3 से, यह देखा जा सकता है कि आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना) के तहत लक्ष्य के विरुद्ध 80 प्रतिशत बीपीएल और 110 प्रतिशत एपीएल विद्युत-संबंध जारी किए गए थे, जबकि डीडीयुजीजेवाई के तहत 63 प्रतिशत बीपीएल और 81 प्रतिशत एपीएल विद्युत-संबंध जारी किए गए थे। ग्राम विद्युतीकरण में विलम्ब के कारण जैसा कि **कंडिका 3.2.1** में चर्चा की गई है, लाभार्थियों को विद्युत-संबंध प्रदान करने में विलम्ब हुआ। यह भी देखा गया कि टीकेसी को संभावित लाभार्थियों की सूची उपलब्ध कराने में जेबीवीएनएल की विफलता के कारण एपीएल विद्युत-संबंधों में और विलंब हुआ। धनबाद और दुमका में डीडीयुजीजेवाई के तहत एपीएल और बीपीएल विद्युत-संबंध के लिए उपलब्धि उसके लक्ष्य से अधिक थी जो दर्शाता है कि क्षेत्र सर्वेक्षण ठीक से नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि 12,826 विद्युत-संबंध[26] के लक्ष्य के विरुद्ध सार्वजनिक स्थानों पर 5,204 विद्युत-संबंध[27] जारी किए गए, डीडीयुजीजेवाई के अंतर्गत 95,568 बिना मीटर[28] वाले विद्युत-संबंधों को मीटर विद्युत-संबंध में परिवर्तित किया गया और 2,352 खराब मीटरों[29] को बदला गया।

यद्यपि योजना निर्देशिका के अनुसार केवल बीपीएल उपभोक्ताओं को नि:शुल्क विद्युत-संबंध प्रदान करना था। फिर भी जेबीवीएनएल ने दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए एपीएल उपभोक्ताओं को 56,954 विद्युत-संबंध नि:शुल्क जारी किए जिस पर जेबीवीएनएल ने ₹ 15.85 करोड़[30] का परिहार्य व्यय किया।

प्रबंधन/विभाग ने बीपीएल और एपीएल विद्युत-संबंध के लक्ष्यों को प्राप्त न करने के संबंध में लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए (मई/अक्टूबर 2021) कहा कि सौभाग्या दिशानिर्देशों के अनुसार एपीएल उपभोक्ताओं को विद्युत-संबंध प्रत्येक एपीएल से ₹ 500 या ₹ 50 की 10 किश्तों का भुगतान प्राप्त करने के बाद जारी किए गए थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ये विद्युत-संबंध आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना) और डीडीयुजीजेवाई के तहत मानदंडों का उल्लंघन करते हुए बिना कोई भुगतान प्राप्त किए जारी किए गए थे। प्रत्येक एपीएल उपभोक्ता से ₹ 500 या ₹ 50 की 10 किश्तों की प्राप्ति के संबंध में कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया।

---

[26] देवघर (526), धनबाद (625), दुमका (96), गिरिडीह (3602), पलामू (3438), पाकुड़ (2137) और राँची (2382)

[27] देवघर (246), धनबाद (238), दुमका (874), गिरिडीह (1065), पलामू (1976), पाकुड़ (432) और राँची (373)।

[28] गिरिडीह (27348), देवघर (5809), धनबाद (18179), पाकुड़ (616), राँची (36500) पलामू (4334) और दुमका (2782)

[29] गिरिडीह (1061), धनबाद (1291)

[30] 56954x ₹ 2784 (नए विद्युत-संबंध प्रदान करने की औसत दर) = ₹ 15.85 करोड़।

3.2.3 प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-सौभाग्या

योजना के अंतर्गत निर्धारित श्रेणी [31]के परिवारों को नि:शुल्क विद्युत-संबंध दिया जाना था। सात मदों[32] में से कम से कम एक अभाव वाले परिवारों को निःशुल्क विद्युत-संबंध के लिए चिन्हित किया जाना था। डीडीयुजीजेवाई के तहत आच्छादित न किए गए बिजली से वंचित कोई भी बीपीएल परिवार नि:शुल्क विद्युत-संबंध के लिए पात्र थे। उपर्युक्त श्रेणियों में शामिल नहीं किए गए अविद्युतीकृत परिवारों को ₹ 500 प्रति विद्युत-संबंध के भुगतान पर विद्युत-संबंध प्रदान किया जाना था, जिसे ऊर्जा बिलों के साथ ₹ 50 की 10 मासिक किश्तों में वसूल किया जाना था।

इसके अलावा, जेबीवीएनएल ने सभी जीएम-सह-मुख्य अभियंता, ईएसए और डीजीएम-सह-नोडल अधिकारियों को सौभाग्या दिशानिर्देशों के अनुसार विद्युत-संबंध जारी करने का निर्देश (अप्रैल 2018) दिया। इसके लिए गांवों में सर्वेक्षण कराया जाना था ताकि नि:शुल्क या सशुल्क विद्युत-संबंध के लिए पात्र ग्रामीण परिवारों की सूची तैयार की जा सके। नि:शुल्क विद्युत-संबंध प्रदान करने के लिए, जेबीवीएनएल (अप्रैल 2018) ने संवेदकों को भुगतान किए जाने के लिए करों सहित अधिकतम ₹ 3,000 की दर निर्धारित की। तथापि, कार्यादेश देने से पहले संबंधित उप-महाप्रबंधकों द्वारा दरों की तर्कसंगतता का आकलन किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि सात नमूना-जांचित जिलों में मार्च 2020 तक सौभाग्या के अंतर्गत 2,84,485 विद्युत-संबंध जारी किए गए थे। इनमें से आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना) और डीडीयुजीजेवाई में लगे टीकेसी ने ईएससी के मौखिक अनुरोध पर 23,248 एपीएल विद्युत-संबंधों सहित 28,930 विद्युत-संबंध[33] जारी किए, जिसके लिए कोई कार्यादेश जारी नहीं किए गए थे। शेष 2,55,555 विद्युत-संबंध सौभाग्या के तहत जेबीवीएनएल और ईएससी द्वारा जारी किए गए कार्यादेशों के विरुद्ध एजेंसियों द्वारा जारी किए गए थे जैसा कि **तालिका 3.4** में दिया गया है:

---

31 आश्रय विहीन परिवार, भिक्षा में रहने वाले निराश्रित व्यक्ति, हाथ से मैला ढोने वालों का परिवार, आदिम आदिवासी समूह, कानूनी रूप से रिहा किए गए बंधुआ मजदूर।

32 (i) केवल एक कमरे, कच्ची दीवार और कच्ची छत वाले परिवार, (ii) 16 से 59 वर्ष की आयु के बीच कोई वयस्क सदस्य नहीं वाले परिवार, (iii) 16 से 59 वर्ष की आयु के बीच कोई वयस्क पुरुष सदस्य वाले महिला मुखिया वाले परिवार (iv) विकलांग सदस्य और कोई सक्षम वयस्क सदस्य वाले परिवार (v) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के परिवार, (vi) 25 वर्ष से अधिक के साक्षर वयस्क वाले परिवार और (vii) भूमिहीन परिवार अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा शारीरिक रूप से आकस्मिक श्रम से प्राप्त करते हैं।

33 देवघर (24,930) और राँची (4,000)

तालिका 3.4: कार्यादेश के विरुद्ध संवेदक द्वारा जारी किए गए विद्युत-संबंधों की विवरणी

जिला	कार्यादेश के अनुसार मात्रा	बीपीएल विद्युत-संबंध दिया गया	एपीएल विद्युत-संबंध दिया गया	कुल उपलब्धि	कमी
धनबाद	20,900	3,937	2,335	6,272	14,628
देवघर	19,000	2,638	3,923	6,561	12,439
पाकुड़	67,377	142	18,258	18,400	48,977
पलामू	1,25,821	753	72,714	73,467	52,354
गिरिडीह	58,064	16,125	24,591	40,716	17,348
दुमका	58,711	1982	55,363	57,345	1,366
राँची	56,323	4,300	48,494	52,794	3,439
कुल	**4,06,196**	**29,877**	**2,25,678**	**2,55,555**	**1,50,551**

(स्रोत: जेबीवीएनएल के ईएससी द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से संकलित)

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि:

- जेबीवीएनएल ने संवेदक को आदेश देने से पहले उचित सर्वेक्षण के माध्यम से सौभाग्या के तहत नि:शुल्क विद्युत-संबंध के लिए पात्र लाभार्थियों का मूल्यांकन सुनिश्चित नहीं किया। इसके बजाय, संवेदक को विद्युत-संबंध का लक्ष्य दिया गया था, जिसके विरुद्ध उन्होंने अपने स्वयं के आकलन के अनुसार नि:शुल्क विद्युत-संबंध जारी किए। यह देखा गया कि सौभाग्या के तहत नमूना-जांचित जिलों (**तालिका 3.4**) में 4,06,196 घरेलू विद्युत-संबंध जारी किए जाने थे, जो कि 3,31,234 विद्युत-संबंधों[34] के संयुक्त लक्ष्य से अधिक था। यह इंगित करता है कि जेबीवीएनएल ने डीडीयुजीजेवाई के लक्ष्य के तहत गैर-विद्युतीकृत ग्रामीण परिवारों के एक बड़े हिस्से को आच्छादित नहीं किया, हालांकि इस योजना में सभी ग्रामीण घरों में विद्युत-संबंध की परिकल्पना की गई थी।

- यह देखा गया कि सौभाग्या के तहत 32,603 विद्युत-संबंध[35], संवेदकों को कार्यादेश जारी करने (नवंबर 2018 और फरवरी 2019 के बीच) से एक से 26 महीने पहले (जनवरी 2017 और फरवरी 2019 के बीच) जारी किए गए थे। इनमें आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना) के तहत काम कर रहे टीकेसी द्वारा जारी किए गए 17,760 विद्युत-संबंध शामिल थे, जिनमें मान्य दर ₹ 2,839 और ₹ 3,000 प्रति विद्युत-संबंध के बीच थी। इसी प्रकार डीडीयुजीजेवाई के टीकेसी द्वारा 13,928 विद्युत-संबंध जारी किए गए, जहां प्रति विद्युत-संबंध मान्य दर ₹ 2,024 से ₹ 2,425 के बीच थी। शेष 915 विद्युत-संबंधों को अन्य संवेदकों द्वारा जारी किए जाने के रूप में सूचित किया गया था जो विद्युत-संबंध जारी करने से संबंधित किसी अन्य योजना के तहत काम नहीं कर रहे थे। कार्यादेश देने से पहले संवेदकों द्वारा विद्युत-संबंध जारी किया जाना संवेदकों और जेबीवीएनएल के अधिकारियों की मिलीभगत को इंगित करता है।

---

[34] आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना): 1,15,629 और डीडीयुजीजेवाई: 2,15,605

[35] धनबाद: 862, गिरिडीह: 21308, दुमका: 755, पलामू: 6694, पाकुड़: 500 और राँची: 2484

लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी के संबंध में लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए (मई/अक्टूबर 2021), प्रबंधन/ विभाग ने कहा कि कमी मुख्य रूप से अनिच्छुक उपभोक्ताओं की बड़ी संख्या, बुनियादी ढांचे की कमी के साथ-साथ कार्यक्षेत्र में संशोधन के कारण थी। तथापि, कार्यादेश जारी करने से पूर्व जारी किए गए संवेदकों और विद्युत-संबंधों को आदेश देने से पूर्व उचित सर्वेक्षण के माध्यम से सौभाग्या के अंतर्गत नि:शुल्क विद्युत-संबंध के लिए पात्र लाभार्थियों के गैर-आकलन पर उत्तर मौन था।

उपभोक्ताओं की अनिच्छा के संबंध में उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जेबीवीएनएल ने संभावित लाभार्थियों की पहचान और सूची तैयार किए बिना टीकेसी को कार्य सौंप दिया था।

3.2.4 अटल ग्राम ज्योति योजना (एजीजेवाई)

भारत सरकार ने अटल ग्राम ज्योति योजना (एजीजेवाई) शुरू की (अप्रैल 2015), जिसके तहत एक वर्ष में 30 गांवों के 50 एपीएल परिवारों को लगातार तीन वर्षों तक नि:शुल्क विद्युत-संबंध जारी किया जाना था। प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित विधानसभा सदस्य (एमएलए) द्वारा गांवों और घरों का चयन किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि जेबीवीएनएल ने दो योजनाओं के कार्यक्षेत्र को मिलाकर क्रमशः एजीजेवाई और टीएमकेपीवाई के तहत 3,64,500 एपीएल विद्युत-संबंध और 3,03,750 कृषि पंप विद्युत-संबंध[36] प्रदान करने के लिए तीन टीकेसी[37] को ₹ 271.90 करोड़[38] के कार्यादेश जारी किए (मई 2016 और अगस्त 2016)। कार्य कार्यादेश जारी होने की तिथि से 12 माह के भीतर पूर्ण किये जाने थे। टीकेसी ने कृषि पंप विद्युत-संबंध प्रदान नहीं किए क्योंकि संभावित कृषि उपभोक्ताओं से आवेदन प्राप्त नहीं हुए थे। हालांकि, अक्टूबर 2018 तक 1,85,593 एपीएल विद्युत-संबंध प्रदान किए गए थे। जेबीवीएनएल द्वारा अनुबंधों को अंततः समाप्त (अक्टूबर 2018) कर दिया गया क्योंकि टीकेसी ने मुख्य रूप से जेबीवीएनएल द्वारा गांवों की सूची प्रस्तुत करने में विलंब के कारण अनुबंध को आगे बढ़ाने में असमर्थता व्यक्त की थी।

इसके अलावा, टीकेसी ने 75,104 मीटर-विहीन विद्युत-संबंधों को कार्य के दायरे से बाहर मीटर वाले विद्युत-संबंधों में परिवर्तित कर दिया और ₹ 30.21 करोड़ के भुगतान का दावा किया जिसका निष्पादन किया जाना बाकी है (अक्टूबर 2020)।

---

[36] 50 x 25 x 81 x 3 = 3,03,750

[37] विजय इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (ईएसए गिरिडीह, मेदनीनगर और राँची), बेंटेक इंडिया लिमिटेड (ईएसए हजारीबाग, जमशेदपुर और धनबाद) और इंडो नबिन प्रोजेक्ट लिमिटेड (ईएसए दुमका)

[38] इएसए गिरिडीह (₹ 19.60 करोड़), पलामू (₹ 29.40 करोड़), राँची (₹ 63.49 करोड़), हजारीबाग (₹ 27.39 करोड़), जमेशदपुर (₹ 43.54 करोड़), धनबाद (₹ 30.43 करोड़) तथा दुमका (₹ 58.05 करोड़)

डीडीयुजीजेवाई के तहत समान कार्य के लिए ₹ 2,958 प्रति विद्युत-संबंध (मीटर-विहीन विद्युत-संबंध का मीटर विद्युत-संबंध में परिवर्तन) की स्वीकृत दर पर गणना के अनुसार दावा राशि केवल ₹ 22.22 करोड़ होनी चाहिए थी। इस प्रकार, विद्युत-संबंध न केवल कार्य के दायरे से बाहर थे, बल्कि बढ़े हुए दावे को स्वीकार करने पर ₹ 7.99 करोड़ की परिहार्य देयता का निर्माण भी हो सकता था।

नमूना-जांचित सात जिलों में विधायकों द्वारा की गई अनुशंसाओं के संबंध में जारी किए गए विद्युत-संबंधों का विवरण **तालिका 3.5** में दिया गया है:

तालिका 3.5: नमूना-जांचित जिलों में जारी किए गए विद्युत-संबंधों का विवरण

जिला का नाम	विधायी निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	प्रति वर्ष 30 गांवों की दर से लिए जाने वाले	विधायकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची में गांवों की संख्या	विद्युत-संबंध जो जारी करना था	विद्युत-संबंध जो जारी किया गया
धनबाद	6	540	शून्य	27,000	6,896
देवघर	3	270	28	13,500	8,777
गिरिडीह	6	540	शून्य	27,000	27,990
पाकुड़	3	270	शून्य	13,500	शून्य
पलामू	5	450	262	22,500	8,812
दुमका	4	360	शून्य	18,000	शून्य
राँची	7	630	शून्य	31,500	27,737
कुल	**34**	**3060**	**290**	**1,53,000**	**80,212**

(स्रोत: योजना दिशानिर्देशों से संकलित और जेबीवीएनएल के ईएससी द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से)

तालिका 3.5 से देखा जा सकता है कि 31,500 विद्युत-संबंधों के लक्ष्य के विरुद्ध दो जिलों में कोई विद्युत-संबंध जारी नहीं किया गया था। इसके अलावा दो जिलों में, संबंधित विधायकों ने केवल गांवों की सूची प्रदान की, न कि घरों की हालांकि जेबीवीएनएल द्वारा अपने स्वयं के आकलन के अनुसार 17,589 विद्युत-संबंध जारी किए गए थे। शेष तीन जिलों में जेबीवीएनएल द्वारा संबंधित विधायकों की अनुशंसा के बिना 62,623 विद्युत-संबंध जारी किए गए।

प्रबंधन/विभाग ने कहा (मई/अक्टूबर 2021) कि निर्देशिका के अनुच्छेद 1 के अनुसार संबंधित विधायकों द्वारा केवल ग्राम सूची की सिफारिश की जानी है। प्रबंधन/विभाग ने यह स्वीकार करते हुए कि टीकेसी 31 अक्टूबर 2018 तक अनुबंध के पूर्ण लक्ष्य को पूरा करने में असमर्थ थे जो मुख्य रूप से एपीएल विद्युत-संबंध की कमी और सौभाग्या, डीडीयुजीजेवाई और XII योजना जैसी समानांतर चल रही योजनाओं के कारण था, कहा कि 75,104 मीटर-विहीन विद्युत् संबंधों को मीटर-युक्त करना निर्देशिका के अनुच्छेद 4 के अनुसार, कार्य के कार्य-क्षेत्र से बाहर नहीं थे। आगे यह भी बताया गया कि डीडीयुजीजेवाई के अंतर्गत काम के लिए दर उसी काम (मीटर-विहीन विद्युत-संबंध) के लिए दर से अधिक थी क्योंकि एजीजेवाई के तहत 4 वर्ग मिमी सर्विस केबल का इस्तेमाल किया गया था जबकि डीडीयुजीजेवाई में 2.5 वर्ग मिमी सर्विस केबल का इस्तेमाल किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि झारखण्ड सरकार द्वारा स्वीकृत योजना के अनुसार लाभार्थियों की सूची संबंधित विधायकों द्वारा उपलब्ध करायी जानी थी। इसके अलावा, झारखण्ड सरकार के तहत स्वीकृत योजना केवल उन गांवों में नए एपीएल विद्युत-संबंध प्रदान करने के लिए थी जहां आरजीजीवीवाई के तहत बुनियादी ढाँचा पूरा किया गया था। यह भी देखा गया कि सौभाग्या योजना के तहत 2.5 वर्ग मिमी सर्विस केबल के बजाय 4 वर्ग मिमी के उपयोग के कारण अंतर केवल ₹ 254 प्रति विद्युत-संबंध था। इसके अलावा, अंतर राशि पर विचार करने के बाद भी, सृजित परिहार्य देयता ₹ 6.08 करोड़[39] होगी।

3.2.5 जेएसबीएवाई के अंतर्गत जिलों में विद्युत-संबंध की मीटरीकरण

जेबीवीएनएल ने ईएसए के जीएम-सह-मुख्य अभियंता और ईएससी के डीजीएम-सह-नोडल अधिकारियों को जेएसबीएवाई के अंतर्गत मीटर-विहीन विद्युत-संबंधों को मीटर विद्युत-संबंध में बदलने के लिए मीटर और मीटर बॉक्स की आपूर्ति करने का निर्देश (फरवरी 2018) दिया। तदनुसार, संवेदकों को कार्यादेश दिए गये जिनमें सर्विस किट के साथ विद्युत-संबंध प्रदान करना था।

जेएसबीएवाई के तहत मीटर-विहीन विद्युत-संबंध के बदले बिजली मीटर लगाने के कार्य की स्थिति **तालिका 3.6** में दी गई है:

तालिका 3.6: विद्युत मीटर लगाने के कार्य की स्थिति

जिला	कार्यादेश के अनुसार मात्रा	प्रति संबंध दर (₹)	उपलब्धि	कमी
धनबाद	45,342	1,905	27,787	19,255
देवघर	95,640	1,905	0	95,640
पाकुड़	5,500	1,890	2,091	3,409
गिरिडीह	40,500	1,920	9,875	30,625
दुमका	10,000	1,920	7,999	2,001
राँची	41,866	1,815	4,558	37,328
कुल	**2,38,848**		**52,310**	**1,88,258**

(स्रोत: जेबीवीएनएल के ईएससी द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से संकलित)

तालिका 3.6 से यह देखा जा सकता है कि एजेंसियों ने 2,38,848 मीटर-विहीन विद्युत-संबंधों को मीटर-युक्त विद्युत-संबंधों में परिवर्तित करने के कार्यादेशों के विरुद्ध केवल 52,310 मीटर-विहीन विद्युत-संबंधों को मीटर संबंध में परिवर्तित किया। यद्यपि, कार्य सौंपे जाने की तिथि (मई 2019 और अक्टूबर 2019 के बीच) से दो महीने के भीतर (जुलाई 2019 और दिसंबर 2019 के बीच) काम पूरा किया जाना था, मार्च 2020 तक एक से नौ महीने का विलंब था क्योंकि डीजीएम ने उपभोक्ताओं की सूची संवेदकों को उपलब्ध नहीं कराया।

---

[39] ₹ 7.99 करोड़ - ₹ 1.91 करोड़ (75104 X ₹ 254)

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि:

- राँची, गिरिडीह और पलामू जिलों में फरवरी 2019 से नवंबर 2019 के बीच कार्य आवंटन (अप्रैल 2019 से नवंबर 2019 के बीच) के पूर्व ही 4,016 बिना मीटर[40] वाले संबंधों को संवेदकों द्वारा मीटर विद्युत-संबंध में बदला गया।

- पलामू जिले में डीजीएम ने 200 खराब मीटर संबंध को श्रमिक लागत के रूप में ₹ 442 प्रति विद्युत-संबंध की दर से मीटर विद्युत-संबंध में बदलने का कार्यादेश (अक्टूबर 2019) जारी किया। तथापि, उपलब्धि का विवरण लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था।

- टीकेसी (दिसंबर 2019) ने ₹ 442 प्रति विद्युत-संबंध की दर से श्रमिक लागत के रूप में 200 विद्युत-संबंधों के आवंटन (अक्टूबर 2019) के विरुद्ध 200 ख़राब/मीटर-विहीन विद्युत-संबंधों को बदला। इसके अलावा, टीकेसी[41] (दिसंबर 2019) ने बिना किसी आवंटन आदेश के 2,300 विद्युत-संबंधों के विरुद्ध 294 ख़राब/मीटर-विहीन विद्युत-संबंधों को बदला।

- छः जिलों के 160 उपभोक्ताओं[42], जिन्हें मीटर-युक्त विद्युत-संबंध (मार्च 2019 और दिसंबर 2019 के बीच) प्रदान किया गया था, के बिलों की नमूना-जांच (मई और जून 2020) में पता चला कि 150 उपभोक्ताओं का औसत आधार पर बिल किया गया था। इसके अलावा, जेबीवीएनएल के बिलिंग पोर्टल पर 10 उपभोक्ताओं को अमान्य दिखाया गया था। इस प्रकार, मीटर-युक्त विद्युत-संबंध प्रदान करने अर्थात वास्तविक बिल प्रदान करने और परिणामस्वरूप शुद्ध ऊर्जा लेखांकन का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

प्रबंधन/विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा (मई/अक्टूबर 2021) कि जेबीवीएनएल के पास मीटर की अनुपलब्धता के कारण काम में विलंब हुआ है। आगे यह भी कहा गया कि जेबीवीएनएल उपभोक्ताओं की सूची सवेद्कों को उपलब्ध करा रहा था तथा संवेदकों के विरूद्ध अर्थदण्ड लगाया गया है।

मीटर की अनुपलब्धता के संबंध में प्रबंधन/विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 2,38,848 खराब/मीटर-विहीन विद्युत-संबंध को मीटर विद्युत-संबंध में बदलने के लिए कार्यादेश जारी होने की तिथि को संबंधित आपूर्ति स्टोर में 3,44,032 मीटर[43] उपलब्ध थे। इसके अतिरिक्त, उपभोक्ताओं की सूची उपलब्ध कराने तथा विलम्बित कार्य के लिए अर्थदण्ड लगाने के संबंध में उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रबंधन/विभाग ने कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। मीटर

---

40 राँची (3350), गिरिडीह (589) एवं पलामू (77)

41 मेसर्स पाण्डेय कंस्ट्रक्शन (500), मेसर्स मनीष ओझा कंस्ट्रक्शन (500), मेसर्स आसिफ पावर टेक्नोलॉजीस (1000), मेसर्स जे राम एंड संस इलेक्ट्रिकल (200) और मेसर्स श्री राम इलेक्ट्रिकल (100)

42 राँची, धनबाद, पाकुड़ और दुमका प्रत्येक जिले में 25 और पलामू (21) और गिरिडीह (39)

43 धनबाद (46,800), देवघर (95,992), पाकुड़ (9,000), गिरिडीह (75,800), दुमका (23,000) और राँची (93,440)

लगाने के बाद भी औसत आधार पर बिलिंग और कार्यादेश देने से पहले मीटर-विहीन विद्युत-संबंध को मीटर विद्युत-संबंध में बदलने पर भी जवाब मौन है।

3.2.6 जेएसईआरसी विनियमों के अनुसार विद्युत-संबंधों की बिलिंग न करना

झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग (जेएसईआरसी) विनियम, 2015 के खंड 10.1.7 के अनुसार, पहला बिल नए विद्युत-संबंध को विद्युतीकरण करने के दो बिलिंग चक्रों के भीतर दिया जाएगा। खंड 10.1.4 के अनुसार, सभी श्रेणियों के मीटर आधारित बिलिंग के संबंध में बिल दो महीने से अधिक की अवधि पर जारी नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा, जून 2017 के आदेश के अनुसार, संबंधित विद्युत आपूर्ति उप-प्रमंडल के कनिष्ठ विद्युत अभियंता (जेईई) बिलिंग मॉड्यूल के लिए विद्युत-संबंध प्रतिवेदन अपलोड करने के लिए जिम्मेदार थे। लेखापरीक्षा ने बिलिंग में निम्नलिखित अनियमितताओं को देखा:

- जैसा कि **कंडिका 3.2.2** में चर्चा की गई है, नमूना-जांचित सात जिलों में आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना) और डीडीयुजीजेवाई के तहत कुल 2,38,866 विद्युत-संबंध जारी किए गए थे। हालांकि, मई 2020 के मौजूदा उपभोक्ताओं के आंकड़ों की तुलना आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना) और डीडीयुजीजेवाई के अंतर्गत जारी किए गए विद्युत-संबंधों से करने पर, यह देखा गया कि केवल 1,35,301 उपभोक्ताओं[44] (57 प्रतिशत) को बिल निर्गत किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त, 288 उपभोक्ताओं[45] के अभिलेखों की समीक्षा से पता चला कि बिलिंग संबंध जारी होने की तिथि से दो से 27 महीनों के बीच की विलंब से शुरू की गई थी। शेष 1,03,509 उपभोक्ताओं के लिए ₹ 28.82 करोड़[46] का व्यय करने के बाद भी मई 2020 तक बिल निर्गत नहीं किया जा रहा था।

बिलिंग में विलंब के परिणामस्वरूप या तो ऊर्जा शुल्क की वसूली नहीं हो सकेगी या विशेष रूप से बीपीएल उपभोक्ता, भारी बकाया की मांग पर भुगतान करने में सक्षम नहीं होंगे।

- इसके अलावा, डीडीयुजीजेवाई के अंतर्गत बिना मीटर/खराब मीटर विद्युत-संबंध[47] के बदले 97,920 मीटर लगाए गए थे। ऐसे 200 उपभोक्ताओं[48] की नमूना-जांच से पता चला कि 182 उपभोक्ताओं का बिल (जुलाई 2020) नए मीटरों की

---

[44] धनबाद (12113), देवघर (13216), गिरिडीह (50124), दुमका (15467), राँची (21854), पलामू (13643) और पाकुड़ (8884)

[45] राँची (43), देवघर (71), गिरिडीह (82) दुमका (33), पलामू (29) और पाकुड़ (30)

[46] 1,03,509 x ₹ 2784 (आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना) और डीडीयुजीजेवाई के अंतर्गत नया विद्युत-संबंध प्रदान करने की औसत दर) = ₹ 28.82 करोड़

[47] गिरिडीह (28409), देवघर (5809), धनबाद (19470), पाकुड़ (616), राँची (36500), दुमका (2782) और पलामू (4334)

[48] देवघर (25), गिरिडीह (50), राँची (25), धनबाद (25), दुमका (25), पलामू (25) और पाकुड़ (25)

स्थापना की तिथि से आठ से 23 माह बीत जाने के बाद भी वास्तविक मीटर रीडिंग के बजाय औसत आधार पर लिया जा रहा था, जबकि 12 उपभोक्ताओं को बिलिंग पोर्टल पर अमान्य दिखाया गया था। इस प्रकार, बिना मीटर/खराब मीटर विद्युत-संबंधों के बदले नए मीटरों की स्थापना पर ₹ 28.65 करोड़[49] का व्यय करने के बाद भी, जेबीवीएनएल वास्तविक ऊर्जा शुल्क वसूल करने के लिए मीटर आधारित बिलिंग सुनिश्चित नहीं कर सका।

सात नमूना-जांचित जिलों के 26 गांवों के 138 लाभार्थियों के सर्वेक्षण (सितंबर 2019 और मार्च 2020 के बीच) से पता चला कि इन गांवों का अगस्त 2017 से सितंबर 2019 के दौरान विद्युतीकरण किया गया था, लेकिन तीन से 28 महीने बीत जाने के बाद भी किसी भी लाभार्थी को बिल प्राप्त नहीं हुआ था।

- विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56 (2) के अनुसार, किसी भी उपभोक्ता से देय राशि उस तिथि, जब वह राशि प्रथम बार देय हुई, से दो साल की अवधि के बाद वसूलनीय नहीं होगी जब तक कि आपूर्ति की गई बिजली के लिए बकाया शुल्क के रूप में ऐसी राशि को लगातार वसूलनीय बकाया के रूप में नहीं दिखाया गया हो और लाइसेंसधारी बिजली की आपूर्ति बंद नहीं करेगा। आरजीजीवीवाई (X पंचवर्षीय योजना) की समापन प्रतिवेदन की जांच से पता चला कि नमूना-जांचित सात जिलों में से छ: में 2008 से 2012 के दौरान बीपीएल उपभोक्ताओं को 3,96,873 मीटर विद्युत-संबंध[50] जारी किए गए थे। इन उपभोक्ताओं को डीएस-i(ए) टैरिफ के तहत वर्गीकृत किया गया था। जेबीवीएनएल दो जिलों[51] के उपभोक्ताओं का विवरण प्रस्तुत नहीं कर सका और इसलिए, चार जिलों के 2,33,673 मीटर उपभोक्ताओं[52] की बिलिंग स्थिति की जांच की गई।

उपभोक्ता बही-खातों की समीक्षा[53] से पता चला कि 2,33,673 उपभोक्ताओं में से केवल 1,05,291 उपभोक्ताओं[54] का ही बिलिंग किया जा रहा था, वह भी औसत आधार पर। इस प्रकार, जेएसईआरसी विनियम 2015 के खंड 10.1.7 का उल्लंघन करते हुए 1,28,382 उपभोक्ताओं[55] का बिलिंग नहीं किया जा रहा था। इन

[49] ₹ 2958 प्रति मीटर की दर से 95568 मीटर और ₹1617 मीटर की दर से 2352 मीटर जो ₹ 28.65 करोड़ की गणना की गई

[50] धनबाद (33121), देवघर (29343), गिरिडीह (103259), दुमका (124054), राँची (67950) और पाकुड़ (39146)

[51] दुमका और पाकुड़

[52] धनबाद (33121), देवघर (29343), गिरिडीह (103259) और राँची (67950)

[53] धनबाद (अगस्त 2019), राँची (अगस्त 2019), देवघर (सितंबर 2019) और गिरिडीह (फरवरी 2019)

[54] धनबाद (1762), देवघर (17493), गिरिडीह (49783), और राँची (36253)

[55] 233673 घटाव 105291= 128382

उपभोक्ताओं का बिलिंग न करने से ₹ 141.61 करोड़[56] (जनवरी 2010 से जुलाई 2020) के राजस्व की हानि हुई, जिसमें से ₹ 67.09 करोड़[57] विद्युत अधिनियम की धारा 56(2) के तहत अब (जुलाई 2018 तक) वसूली योग्य नहीं है। इसके अलावा, इन 1,28,382 उपभोक्ताओं (₹ 1,809 प्रति विद्युत-संबंध की औसत दर पर गणना) को मीटर विद्युत-संबंध प्रदान करने पर किया गया ₹ 23.22 करोड़ का व्यय मीटर आधारित बिलिंग के उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सका और बेकार हो गया। साथ ही 1,05,291 उपभोक्ताओं की बिलिंग मीटर-विहीन टैरिफ के अनुसार की जा रही थी। इस प्रकार इन उपभोक्ताओं के मीटर लगाने पर किया गया ₹11.15 करोड़[58] का व्यय भी व्यर्थ हो गया।

- इसी प्रकार, सौभाग्या के अंतर्गत प्रदान किए गए 2,84,485 विद्युत-संबंधों में से केवल 1,58,033 उपभोक्ताओं[59] का बिलिंग (मई 2020) किया जा रहा था जबकि ₹ 35.41 करोड़[60]खर्च करने के बाद भी 1,26,452 उपभोक्ताओं का बिलिंग नहीं किया जा रहा था। इसके अलावा, 143 उपभोक्ताओं[61] की विस्तृत जांच से पता चला कि विद्युत-संबंध जारी होने की तिथि से दो से 26 महीने बाद बिलिंग शुरू की गई थी।

जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, संबंधित जेईई आवश्यकतानुसार बिलिंग मॉड्यूल में सेवा संबंधी प्रतिवेदन अपलोड करने में विफल रहे जिसके कारण मीटरों की स्थापना पर व्यय अंततः व्यर्थ हुआ या राजस्व की हानि हुई क्योंकि प्रभारों की बकाया वसूली योग्य नहीं है।

प्रबंधन/विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए (मई/अक्टूबर 2021) कहा कि राजस्व शाखा लगातार नए संबंधों का पता लगाने और बिलिंग के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ काम कर रही है।

3.2.7 मीटर-विहीन विद्युत-संबंधों का मीटर-युक्त संबंधों में रूपांतरण नहीं किया जाना

जेएसईआरसी ने 2019-20 के लिए अपने टैरिफ आदेश (फरवरी 2019) में, अप्रैल 2019 से प्रभावी, मीटर-विहीन टैरिफ को वापस ले लिया था और जेबीवीएनएल को

---

[56] ₹ 10.71 करोड़ देवघर, ₹ 36.61 करोड़ धनबाद, ₹ 61.76 करोड़ गिरिडीह और ₹ 32.53 करोड़ राँची ने बिना मीटर वाले कुटीर ज्योति संबंध की गणना की।

[57] ₹ 5.25 करोड़ देवघर, ₹ 17.79 करोड़ धनबाद, ₹ 29.68 करोड़ गिरिडीह और ₹ 14.37 करोड़ राँची ने बिना मीटर वाले कुटीर ज्योति संबंध की दर से गणना की।

[58] ₹ 1809 घटाव ₹ 750 (बिना मीटर के विद्युत-संबंध का दर),

[59] धनबाद: 1682, देवघर: 7345, गिरिडीह: 27592, दुमका: 49927, पलामू 26431, पाकुड़: 10812 और राँची : 34244.

[60] 1,26,452 x ₹ 2800 (सौभाग्या के तहत नया विद्युत-संबंध प्रदान करने की औसत दर) = ₹ 35.41 करोड़।

[61] राँची (49), गिरिडीह (19), दुमका (25), पलामू (25) एवं पाकुड़ (25)

2018-19 के टैरिफ आदेश के अनुसार जून 2019 तक मीटर-विहीन विद्युत-संबंध के लिए बिलिंग करने की अनुमति दी थी, जिसे दिसंबर 2020 तक बढ़ा (अक्टूबर 2020) दिया गया था। इसके अलावा, जेएसईआरसी ने 2019-20 के अपने टैरिफ आदेश में घरेलू उपभोक्ताओं के मीटर-युक्त टैरिफ यानी डीएस-I(ए) और डीएस-I(बी) 2018-19 का टैरिफ आदेश की तुलना में क्रमशः 31 प्रतिशत और 21 प्रतिशत की वृद्धि की।

अप्रैल 2019 के राजस्व विवरण (आरएस-I) की लेखापरीक्षा समीक्षा से पता चला कि अप्रैल 2020 तक नमूना-जांचित सात जिलों में डीएस-I(ए) और डीएस-I(बी) श्रेणियों के तहत 8,48,445 मीटर-विहीन उपभोक्ता[62] थे। ये उपभोक्ता 2018-19 के टैरिफ आदेश के अनुसार बिलिंग किए जा रहे थे। जेबीवीएनएल मीटरीकरण में विलंब के कारण 2019-20 के टैरिफ आदेश के आधार पर बढ़ा हुआ टैरिफ पर बिलिंग करने के अवसर से वंचित हो गया।

प्रबंधन/विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा (मई/अक्टूबर 2021) कि सभी उपभोक्ताओं की मीटरीकरण की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी गई है।

3.2.8 संग्रह दक्षता

जेबीवीएनएल जेएसईआरसी द्वारा अनुमोदित टैरिफ के अनुसार बिजली की बिक्री से राजस्व एकत्र करता है। झारखण्ड सरकार जेबीवीएनएल को बिलिंग किए गए उपभोक्ताओं के विभिन्न टैरिफ पर सब्सिडी प्रदान करती है तथा टैरिफ और सब्सिडी के अंतर को जेबीवीएनएल द्वारा संबंधित उपभोक्ताओं से एकत्र किया जाता है। संग्रहण दक्षता[63] का अर्थ है किसी विशेष अवधि के लिए उपभोक्ताओं से वास्तव में प्राप्त राजस्व (सरकारी सब्सिडी सहित) और उपभोक्ताओं को बिलिंग की गई ऊर्जा राशि (सरकारी सब्सिडी सहित) का प्रतिशत में अनुपात।

लेखापरीक्षा ने देखा कि ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को डीएस-I(ए) और डीएस-I(बी) टैरिफ के तहत वर्गीकृत किया गया है। 2018-19 और 2019-20 के दौरान

---

[62] गिरिडीह (171108), देवघर (132430), दुमका (145440), पलामू (79569), पाकुड़ (108465) धनबाद (69197) और राँची (142236)

[63] संग्रहण क्षमता (प्रतिशत) = (एफ+जी-आई)/इ∗100 जहां इ= सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं को ऊर्जा की बिक्री से राजस्व (बुक की गई सब्सिडी सहित) लेकिन ऊर्जा व्यापार/अंतर-राज्यीय बिक्री से राजस्व को छोड़कर; एफ = 'इ' घटाव् सब्सिडी बुक किया गया जोड़ सब्सिडी वर्ष के दौरान बुक की गई सब्सिडी के खिलाफ प्राप्त हुई; जी = प्राप्य अनुसूची में दर्शाए अनुसार ऊर्जा की बिक्री के लिए देनदार खोलना (संदिग्ध देनदारों के लिए प्रावधानों में कटौती किए बिना)। बिल न किए गए राजस्व को देनदार नहीं माना जाएगा; इ= प्राप्य अनुसूची में दर्शाए अनुसार ऊर्जा की बिक्री के लिए अंतिम देनदार (संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधानों में कटौती किए बिना)। बिल न किए गए राजस्व को देनदार के रूप में नहीं माना जाएगा और साथ ही वर्ष के दौरान उस पर सीधे बट्टे खाते में डाली गई कोई भी राशि

जेबीवीएनएल की समग्र संग्रह दक्षता क्रमशः 92 और 87 प्रतिशत थी। हालांकि, यह डीएस-। (ए) के तहत केवल 54.40 और 63.97 प्रतिशत और डीएस-। (बी) के तहत क्रमशः 56.40 और 62.26 प्रतिशत था। (***परिशिष्ट I***)

आगे यह देखा गया कि डीएस-।(ए) की संग्रह क्षमता, झारखण्ड सरकार से प्राप्त सब्सिडी को छोड़कर, 2018-19[64] और 2019-20[65] के दौरान क्रमशः केवल 15.46 और 13.98 प्रतिशत थी, जबकि इसी अवधि[66] के दौरान टैरिफ डीएस-।(बी) के तहत यह 46.77 और 38.81 प्रतिशत थी (***परिशिष्ट I***)। जेबीवीएनएल की कुल संग्रहण क्षमता (87 से 92 प्रतिशत के बीच) की तुलना में यह खराब थी। इस प्रकार जेबीवीएनएल ग्रामीण उपभोक्ताओं से ऊर्जा प्रभार वसूल करने में विफल रहा। इसमें यह भी इंगित किया कि जेबीवीएनएल मुख्य रूप से ऊर्जा शुल्क के लिए झारखण्ड सरकार द्वारा सब्सिडी पर निर्भर था और उपभोक्ता हिस्सेदारी के संग्रहण पर जोर नहीं देता था।

प्रबंधन/विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए (मई/अक्टूबर 2021) बताया कि राजस्व संग्रहण को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

3.2.9 सकल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीसी) हानि

एटीसी हानि वितरण व्यवसाय की दक्षता का वास्तविक माप है क्योंकि यह तकनीकी के साथ-साथ वाणिज्यिक दोनों हानियों को मापता है। यह प्रणाली में ऊर्जा इनपुट इकाइयों और वितरित इकाइयों के बीच का अंतर है जिसके लिए भुगतान एकत्र किया जाता है। डीडीयुजीजेवाई के तहत, राज्य सरकारों के परामर्श से उर्जा मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप दिए गए प्रक्षेप वक्र के अनुसार एटीसी[67] हानियों में कमी करने पर ऋण घटक के 50 प्रतिशत को अनुदान में परिवर्तित किया जाना था।

ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, झारखण्ड सरकार तथा जेबीवीएनएल द्वारा उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के अंतर्गत हस्ताक्षरित (जनवरी 2016) एमओयू

---

[64] उठाया गया बिल: ₹400.68 करोड(सब्सिडी: ₹184.55 करोड़ और उपभोक्ता हिस्सा: ₹ 216.13 करोड़)। राजस्व की वसूली: ₹ 217.97 करोड़ (सब्सिडी: ₹ 184.55 करोड़ और उपभोक्ता हिस्सेदारी: ₹ 33.42 करोड़)।

[65] बढ़ा हुआ बिल: ₹755.70 करोड़ (सब्सिडी: ₹439.21 करोड़ और उपभोक्ता हिस्सा: ₹316.49 करोड़)। राजस्व की वसूली: ₹ 483.46 करोड़ (सब्सिडी: ₹ 439.21 करोड़ और उपभोक्ता हिस्सा: ₹ 44.25 करोड़)।

[66] बढ़ा हुआ बिल: ₹537.18 करोड़ (सब्सिडी: ₹97.22 करोड़ और उपभोक्ता हिस्सा: ₹439.96 करोड़) और ₹836.57 करोड़ (सब्सिडी: ₹320.63 करोड़ और उपभोक्ता हिस्सा: ₹515.94 करोड़)। राजस्व प्राप्ति: ₹ 302.98 करोड़ (सब्सिडी: ₹ 97.22 करोड़ और उपभोक्ता हिस्सा: ₹ 205.76 करोड़) ₹ 520.89 करोड़ (सब्सिडी: ₹ 320.63 करोड़ और उपभोक्ता हिस्सा: ₹ 200.26 करोड़) 2018-19 और 2019-20 के दौरान क्रमशः।

[67] (ऊर्जा इनपुट - ऊर्जा प्राप्त) x 100/ऊर्जा इनपुट जहां ऊर्जा प्राप्त हुई = ऊर्जा बिल x संग्रह क्षमता

के अनुसार जेबीवीएनएल के एटीसी हानि का लक्ष्य तथा उसके विरुद्ध उपलब्धि (***परिशिष्ट II***) **तालिका 3.7** में दर्शाई गई है:

तालिका 3.7: झारखंड में एटीसी हानियों की लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि

वर्ष	लक्ष्य (प्रतिशत में)	उपलब्धि (प्रतिशत में)
2016-17	28	31.80
2017-18	22	33.81
2018-19	15	28.69
2019-20	-	33.49

(स्रोत: जेबीवीएनएल द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से संकलित)

यह देखा गया कि जेबीवीएनएल 2016-17 से 2019-20 के दौरान खरीदी गई ऊर्जा की तुलना में कम बिलिंग (75 से 78 प्रतिशत के बीच) के अलावा ऊर्जा शुल्क (87 से 92 प्रतिशत के बीच) की कम वसूली के कारण मुख्य रूप से एटीसी हानियों के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका। एटीसी हानि को उर्जा मंत्रालय द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर रखने में विफलता के परिणामस्वरूप, जेबीवीएनएल डीडीयुजीजेवाई के तहत ₹ 558.32 करोड़ के ऋण घटक को अनुदान में बदलने का अवसर प्राप्त करने में सक्षम नहीं रहा।

इसके अलावा, मार्च 2020 के राजस्व विवरण-I की जांच से पता चला कि 43.72 लाख उपभोक्ताओं (29.97 लाख ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं सहित) में से केवल 19.20 लाख उपभोक्ताओं (44 प्रतिशत) को मीटर रीडिंग (वास्तविक खपत) के अनुसार बिलिंग किया जा रहा था और शेष 24.52 लाख उपभोक्ताओं[68] (20.62 लाख ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं[69] सहित) का औसत आधार पर बिलिंग किया जा रहा था। इस प्रकार, जेबीवीएनएल ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं के 69 प्रतिशत सहित 56 प्रतिशत उपभोक्ताओं की औसत बिलिंग के आधार पर एटीसी हानियों की गणना कर रहा था।

लेखापरीक्षा ने 2019-20 (मार्च 2020) के लिए राजस्व विवरण-I का विश्लेषण किया जिसमें उपभोक्ताओं के टैरिफ-वार योग और उनके द्वारा खपत की गई ऊर्जा शामिल है। यह देखा गया कि मीटर-युक्त बिलिंग के मामले में ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं का डीएस-I(ए) टैरिफ मासिक औसत 32 यूनिट पर बिलिंग[70] किया गया था। तथापि, जेबीवीएनएल अनुमान के आधार पर ख़राब/बिना मीटर के 93 यूनिट की बुकिंग[71] कर रहा था। उपभोक्ताओं के डीएस-I(बी) टैरिफ में भी इसी तरह की प्रवृत्ति देखी गई, जहां मीटर-युक्त बिलिंग के मामले में मासिक औसत खपत

[68] खराब मीटर उपभोक्ता 9,17,211 और बिना मीटर वाले उपभोक्ता 15,34,019

[69] खराब मीटर उपभोक्ता 7,65,204और बिना मीटर वाले उपभोक्ता 12,96,414

[70] 2,96,356 उपभोक्ताओं के संबंध में

[71] 4,87,808 दोषपूर्ण मीटर उपभोक्ताओं तथा 5,02,870 मीटर न किए गए उपभोक्ताओं के संबंध में

केवल 30 यूनिट[72] थी और अनुमान के आधार[73] पर ख़राब/बिना मीटर के मामले में 187 यूनिट थी। इस प्रकार, अनुमान के आधार पर अधिक यूनिट की बुकिंग के आधार पर कम एटीसी हानि के अनुमान से इंकार नहीं किया जा सकता है। उपभोक्ताओं द्वारा ऊर्जा खपत के आधार पर उपभोक्ताओं के लिए झारखंड सरकार द्वारा जेबीवीएनएल को सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस प्रकार, झारखंड सरकार से अधिक सब्सिडी प्राप्त करने के लिए अनुमान के आधार पर अधिक बिलिंग से इंकार नहीं किया जा सकता क्योंकि झारखण्ड सरकार ने जेबीवीएनएल द्वारा दावा की गई सब्सिडी की शुद्धता को सत्यापित करने के लिए कोई तंत्र विकसित नहीं किया था। आगे यह देखा गया कि सब्सिडी को छोड़कर समान श्रेणी के उपभोक्ताओं के मामले में संग्रहण दक्षता समग्र दक्षता की तुलना में बहुत कम थी जैसा कि **कंडिका 3.2.8** में चर्चा की गई है।

कई योजनाओं के तहत ऊर्जा लेखांकन में सुधार के लिए मीटरीकरण बढ़ाने के प्रावधानों के बावजूद, जेबीवीएनएल ऊर्जा शुल्क की वसूली में सुधार लाने में विफल रहा जिसके कारण एटीसी हानियों में लगातार वृद्धि हुई और सुधार योजनाएं विफल हुईं।

लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए, प्रबंधन/विभाग ने कहा (मई/अक्टूबर 2021) कि एटीसी हानियों को कम करने के लिए बिलिंग और संग्रह प्रदर्शन में सुधार के लिए कार्रवाई की गई है।

जेबीवीएनएल को विद्युत आपूर्ति उप-प्रमंडलों के संबंधित सहायक विद्युत अभियंता (एईई) द्वारा गैर-बिलिंग और ऊर्जा शुल्क के खराब संग्रहण की जांच करनी चाहिए और जिम्मेदारी तय करनी चाहिए।

सारांश में, *यद्यपि नमूना-जांचित सात जिलों में विद्युतीकरण लक्ष्य जुलाई 2019 और दिसंबर 2019 के बीच प्राप्त किए जाने थे, डीडीयुजीजेवाई के तहत लिए गए 7,925 गांवों में से 819 (10 प्रतिशत) का विद्युतीकरण मार्च 2020 तक पूरा नहीं हुआ था। इसके अलावा, 1,15,629 विद्युत-संबंधों में से 23,951 (21 प्रतिशत) और 2,15,605 विद्युत-संबंधों में से 68,417 (32 प्रतिशत) को विभिन्न परियोजना बाधाओं के कारण क्रमशः आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना) और डीडीयुजीजेवाई के तहत मार्च 2020 तक प्रदान नहीं किया जा सका। जेबीवीएनएल ने ₹ 15.85 करोड़ का परिहार्य व्यय किया क्योंकि डीडीयुजीजेवाई के तहत 56,954 एपीएल संबंध मानदंडों के विरुद्ध निःशुल्क जारी किए गए थे।*

सौभाग्या के तहत, सात नमूना-जांचित जिलों में 4,06,196 विद्युत-संबंध के लक्ष्य के विरुद्ध 2,84,485 विद्युत-संबंध लाभार्थियों की पात्रता का आकलन किए बिना जारी किए गए थे। 3.64 लाख एपीएल परिवारों के लक्ष्य के मुकाबले 1.86 लाख

---

[72] 6,39,374 उपभोक्ताओं के संबंध में

[73] 2,77,396 दोषपूर्ण मीटर उपभोक्ताओं तथा 7,93,544 बिना मीटर वाले उपभोक्ताओं के संबंध में

एपीएल परिवारों को मुफ्त विद्युत-संबंध प्रदान करने के बाद एजीजेवाई को बंद कर दिया गया था क्योंकि जेबीवीएनएल टर्न-की संवेदकों (टीकेसी) को लाभार्थियों की सूची प्रदान नहीं कर सका।

विभाग ने अप्रैल 2015 में टीएमकेपीवाई के तहत 3.04 लाख कृषि विद्युत-संबंध उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा था। हालांकि, सिंचाई के लिए पानी की कमी के कारण इस योजना के तहत किसानों से कृषि विद्युत-संबंध के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए अक्टूबर 2018 में बिना कोई विद्युत-संबंध जारी किए योजना को बंद कर दिया गया।

जेएसबीएवाई के तहत एजेंसियों ने एक से नौ महीने के विलंब के बाद 2,38,848 मीटर-विहीन विद्युत-संबंध के लक्ष्य के विरुद्ध केवल 52,310 मीटर-विहीन विद्युत-संबंधों को मीटर संबंध में परिवर्तित किया क्योंकि संबंधित विद्युत आपूर्ति प्रमंडलों के डीजीएम ने विक्रेताओं को उपभोक्ताओं की सूची प्रदान नहीं की थी।

नमूना-जांचित सात जिलों में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत जारी कुल 5,23,295 विद्युत-संबंधों में से केवल 2,93,334 उपभोक्ताओं का ही बिल भेजा जा रहा था। 431 उपभोक्ताओं की समीक्षा से पता चला कि विद्युत-संबंध जारी होने की तिथि से दो से 27 माह के बीच की विलंब से बिलिंग शुरू की गई थी। इसके अतिरिक्त, 200 बिना मीटर/खराब मीटर उपभोक्ताओं, जिनके मीटर बदले गए थे, के ऊर्जा बिलों की जांच से पता चला कि 182 उपभोक्ताओं को मीटर बदलने के आठ से 23 महीने बीत जाने के बाद भी औसत आधार पर बिलिंग किया जा रहा है।

वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान ग्रामीण उपभोक्ताओं से ऊर्जा शुल्क का संग्रह डीएस-I(ए) टैरिफ के तहत 15.46 और 13.98 प्रतिशत और डीएस-I(बी) टैरिफ के तहत क्रमशः 46.77 और 38.81 प्रतिशत था, जिसमें झारखण्ड सरकार से प्राप्त सब्सिडी को शामिल नहीं किया गया था। जेबीवीएनएल वर्ष 2018-19 तक लक्षित समेकित तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीसी) हानि 15 प्रतिशत हासिल नहीं कर सका जैसा कि उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के अंतर्गत परिकल्पित था और 2019-20 के दौरान एटीसी हानि 33.49 प्रतिशत थी। विद्युत मंत्रालय (उर्जा मंत्रालय) द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर एटीसी हानि को रखने में विफलता के परिणामस्वरूप, जेबीवीएनएल डीडीयुजीजेवाई के अंतर्गत ऋण घटक को अनुदान में बदलने के अवसर का लाभ उठाने में सक्षम नहीं होगा।

अध्याय

4 फीडरों का पृथक्करण

फीडर पृथक्करण, समर्पित फीडर के द्वारा कृषि उपभोक्ताओं और गैर कृषि उपभोक्ताओं (घरेलू और वाणिज्यिक) को पृथक रूप से विद्युत आपूर्ति करना इंगित करता है। यह व्यवस्था वितरण कंपनी को प्रभावी डिमांड साइड मैनेजमेंट (डीएसएम) हेतु कृषि उपभोक्ताओं को आवश्यकतानुसार बिजली आपूर्ति को विनियमित करने में सहायता करता है। फीडर पृथक्करण, कृषि भार को ऑफ-पीक ऑवर में स्थानांतरित करके लोड वक्र को स्थिर कर पीक लोड प्रबंधन को आसान करता है। फीडर पृथक्करण का मुख्य उद्देश्य, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उपभोक्ताओं को विनियमित विद्युत आपूर्ति एवं गैर कृषि उपभोक्ताओं को निरंतर विद्युत आपूर्ति करना है। भारत सरकार ने फीडर पृथक्करण हेतु ₹ 2,199.49 करोड़ स्वीकृत किया था।

4.1 फीडर पृथक्करण की आवश्यकताओं का मूल्यांकन नहीं होना

परियोजना निर्माण के पहले चरण में, यूटिलिटी (कंपनी) को कृषि फीडरों को अलग करने की आवश्यकता की पहचान करनी थी। यह देखा गया कि जेबीवीएनएल ने मिश्रित भार वाले फीडर, जहां फीडर पृथक्करण की आवश्यकता थी, मौजूदा और संभावित कृषि उपभोक्ताओं की कुल संख्या, खेती योग्य भूमि का कुल क्षेत्रफल और स्थान, जलग्रहण क्षेत्र जहां से उपभोक्ता सिंचाई के लिए पानी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे विवरणों पर विचार किए बिना डीपीआर तैयार किया। एसएलएससी ने भी इन आवश्यकताओं को सत्यापित किये बिना ही डीपीआर को अनुमोदन के लिए आरईसी को अग्रेषित कर दिया। इसके अलावा, मिश्रित भार वाले किसी भी मौजूदा फीडरों की पहचान या उन्हें पृथक्कीकृत नहीं की गई थी। कृषि फीडरों का निर्माण या तो नवनिर्मित पीएसएस में किया गया था या मौजूदा पीएसएस में नए फीडर का निर्माण किया गया था।

4.2 फीडर पृथक्करण की स्थिति

मार्च 2020 तक कृषि फीडरों/लाईन्स के निर्माण लक्ष्य की तुलना में वास्तविक उपलब्धि की स्थिति **तालिका 4.1** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.1: कृषि फीडर/लाईन्स निर्माण का लक्ष्य एवं उपलब्धि

जिला	फीडर निर्मित होने की संख्या	निर्मित फीडरों की संख्या	कृषि लाइन्स निर्माण करना था (सर्किट किमी[74])	निर्मित कृषि लाईन्स (सर्किट किमी) (प्रतिशत)
धनबाद	15	13 (87)	450.00	425.74 (95)
देवघर	21	14 (67)	669.00	619.00 (93)
पाकुड़	2	0 (0)	31.55	0 (0)

[74] सर्किट किलोमीटर

जिला	फीडर निर्मित होने की संख्या	निर्मित फीडरों की संख्या	कृषि लाइन्स निर्माण करना था (सर्किट किमी[74])	निर्मित कृषि लाईन्स (सर्किट किमी) (प्रतिशत)
पलामू	3	0 (0)	37.75	0 (0)
गिरिडीह	5	4 (80)	122.98	91.38 (74)
दुमका	4	3 (75)	18.90	49.20 (260)
राँची	13	13 (100)	795.97	795.97 (100)
कुल	**63**	**47**	**2126.15**	**1981.29**

स्रोत: जेबीवीएनएल के द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से संकलित

तालिका 4.1 से देखा जा सकता है कि दो जिलों में कोई कार्य नहीं हुआ। यह पाकुड़ में टीकेसी द्वारा कार्य निष्पादन न करने एवं अंततः अनुबंध की समाप्ति तथा पलामू में कार्य धीमा होने के कारण हुआ। इसके अलावा, अन्य पांच जिलों में दिए गए लक्ष्य के विरुद्ध निर्धारित तिथि से चार से नौ महीने बीत जाने के बाद भी केवल 47 फीडर (81 प्रतिशत) और 1,981 सर्किट किमी लाइन (96 प्रतिशत) को ही पूरा किया जा सका।

आगे यह पाया गया कि पृथक कृषि फीडर का निर्माण, मौजूदा कृषि उपभोक्ता एवं संभावित कृषि उपभोक्ता, लोड की जरुरत एवं विशिष्ट क्षेत्र में सिचाई हेतु पानी की उपलब्धता का सर्वेक्षण किये बिना किया गया।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि टीएमकेपीवाई एक राज्य योजना जो कृषि पंपों के द्वारा नि:शुल्क विद्युत-संबंध प्रदान करने के लिए बनी थी उसे सिंचाई के लिए नदियों या नहरों में पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं होने के कारण संभावित उपभोक्ताओं से मांग की कमी के कारण बंद (अक्टूबर 2018) करना पड़ा।

आगे, कृषि विद्युत-संबंध हेतु 2,966 डीटीआर[75] और 1,840.71 सर्किट किमी[76] लाइन्स का भी निर्माण (नवम्बर 2018 से जून 2020) ₹ 90.61 करोड़[77] में किया। यद्यपि, 16,406 मौजूदा कृषि उपभोक्ता[78] को मौजूदा फीडरों से पृथक कृषि फीडरों पर स्थानांतरित नहीं किया गया और उसका कारण अभिलेख में नहीं पाया गया। इस प्रकार, पृथक फीडरों एवं इससे संबंधित बुनियादी ढांचे जुलाई 2020 तक निर्माण के एक से 20 महीने बाद भी उपयोग में नहीं लाया गया फलस्वरूप ₹ 90.61 करोड़ की संपत्ति बेकार पड़ी है।

- राँची जिला के चान्हो ब्लाक में तीन कृषि फीडरों का निर्माण (जुलाई 2019) हुआ, जिसमें 25 केवीए के 675 डीटीआर लगे थे और जो दो पीएसएस से

75 राँची (1803), धनबाद (612) और देवघर (551)

76 राँची, धनबाद और देवघर

77 2966 x ₹ 81332 (डीटीआरएस की औसत लागत) + 1840.71 x ₹ 3,61,189 (कृषि लाइन की औसत लागत) = ₹ 90.61 करोड़

78 अप्रैल 2019 के राजस्व विवरण-I के अनुसार सिंचाई और कृषि सेवा (आईएएस) टैरिफ के तहत धनबाद (239), देवघर (3563) और राँची (12604)।

जुड़ा था (एक नया और एक अपग्रेडेड), जिसमें 1174 कृषि उपभोक्ता सक्रिय थे। यद्यपि, जुलाई 2020 तक 11 महीने बाद भी मौजूदा कृषि उपभोक्ताओं को कृषि फीडर पर स्थानांतरित नहीं किया जा सका।

प्रबंधन/विभाग ने फीडरों के निर्माण, लाइनों और कृषि फीडरों पर मौजूदा कृषि उपभोक्ताओं के गैर-संबंध के संबंध में लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए (मई/अक्टूबर 2021) में कहा कि फीडर और लाइनें अब लगा दिया गया है और नए स्कीम[79] के तहत 2,295 नए कृषि विद्युत-संबंध चिंहित जिलों में लगाये गए हैं साथ ही क्षेत्रीय कार्यालयों में नई योजना के तहत उपलब्ध कराये गये मौजूदा कृषि विद्युत-संबंधों को नये बने कृषि फीडरों में स्थानांतरित करने के निर्देश दिये गये हैं।

यद्यपि, मौजूदा उपभोक्ताओं एवं संभावी उपभोक्ताओं के सर्वेक्षण के बिना, लोड की आवश्यकता, विशिष्ट क्षेत्र में सिंचाई हेतु पानी की उपलब्धता को ध्यान में रखे बिना ही डीपीआर तैयार करने के विषय पर मौन रहा। अतः जेबीवीएनएल का वास्तविक आवश्यकता का आकलन किये बिना निर्माण गतिविधियों पर ध्यान था।

जेबीवीएनएल को फीडर, ट्रांसमिशन लाइन और डीटीआर के निर्माण के पूरा होने के बावजूद मौजूदा कृषि उपभोक्ताओं को अलग कृषि फीडरों में स्थानांतरित करने में उनकी विफलता की जांच करनी चाहिए और जिम्मेदारी तय करनी चाहिए।

सारांश में, *यद्यपि 47 फीडर और 1,981.29 किमी कृषि विद्युत लाइनों को कृषि फीडरों के पृथक्करण के एक भाग के रूप में बनाया गया था, इनमें से कोई भी चार्ज नहीं किया गया। इनमें से 40 फीडर और 1840.71 सर्किट किमी कृषि लाइनों को कृषि विद्युत-संबंध के लिए ₹ 90.61 करोड़[80] की लागत से देवघर, धनबाद और राँची जिलों में 2966 डीटीआर की स्थापना के बाद भी उपयोग में नहीं लाया गया, हालांकि इन जिलों में 16,406 कृषि उपभोक्ता पहले से मौजूद थे।*

---

79 टीएमकेपीवाई योजना को पुराने टीएमकेपीवाई से ₹ 98.62 करोड़ बचाकर फिर से शुरू किया गया था (जुलाई 2019) जिसे अक्टूबर 2018 में बंद कर दिया गया और एलओआई (अक्टूबर 2019 से जुलाई 2020) जारी किया गया

80 2966 x ₹ 81332 (डीटीआरएस की औसत लागत) + 1840.71 x ₹ 3,61,189 (कृषि लाइन की औसत लागत) = ₹ 90.61 करोड़

अध्याय 5

उप-संचरण एवं वितरण संरचना का सुदृढ़ीकरण

5.1 पीएसएस निर्माण के लक्ष्य की अप्राप्ति

ग्रामीण क्षेत्रों में उप-संचरण एवं वितरण संरचना[81] (एसटीडी) के विकास का उद्देश्य वर्ष 2019 तक निर्बाध रूप (24x7) से विद्युत आपूर्ति प्रदान करना था। पीएसएस का निर्माण आपूर्ति लाइनों (33/11 केवी) की लंबाई को कम करने के लिए किया जाता है ताकि ब्रेकडाउन की स्थिति में कम से कम उपभोक्ता प्रभावित हो।

राज्य में मार्च 2020 तक 146 नए पीएसएस निर्माण लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 65 पीएसएस ही बन सका। आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना) एवं डीडीयुजीजेवाई के अंतर्गत नमूना जांच जिलों में निर्मित पीएसएस का विवरण **तालिका 5.1** में दिया गया है:

तालिका 5.1: पीएसएस के निर्माण का लक्ष्य एवं उसके विरुद्ध उपलब्धि

जिला का नाम	निर्माण किये जाने वाले पीएसएस की संख्या	निर्माण किये जाने वाले पीएसएस की क्षमता (एमवीए)	निर्मित पीएसएस की संख्या	निर्मित पीएसएस की क्षमता (एमवीए)	लोड पीएसएस की संख्या
धनबाद	06	40	6	40	3
देवघर	04	20	4	20	0
पाकुड़	02	20	0	0	0
पलामू	12	105	3	20	0
गिरिडीह	05	50	4	40	0
दुमका	03	25	3	25	3
राँची[82]	09	90	9	90	2
कुल	**41**	**350**	**29**	**235**	**8**

(स्रोतः जेबीवीएनएल के ईएससी द्वारा उपलब्ध कराए गये आंकड़ों से संकलित)

तालिका 5.1 दर्शाता है कि नमूना-जांचित जिलों में निर्माण के लिए लक्षित 350 एमवीए के 41 पीएसएस में से केवल 235 एमवीए के 29 पीएसएस का ही निर्माण किया जा सका। जेबीवीएनएल एवं संवेदक (टीकेसी) दोनों ही पीएसएस के निर्माण में विलंब/गैर-निर्माण के लिए जिम्मेदार थे। जेबीवीएनएल ने टर्न-की संवेदकों (टीकेसी) को भूमि उपलब्ध कराने में विलंब, अनुपयुक्त या पथरीली भूमि के कारण स्थान परिवर्तित करना और पीएसएस स्थलों के लिए पहुंच सड़क उपलब्ध कराने

---

81 नए पीएसस का निर्माण, मौजूदा पीएसस का औग्मेंटेशन, एचटी लाइन्स का निर्माण, नए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का अधिष्ठापन एवं मौजूदा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का औग्मेंटेशन

82 डीडीयुजीजेवाई के तहत 12 पीएसएस में से जार्गो, ओरमांझी और सिल्ली में तीन पीएसएस को भूमि को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण हटा दिया गया था।

में 41 पीएसएस में से 31 पीएसएस के मामले में आशय पत्र (एलओआई) जारी होने की तारीख से चार से 19 महीनों की विलंब हुआ। संवेदकों ने गिरिडीह और राँची के 14 पीएसएस के मामले में सर्वेक्षण प्रतिवेदन, पीएसएस और बीओक्यू के लिए आरेख प्रस्तुत करने में पांच से 11 महीने का विलंब किया। संवेदकों ने सामग्री

पूर्ण होने के बावजूद निष्क्रिय पड़ा राँची जिलान्तर्गत बाजपुर का पीएसएस (लेखापरीक्षा दल द्वारा 4 जुलाई 2020 को ली गई तस्वीर)

की खरीद में भी विलंब किया और पीएसएस के निर्माण को समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए आवश्यक पर्याप्त मानवबल नहीं जुटाई।

इस प्रकार, झारखण्ड सरकार पीएसएस के निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप पीएसएस के निर्माण में विलंब हुआ और राँची जिले में तीन पीएसएस की डी-स्कोपिंग हुई।

केस अध्ययन

राँची जिले के अंतर्गत ₹ 4.27 करोड़ की लागत से बाजपुर गांव में तीन फीडर (दो कृषि और एक घरेलू) के साथ 2x5 एमवीए के एक पीएसएस का निर्माण पूरा होने की निर्धारित तिथि (मई 2019) से तीन महीने की विलंब के बाद पूरा किया गया (अगस्त 2019) जबकि भूमि का आवंटन (जनवरी 2018) में एलओआई (मई 2017) की तारीख से आठ महीने के बाद की गई थी। निर्माण (अगस्त 2019) के बाद भी, पीएसएस जीएसएस से कनेक्टिविटी न होने और पीएसएस के लिए ऑपरेटर की तैनाती न होने के कारण निष्क्रिय (जुलाई 2020) पड़ा हुआ था।

इसी तरह राँची जिले के चान्हो में पीएसएस के लिए मार्च 2019 में 10 महीने के विलंब के बाद भूमि आवंटित की गई थी। तीन फीडर (दो कृषि और एक घरेलू) के साथ 10 एमवीए के पीएसएस का निर्माण जुलाई 2019 में दो महीने की विलंब से पूरा किया गया था। इसके अलावा, ऑपरेटरों की तैनाती न होने के कारण चार महीने के विलंब के बाद घरेलू फीडर को चार्ज किया गया (नवंबर 2019) जबकि कृषि फीडर बेकार पड़े थे (जुलाई 2020)।

आगे, 235 एमवीए के 29 पूर्ण पीएसएस में से 70 एमवीए के केवल आठ पीएसएस चार्ज किया जा सका। 165 एमवीए के शेष 21 पीएसएस को उनके निर्माण के तीन से 29 महीने बीत जाने के बाद भी चार्ज नहीं किया गया जिसका मुख्य कारण जीएसएस (तीन मामले) के गैर-निर्माण, 33 या 11 केवी लाइनों (16 मामले) के गैर-निर्माण (जून 2020) और पीएसएस के संचालन के लिए प्रशिक्षित मानवबल (दो मामले) की अनुपस्थिति थी। परिणामस्वरूप, उच्चतम मांग के दौरान विद्यमान

पीएसएस अपनी निर्धारित क्षमता के 80 प्रतिशत पर चल रहे थे, जो किसी ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिहाज से, संचालन का सर्वोत्तम स्तर था।

प्रबंधन/विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए (मई/अक्टूबर 2021) में कहा कि अब स्थिति बदल गई है और 33 पीएसएस को लोड पर डाल दिया गया है।

5.2 पीएसएस का संवर्धन

पीएसएस का संवर्धन पुराने ट्रांसफार्मर के प्रतिस्थापन या अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मर की स्थापना द्वारा पीएसएस की मौजूदा परिवर्तन क्षमता में वृद्धि को संदर्भित करता है।

मार्च 2020 तक राज्य में 123 पीएसएस के संवर्धन के लक्ष्य के विरुद्ध, 94 पीएसएस को संवर्धित किया गया था। नमूना-जांचित जिलों में, 204 एमवीए के 34 पीएसएस (***परिशिष्ट III***) के विरुद्ध 189 एमवीए के 31 पीएसएस को संवर्धित किया गया था। टीकेसी के खराब प्रदर्शन के कारण पाकुड़ और पलामू जिलों को छोड़कर पीएसएस का विस्तार कार्य लगभग पूरा हो गया था।

प्रबंधन/विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए (मई/अक्टूबर 2021) बताया कि पाकुड़ के टीकेसी को समाप्त करने और पलामू जिले में सामग्री की कमी के कारण कार्य में विलंब हुआ है।

5.3 33 केवी लाइन का निर्माण

नमूना-जांचित जिलों में डीडीयुजीजेवाई के तहत 33 केवी एचटी लाइनों के निर्माण की स्थिति **तालिका 5.2** में दी गई है।

तालिका 5.2: नमूना-जांचित जिलों में डीडीयुजीजेवाई के अंतर्गत 33 केवी एचटी लाइनों के निर्माण की स्थिति

जिलों का नाम	लक्ष्य (सर्किट किमी)	सर्किट किमी में उपलब्धियां (प्रतिशत)
धनबाद	62.19	53.57 (86)
देवघर	103.20	67.72 (66)
पाकुड़	25.00	15.70 (63)
पलामू	159.96	14.20 (09)
गिरिडीह	104.66	56.00 (54)
दुमका	41.82	36.67 (88)
राँची	221.78	221.78 (100)
कुल	**718.61**	**465.64 (65)**

(स्रोत: जेबीवीएनएल के ईएससी के द्वारा उपलब्ध कराये गए आंकड़ों से संकलित)

तालिका 5.2 से यह देखा जा सकता है कि नमूना-जांचित सात जिलों में से छ: में कार्य की भौतिक प्रगति नौ से 88 प्रतिशत के बीच थी। यह मुख्य रूप से वन मंजूरी प्राप्त करने में विलंब, पावर ट्रांसफार्मर (पीटीआर) के आरेख और तकनीकी मानकों को अंतिम रूप देने में विलंब, बीओक्यू में विचलन को अंतिम रूप देने में विलंब, आरओडब्ल्यू (राईट ऑफ वे) के संबंध में स्थानीय लोगों द्वारा बाधा एवं टीकेसी द्वारा मानवबल की अपर्याप्तता के कारण, पलामू जिले में आरओडब्ल्यू और पाकुड़ में टीकेसी की समाप्ति के कारण हुआ। 33 केवी लाइनों के गैर-निर्माण के कारण फरवरी 2020 तक इन जिलों में 45 एमवीए के आठ[83] पीएसएस को चार्ज नहीं किया गया, जबकि पीएसएस का निर्माण अगस्त 2019 और दिसंबर 2019 के बीच पूरे हो गए थे। इस प्रकार झारखण्ड सरकार समय पर वन मंजूरी प्राप्त करने और आरओडब्ल्यू मुद्दे को हल करने में विफल रही जिसके परिणामस्वरूप, 33 केवी लाइनों के निर्माण में विलंब हुआ।

प्रबंधन/विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए (मई/अक्टूबर 2021) कहा कि कार्य शीघ्र पूर्ण होने की आशा है।

5.4 वितरण ट्रांसफार्मर (डीटीआर) का अतिरिक्त प्रावधान

आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना) और डीडीयुजीजेवाई के दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रति वर्ष 10 प्रतिशत की दर से पांच वर्षों की भार वृद्धि को ध्यान में रखते हुए डीटीआर स्थापित किए जाने थे। एक डीटीआर पर मौजूदा भार की गणना के लिए, बीपीएल परिवारों के लिए 250 वाट, एपीएल परिवारों के लिए 500 वाट और सार्वजनिक स्थानों के लिए 1000 वाट के भार पर विचार किया जाना था। इसके लिए नए स्थापित डीटीआर को उसकी क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक भार नहीं दिया जाना चाहिए ताकि अनुमानित भार वृद्धि से निपटने के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुसार अधिकतम उपयोग 80 प्रतिशत तक सुनिश्चित किया जा सके।

- राँची जिले के मलार और पाल्मा गांवों के क्षेत्र निरीक्षण (जुलाई 2020) के दौरान, यह देखा गया कि 11 उपभोक्ताओं (तीन एपीएल और आठ बीपीएल) के लिए केवल चार केवीए और 58 उपभोक्ताओं (35 एपीएल और 23 बीपीएल) के लिए 27 केवीए क्रमशः 50 केवीए (2x25 केवीए) और 75 केवीए (3x25 केवीए) डीटीआर की स्थापित क्षमता से जुड़े थे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि अनुमानित 2,81,550 बीपीएल, 3,11,025 एपीएल और 9,272 सार्वजनिक स्थानों के विद्युत-संबंध के लिए 20,051 डीटीआर लगाए जाने

[83] देवघर-4, पलामू-3 और राँची-1

थे। इसे संशोधित कर 1,53,181 बीपीएल, 1,50,187 एपीएल और 3,422 सार्वजनिक स्थानों के विद्युत-संबंध के लिए 29,079 डीटीआर[84] किया गया। इसके विपरीत, आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना) और डीडीयुजीजेवाई के तहत, नमूना-जांचित जिलों (***परिशिष्ट IV***) में 6,33,742 केवीए की कुल भार क्षमता के साथ 25 केवीए वाले 23,941 और 63 केवीए वाले 559 डीटीआर स्थापित किए गए थे।

मार्च 2020 तक इन डीटीआर को आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना), डीडीयुजीजेवाई और सौभाग्या के तहत 1,80,585 बीपीएल, 1,37,691 एपीएल और 4,965 सार्वजनिक स्थानों को विद्युत-संबंध दिया गया था जो कि 1,39,893 केवीए लोड के बराबर था। 50 प्रतिशत की भार आवश्यकता और पांच वर्षों के लिए 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से भार वृद्धि को ध्यान में रखते हुए 2,79,786 केवीए की भार क्षमता वाले डीटीआर की आवश्यकता थी। जैसे, 3,53,956 केवीए की भार क्षमता वाले डीटीआर आवश्यकता से अधिक स्थापित किए गए थे। इस प्रकार, जेबीवीएनएल ने उचित सर्वेक्षण और योजना की कमी के कारण 25 केवीए के 14,158 डीटीआर पर ₹ 1.51 करोड़[85] का परिहार्य अतिरिक्त व्यय किया।

उत्तर में, प्रबंधन/विभाग ने कहा (मई/अक्टूबर 2021) कि डीटीआर साइट की स्थिति, बिखरे हुए भार और भविष्य के भार पर विचार करने के बाद स्थापित किए गए थे ताकि पांच वर्षों के बाद अधिकतम भार 80 प्रतिशत से अधिक न हो।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि राँची जिले के मलार और पाल्मा गांवों में 11 उपभोक्ताओं (तीन एपीएल और आठ बीपीएल) के लिए केवल चार केवीए और 58 उपभोक्ताओं (35 एपीएल और 23 बीपीएल) के लिए 27 केवीए का लोड 50 केवीए (2x25 केवीए) और 75 केवीए (3x25 केवीए) का डीटीआर लगभग 80 मीटर और 100 मीटर की दूरी पर स्थापित था और पांच वर्षों के बाद अनुमानित भार केवल 6.44 केवीए और 43.48 केवीए होगा जिसे क्रमशः 25 केवीए का एक और दो डीटीआर द्वारा पूरा किया जा सकता है।

5.5 अतिरिक्त पीसीसी पोल के कारण अतिरिक्त खर्च

लेटर ऑफ अवार्ड (एलओए) के अनुसार, एचटी (33/11 केवी) लाइनों के लिए 18 एचटी पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट (पीसीसी) पोल प्रति किलोमीटर (किमी) और एलटी लाइनों के लिए 25 एलटी पीसीसी पोल प्रति किलोमीटर (किमी) खड़े किए जाने थे।

---

[84] 25 केवीए डीटीआर-28520 और 63 केवीए डीटीआर-559

[85] ₹ 81,332 प्रति डीटीआर की औसत लागत।

राँची जिले के मक्का गांव में क्षेत्र भ्रमण के दौरान यह देखा गया कि टीकेसी ने मौजूदा पोल का उपयोग नहीं किया और नए खंभों को खड़ा किया।

यह देखा गया कि आवश्यक 1,24,444 एचटी पोल और 4,48,488 एलटी पोल के विरुद्ध, जेबीवीएनएल ने आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना) और डीडीयुजीजेवाई के तहत सात नमूना-जांचित जिलों में 1,62,067 एचटी पोल और 4,91,229 एलटी पोल लगाए। इस प्रकार, 39,731 एचटी और 42,741 एलटी पोल आवश्यकता से अधिक (***परिशिष्ट V***) खड़े किए गए थे, जिसके कारण ₹ 45.55 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ (प्रति पोल ₹ 5,333 की औसत दर पर गणना की गई)।

फरवरी 2020 में राँची (मक्का-7 और मुरुपिरी-11) और गिरिडीह (जादु रैडीह-5 और बरिया-4) जिलों के चार गांवों में 27 पोल के भौतिक सत्यापन से पता चला कि दो एलटी पोल के बीच की दूरी 20 से 37 मीटर के बीच थी जबकि 40 मीटर का मानदंड था।

उत्तर में, प्रबंधन/विभाग ने कहा (मई/अक्टूबर 2021) कि पहाड़ी क्षेत्र, जंगल, टेढ़े मेढ़े सड़कों, आरओडब्ल्यू आदि होने के कारण अतिरिक्त पोल लगाए गए थे।

प्रबंधन/विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा ने मैदानी और समतल भूमि में दो एलटी खंभों के बीच की दूरी को मापा और पाया कि यह 40 मीटर से कम थी।

5.6 उप-मुख्य वितरण बोर्ड (एसएमडीबी) की अधिक स्थापना

डीडीयुजीजेवाई दिशा-निर्देशों के अनुसार, एलटी पोलों पर स्थापित एसएमडीबी के माध्यम से विद्युत-संबंध जारी किए जाने थे। डीडीयुजीजेवाई के एलओआई के अनुसार, एक एसएमडीबी के माध्यम से आठ विद्युत-संबंध जारी किए जा सकते हैं। स्थापित एसएमडीबी और जारी किए गए विद्युत-संबंधों का विवरण **तालिका 5.3** में दिखाया गया है:

तालिका 5.3: स्थापित किए गए एसएमडीबी और जारी किए गए विद्युत-संबंध का विवरण

जिला का नाम	स्थापित एसएमडीबी की संख्या	जारी विद्युत-संबंध की संख्या	जरुरी एसएमडीबी की संख्या	अधिक एसएमडीबी स्थापित
धनबाद	14,652	20,500	2,563	12,089
गिरिडीह	81,447	80,248	10,031	71,416
देवघर	20,886	16,538	2,067	18,819
दुमका	82,512	71,105	8,888	73,624
पलामू	15,375	96,690	12,086	3,289
पाकुड़	6,805	12,424	1,553	5,252
राँची	35,657	21,485	2,686	32,971
कुल	**2,57,334**	**3,18,990**	**39,874**	**2,17,460**

(स्रोत: जेबीवीएनएल के ईएससी के द्वारा उपलब्ध कराये गए आंकड़ों से संकलित)

तालिका 5.3 से स्पष्ट है कि सिर्फ 3,18,990 विद्युत-संबंध प्रदान करने के लिए 2,57,334 एसएमडीबी स्थापित किए गए थे। इसके अलावा, चार जिलों[86] में, स्थापित एसएमडीबी (2,20,502) की संख्या जारी किए गए विद्युत-संबंध (1,89,376) से अधिक थी, जो दर्शाता है कि एसएमडीबी बिना आवश्यकता के भी स्थापित किए गए थे। गिरिडीह में, केवल 59,272 एलटी पोल ***(परिशिष्ट V)*** पर 81,447 एसएमडीबी स्थापित किए गए थे। इस प्रकार, नमूना-जांचित जिलों में आवश्यकता से अधिक एसएमडीबी स्थापित किए गए थे। लेखापरीक्षा ने ₹ 1,859 प्रति एसएमडीबी की औसत लागत पर एसएमडीबी (अर्थात प्रति एसएमडीबी चार विद्युत-संबंध) के 50 प्रतिशत उपयोग पर विचार करते हुए 1,77,586[87] अतिरिक्त एसएमडीबी की स्थापना पर ₹ 33.01 करोड़ के परिहार्य व्यय की गणना की।

---

86 देवघर, दुमका, गिरिडीह और राँची

87 (257334-39874x2) x ₹ 1859= ₹ 33.01 करोड़

क्षेत्र निरीक्षण के दौरान, एसएमडीबी को खेतों में खड़े खंभों पर भी स्थापित पाया गया, जहां से कोई विद्युत-संबंध जारी नहीं किया गया था जैसा कि नीचे दी गई तस्वीर में दिखाया गया है।

गिरिडीह में एक पोल पर बिना किसी विद्युत-संबंध के एसएमडीबी की तस्वीर (6 मार्च 2020)

उत्तर में, प्रबंधन/विभाग ने कहा (मई/अक्टूबर 2021) कि स्थल पर बिखरे हुए लोड, बड़ी संख्या में मौजूदा उपभोक्ताओं और निकट भविष्य में संभावित नए सेवा संबंध के कारण अतिरिक्त एसएमडीबी स्थापित किए गए थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एसएमडीबी को उन क्षेत्रों में भी स्थापित देखा गया जहां भौतिक सत्यापन के दौरान कोई बस्ती मौजूद नहीं थी। इसके अतिरिक्त, यह देखा गया कि एकल एसएमडीबी से केवल एक विद्युत-संबंध प्रदान किया जा रहा था।

5.7 पीएसएस और फीडर मीटरीकरण

वितरण कंपनी के स्थायी वाणिज्यिक संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए मीटरीकरण का अत्यधिक महत्व है। उपभोक्ताओं की ओर से मीटरीकरण के अलावा, वितरण ट्रांसफार्मर (डीटीआर) और फीडरों पर मीटरीकरण उचित ऊर्जा लेखांकन के लिए एक तंत्र के निर्माण की सुविधा प्रदान करती है। यह हानि के क्षेत्रों की पहचान करने और इस तरह के हानि को कम करने के लिए उपचारात्मक उपाय करने में भी मदद करता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि पीएसएस और आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना) और डीडीयुजीजेवाई के तहत निर्मित/संवर्धित फीडरों पर ऊर्जा मीटर स्थापित नहीं किए गए थे। यद्यपि डीटीआर पर ऊर्जा मीटर स्थापित किये गये थे, अभिलेख में उपलब्ध न होने के कारणों से ऊर्जा की हानि, यदि कोई हो, की जांच करने के लिए मंडल/मंडल कार्यालयों द्वारा डीटीआर-वार ऊर्जा लेखांकन नहीं किया जा रहा था। इस प्रकार, डीडीयुजीजेवाई का एक मुख्य उद्देश्य अर्थात् सकल तकनीकी और वाणिज्यिक हानि (एटीसी) को कम करना, सात नमूना-जांच जिलों में डीटीआर पर

ऊर्जा मीटरों के संस्थापन पर ₹ 30.88 करोड़ के व्यय के बावजूद विफल रहा (₹ 12,606 प्रति मीटर की औसत दर पर संगणित)।

प्रबंधन/विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए (मई/अक्टूबर 2021) कहा कि भविष्य में ऊर्जा लेखांकन किया जाएगा।

5.8 जेएसबीएवाई-I और II के तहत सृजित बुनियादी ढांचा

झारखंड संपूर्ण बिजली आच्छादन योजना (जेएसबीएवाई) चरण। के तहत कार्य में मुख्य रूप से 44 पीएसएस और 2,086.38 सर्किट किमी ट्रांसमिशन लाइनों[88] का निर्माण/ वृद्धि शामिल है, इसके अलावा छूटे घरों और कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत-संबंध प्रदान करना है। जेएसबीएवाई-। के अंतर्गत काम जुलाई 2018 और मार्च 2019 के बीच शुरू कर जनवरी 2020 और सितंबर 2020 के बीच पूरा किया जाना था। इसी तरह, जेएसबीएवाई-।। के तहत 85 पीएसएस और 2,905.26 सर्किट किमी ट्रांसमिशन लाइनों[89] का निर्माण/संवर्द्धन कार्य फरवरी 2019 और जून 2020 के बीच शुरू कर जुलाई 2020 और दिसंबर 2021 के बीच पूरा करना था।

- राँची जिले में, जेएसबीएवाई चरण-II के तहत दो पीएसएस का निर्माण किया जाना था, जिसके लिए जिला प्रशासन ने जेबीवीएनएल को नगड़ी ब्लॉक में नयासराय (मई 2019) और कांके ब्लॉक में सुकुरहुट्टू (जुलाई 2019) में एलओआई (मार्च 2019) जारी होने के दो से तीन महीने के विलंब के बाद भूमि आवंटित की गई। स्थल निरीक्षण (अगस्त 2019) के दौरान, जेबीवीएनएल के अधिकारियों और टीकेसी ने पाया कि दोनों स्थलों पर आवंटित भूमि पथरीली थी और पीएसएस के निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं थी। इसके बाद, उप-महाप्रबंधक (डीजीएम) ने उन स्थलों में बदलाव के लिए जिला प्रशासन से संपर्क किया, जिन्हें टीकेसी (जून 2020) को सौंपा जाना था। इसके अलावा, जेएसबीवाई चरण-I के तहत् राँची जिले में लल्ली पीएसएस के लिए भूमि एलओआई (जुलाई 2018) जारी होने की तारीख से 10 महीने के विलंब के बाद टीकेसी को सौंप (मई 2019) दी गई थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि अगस्त 2020 तक जेएसबीवाई-I के तहत कार्यों की भौतिक प्रगति 20 से 60 प्रतिशत के बीच थी जबकि जेएसबीवाई-II के तहत यह 10 से 45 प्रतिशत थी (***परिशिष्ट VI***)।

नमूना-जांचित छः जिलों में 39 पीएसएस[90] के निर्माण की नमूना-जांच से पता चला कि 15 पीएसएस[91] के मामले में भूमि की पहचान में एलओआई की तारीख

---

[88] 33 केवी लाइन-1330.19 सीकेएम और 11 केवी-756.19 सीकेएम

[89] 33 केवी लाइन-956.17 सीकेएम और 11 केवी-1949.09 सीकेएम

[90] प्रथम चरण में धनबाद-4, गिरिडीह-17, राँची-3, दुमका-8, पलामू-6 और पाकुड़-1

[91] धनबाद-2, गिरिडीह-2, राँची-2, दुमका-4 और पलामू-5

से 20 महीने (अप्रैल 2020) का विलंब, 10 पीएसएस[92] में टीकेसी को भूमि, आवंटन सौंपने में दो से 12 महीने तक का विलंब था। 14 पीएसएस के मामले में जेबीवीएनएल द्वारा भूमि की अनुपयुक्तता के संबंध में जिला प्रशासन से संपर्क करने में विलंब, दो पीएसएस में आरओडब्ल्यू जारी करना और चार मामलों में बीओक्यू को फ्रीज करने में 11 से 15 महीने तक का विलंब हुआ।

टीकेसी द्वारा पीईआरटी चार्ट प्रदान करने में 12 से 30 दिनों (आठ[93] पीएसएस), 13 पीएसएस की मरम्मत और रखरखाव के कार्य शुरू करने में विलंब, सामग्री की खराब गुणवत्ता के अलावा तीन 33 केवी लाइनों में *वे-लीव* अनुमति प्रदान करने हेतु रेलवे को अनुरोध प्रस्तुत करने में तीन महीने की विलंब, मानवबल की कमी, वन मंजूरी के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने में विलंब, दोषपूर्ण कार्य और टीकेसी द्वारा कार्य निष्पादन की धीमी गति विलंब का कारण था।

- जेएसबीएवाई चरण-II के तहत गिरिडीह जिले में बनने वाले 13 पीएसएस में से, मार्च 2019 में दिए गए कार्यों में से बगोदर, पीरटांड, जमुआ और राजधनवार में चार पीएसएस के मार्च 2020 तक शुरू नहीं किया गया था। काम शुरू होने में विलंब हुआ क्योंकि इन पीएसएस के लिए भूमि का सीमांकन एलओआई जारी होने की तारीख से 11 से 12 महीने बीत जाने के बाद फरवरी और मार्च 2020 में किया गया था।

लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए, प्रबंधन/विभाग ने कहा (मई/अक्टूबर 2021) कि विलम्ब प्रशासन और वन विभाग की ओर से था और जेबीवीएनएल के नियंत्रण से बाहर था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जेबीवीएनएल ने उपयुक्त भूमि के आवंटन के लिए जिला प्रशासन से संपर्क करने, आरओडब्ल्यू मुद्दों को निपटाने और बीओक्यू[94] को फ्रीज करने में विलंब किया था। इसके अलावा, जेबीवीएनएल स्वीकृत परियोजनाओं में भूमि के मुद्दे को हल करने में विलंब और झारखण्ड सरकार द्वारा वन मंजूरी के कारण विलंब हुआ।

5.9 लाभार्थी सर्वेक्षण और संयुक्त निरीक्षण के दौरान पाई गई विसंगतियां

ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के कार्यान्वयन में प्रभावशीलता और दक्षता के उद्देश्य से, लेखापरीक्षा ने सितंबर 2019 से मार्च 2020 के दौरान जेबीवीएनएल के

---

[92] गिरिडीह-7, दुमका-2 और राँची-1

[93] जेएसबीएवाई-I के पैकेज -2 में 27 दिन, पैकेज-3 में 15 दिन, पैकेज-5 में 12 दिन, पैकेज-6 में 22 दिन तथा जेएसबीएवाई-II के पैकेज-1 एवं 2 प्रत्येक में 15 दिन, पैकेज-4 एवं 6 प्रत्येक में 30 दिन

[94] दुमका, राँची गिरिडीह

अधिकारियों के साथ संयुक्त क्षेत्र सत्यापन किया। क्षेत्र के दौरे के दौरान, सात[95] जिलों के 26 गांवों[96] के 138 लाभार्थियों का सर्वेक्षण किया गया। यह देखा गया कि डीडीयुजीजेवाई के लिए गांवों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया था। किसी भी पोल पर खतरे के बोर्ड नहीं मिले और किसी भी गांव में डीडीयुजीजेवाई के साइन बोर्ड नहीं मिले। आगे, 33 लाभार्थियों (24 प्रतिशत) के मामले में मीटर परिसर के अंदर लगाए गए थे जहां परिसर को इस उद्देश्य से खोले या अनलॉक किये बिना पहुँच सुगम नहीं था।

आगे यह भी देखा गया कि योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार मीटर पिलर बॉक्स पर स्थापित किया जाना था जो नहीं किया गया। 138 लाभार्थियों में से 21 मीटर विद्युत-संबंध (15 प्रतिशत) के मामले में, 18 मीटर लाइन सर्किट से नहीं जुड़े थे और तीन मीटर खराब पाए गए थे। 81 लाभार्थियों (59 प्रतिशत) को एलईडी बल्ब भी उपलब्ध नहीं कराए गए थे, हालांकि यह केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत टीकेसी द्वारा प्रदान किया जाना था। विद्युतीकरण के 16 से 33 महीने के बाद भी किसी भी लाभार्थी को बिल प्राप्त नहीं हुआ था। यद्यपि डीटीआर पर मीटर लगाए गए थे, उनकी रीडिंग जेबीवीएनएल द्वारा नहीं ली जा रही थी। एसएमडीबी निर्जन क्षेत्रों में भी खंभों पर स्थापित पाए गए। लाभार्थियों ने आगे कहा कि गांवों में प्रतिदिन केवल 10-12 घंटे बिजली उपलब्ध थी।

- धनबाद जिले के मधुगोरा गांव में एक उपभोक्ता, जिसका उपभोक्ता सं. बीपीबीडी 3803 था, के पास एक मीटर-युक्त विद्युत-संबंध (मीटर संख्या 22707) विद्यमान था, जो ठीक स्थिति में था। हालांकि, टीकेसी द्वारा उसे पुन: एक नया मीटर प्रदान किया गया, जो बेकार पड़ा था।

प्रबंधन/विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया (मई/अक्टूबर 2021) और कहा कि कार्य पूरा होने के बाद खतरे के बोर्ड लगाए गए हैं और मीटर विद्युत-संबंध में विसंगतियों को ठीक कर दिया गया है। प्रबंधन/विभाग ने यह भी बताया कि सभी लाभार्थियों को एलईडी बल्ब उपलब्ध कराये गये हैं और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तथापि, तथ्य यह है कि लाभार्थियों ने कहा था कि एलईडी बल्ब उपलब्ध नहीं कराए गए थे और कोई जागरूकता कार्यक्रम नहीं चलाया गया था।

जेबीवीएनएल के जिम्मेदार अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय करने के लिए एक स्वतंत्र जांच एजेंसी द्वारा ₹ 80.07 करोड़ की लागत से अतिरिक्त डीटीआर,

---

[95] धनबाद (सितंबर 2019), पाकुड़ (सितंबर 2019) देवघर (दिसंबर 2019), पलामू (दिसंबर 2019), गिरिडीह (मार्च 2020), दुमका (मार्च 2020) और राँची (फरवरी और जून 2020)

[96] धनबाद (अनालसिया, कापसरा, कंचनपुर, मधुगोड़ा), पाकुड़ (जितलपुर, मोहनपुर, सुंदरपुर, धनपहड़िया) देवघर (बाराकोला, रक्ती, गुनियासोल, मोहनाडीह), पलामू (खेंद्र कलां, पुरंदिन, नवातोली, खेंद्र खुर्द), गिरिडीह (बदवाड़ा, बुच) नवाडीह, बरिया, जादू रैडीह), दुमका (बेदिया, पलासी, सीकरपुर, बृंदाबनी) और राँची (मुरुपिरी, मक्का)

पीसीसी पोल और एसएमडीबी की स्थापना की जांच की जानी चाहिए। ऊर्जा विभाग द्वारा पीएसएस के लिए उपयुक्त भूमि सौंपने में विलंब की जांच किए जाने की आवश्यकता है।

सारांश में: *डीडीयुजीजेवाई के तहत 235 मेगा वोल्ट एम्पीयर (एमवीए) के 29 पावर सब स्टेशन (पीएसएस) का निर्माण किया गया। इनमें से 70 एमवीए के केवल आठ पीएसएस चार्ज किए जा सके जबकि 21 पीएसएस के निर्माण के तीन से 29 महीनों के बाद भी निष्क्रिय (जून 2020) था, मुख्य रूप से संबद्ध ग्रिड सब स्टेशनों (जीएसएस) के अधूरे रहने (तीन मामले) के कारण, पीएसएस को संचालित करने के लिए प्रशिक्षित मानवबल (दो मामलों) की अनुपस्थिति तथा आवश्यक 33 या 11 केवी लाइनों (16 मामलों) का निर्माण नहीं होने के कारण था।*

718.61 सर्किट किमी 33 केवी लाइन के लक्ष्य के विरूद्ध, सात नमूना-जांचित जिलों में केवल 465.64 सर्किट किमी लाइन्स बनाए गए थे, जो वन मंजूरी प्राप्त करने में विलंब, आरेख को अंतिम रूप देने में विलंब, पावर ट्रांसफार्मर (पीटीआर) के तकनीकी मानकों, आरओडब्ल्यू (राईट ऑफ वे) और टीकेसी द्वारा मानवबल का अपर्याप्त जुटाव के कारण था।

जेबीवीएनएल ने पीएसएस और फीडरों पर ऊर्जा मीटर नहीं लगाए थे। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर (डीटीआर) पर स्थापित मीटर बिना किसी ऊर्जा लेखांकन जाँच के बेकार पड़े थे। इस प्रकार, मुख्य उद्देश्यों में से एक अर्थात, एटीसी हानियों को कम करना विफल रहा।

1,290 एमवीए के 129 पीएसएस के लक्ष्य के विरूद्ध, जेएसबीएवाई के तहत 90 एमवीए के केवल नौ पीएसएस का निर्माण किया गया था। 39 पीएसएस के निर्माण की नमूना-जांच से पता चला कि जेबीवीएनएल द्वारा भूमि की पहचान करने और सौंपने में एलओआई की तारीख से 20 महीने (अप्रैल 2020) की विलंब के अलावा टीकेसी की ओर से कार्य शुरू करने और पूरा करने में विलंब हुआ था।

अध्याय 6 वित्तीय प्रबंधन

6.1 ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं की वित्तीय स्थिति

ग्रामीण विद्युतीकरण के वित्त-व्यवस्था को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है यथा भारत सरकार द्वारा वित्त प्रदत्त योजना एवं झारखंड सरकार द्वारा वित्त प्रदत्त योजना। भारत सरकार प्रदत योजनाओं में वित्त प्रवाह को **चार्ट 6.1** में दर्शाया गया है:

चार्ट 6.1: भारत सरकार प्रायोजित ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं में वित्त प्रवाह

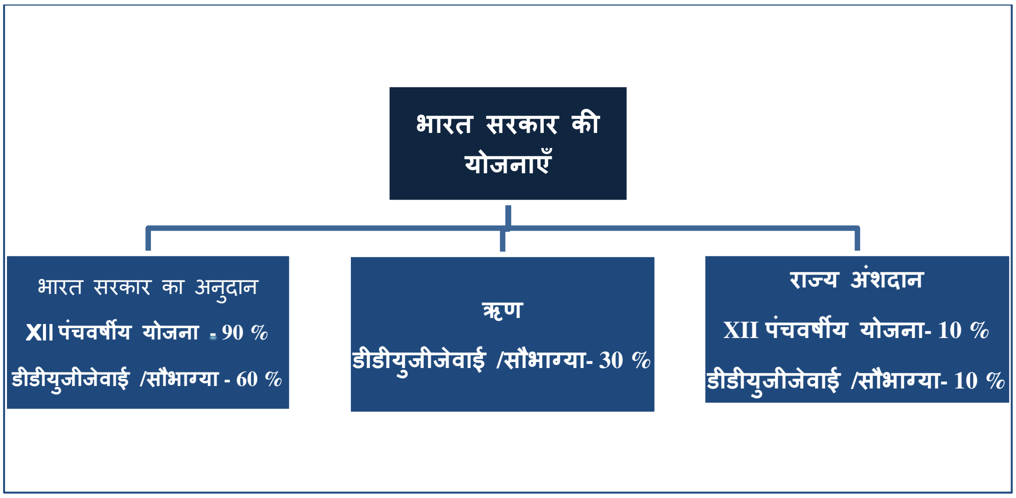

6.1.1 भारत सरकार की योजनाएँ

जून 2020 तक ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित योजना लागत, प्राप्त होने वाली निधि में योगदान (भारत सरकार/झारखण्ड सरकार/ऋण), प्राप्त होने वाली निधि के विरुद्ध विमुक्त निधि एवं उपयोगित निधि **तालिका 6.1** एवं **6.2** में दर्शायी गई है:

तालिका 6.1: योजनावार योजना लागत एवं संबंधित अंश

(₹ करोड़ में)

योजना का नाम	योजना लागत	निधि अंश		
		भारत सरकार	ऋण	झारखण्ड सरकार
आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना)	1,260.92	1,134.83		126.09*
डीडीयुजीजेवाई	3,722.12	2,233.27	1,116.64	372.21
सौभाग्या	887.11	532.26	266.14	88.71
कुल	**5,870.15**	**3,900.39**	**1,382.78**	**587.01**

* *राज्य (स्वयं/ऋण) द्वारा प्रदत्त किया जाना है।*

तालिका 6.2: भारत सरकार/ झारखण्ड सरकार/ ऋण से प्राप्त योजनावार निधि एवं उपयोगिता

(₹ करोड़ में)

योजना का नाम	विमुक्त निधि				उपयोगित निधि
	भारत सरकार	ऋण	झारखण्ड सरकार	कुल	
आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना)	921.60	102.42	145.51	1,169.53	1,148.44
डीडीयुजीजेवाई	2,236.07	1,090.35	837.50	4,163.92	3,856.16
सौभाग्या	142.90	शून्य	86.84	229.74	33.45[97]
कुल	**3,300.57**	**1,192.77**	**1,069.85**	**5,563.19**	**5,038.05**

(स्रोत: जेबीवीएनएल द्वारा प्रदत्त आँकड़े)

यह पाया गया कि:

- आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना) योजना 17 जिलों के लिए स्वीकृत (अगस्त 2014) हुई। कार्य नौ संवेदकों को 24 महीने के समापन अवधि के साथ ₹ 1,351.76 करोड़ की लागत में आवंटित (फरवरी 2016 से मई 2016) की गई। क्षेत्र सर्वेक्षण के बाद कार्यक्षेत्र विस्तार में वृद्धि(जुलाई 2017 से फरवरी 2018 के दौरान) के कारण लागत बढ़कर ₹ 1,610.99 करोड़ हो गई।
- इसी प्रकार, डीडीयुजीजेवाई राज्य के सभी 24 जिलों के लिए स्वीकृत (अगस्त 2015) हुई। 12 संवेदकों को कार्य का आवंटन 24 महीने के समापन अवधि के साथ ₹ 4,163.12 करोड़ की लागत से आवंटित (मार्च 2017 से सितंबर 2017) की गई। क्षेत्र सर्वेक्षण के बाद कार्य के क्षेत्र विस्तार में वृद्धि एवं जीएसटी के प्रकटीकरण के कारण लागत बढ़कर (नवम्बर 2018) ₹ 5,245.63 करोड़ हो गई।

आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना) एवं डीडीयुजीजेवाई के कार्य समाप्त (जून 2020) नहीं हुई थी।

---

97 ₹ 107.31 करोड़ ईएससी को हस्तान्तरित की गई

6.1.2 राज्य योजना

राज्य योजनाओं में जून 2020 तक प्राप्त एवं उपयोगित निधि का विवरण **तालिका 6.3** में है:

तालिका 6.3: अनुमोदित योजना लागत के विरुद्ध योजनावार प्राप्त एवं उपयोगित निधि

(₹ करोड़ में)

योजना का नाम	योजना लागत	प्राप्त निधि	उपयोगित निधि
ऐजीजेवाई	**150.00**	**100.00**	**74.63**
टीएमकेपीवाई	**117.00**	**100.00**	**1.38**
जेएसबीएवाई	**2,664.54**[98]	**900.36***	**570.50**[99]
कुल	**2,931.54**	**1,100.36**	**646.51**

** विमुक्त निधि में जेएसबीएवाई ग्रामीण एवं शहरी मिश्रित*

(स्रोत: जेबीवीएनएल द्वारा प्रदत्त आँकड़े)

6.2 योजना अनुश्रवण अभिकरण (पीएमए) पर अतिरिक्त खर्च

जेबीवीएनएल ने आरईसीपीडीसीएल को पीएमए के रूप में नवंबर 2018 तक के लिए आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना) के तहत् 17 जिलों में कार्यान्वित किए जाने वाले परियोजनाओं के लिए ₹ 11.95 करोड़ के परामर्शी शुल्क पर नियुक्त किया (अगस्त 2016), जिसे चरणों[100] में दिया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना) मुख्यतया सामग्री आपूर्ति के लिए आपूर्तिकर्ताओं के चयन, विद्युत उपकरण के प्रत्याभूत तकनीकी मानक के अनुमोदन, विद्युत संरचना के अनुमोदित चित्रण का अनुमोदन, सामग्री निरीक्षण, टीकेसी को भूमि उपलब्ध कराने इत्यादि में विलंब के कारण पूरा नहीं हो सका (जून 2020)। जेबीवीएनएल ने प्रति माह ₹ 19.93 लाख के लागत पर पीएमए को सितंबर 2019 तक अवधि विस्तार दिया गया। परिणामतः जेबीवीएनएल दिसंबर 2018 से सितंबर 2019 के अवधि के लिए ₹ 1.99 करोड़ का अतिरिक्त परिहार्य व्यय किया। पीएमए अनुबंध का अवधि विस्तार (जून 2021) अक्टूबर 2019 से सितंबर 2020 तक ₹ 1.44 करोड़ के अनुमानित लागत पर दिया गया जिसका अवधि विस्तार आगे बढ़ाये जाने की संभावना है।

प्रबंधन/विभाग ने बताया (मई 2021/अक्टूबर 2021) की कार्यक्षेत्र में वृद्धि के कारण अनुबंध का अवधि विस्तार किया गया एवं परिणामतः लागत में वृद्धि हुई।

जेबीवीएनएल का यह तर्क कि कार्य की मात्रा में वृद्धि हुई थी, स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आरजीजीवीवाई (XII योजना) डीपीआर में वर्णित कार्यक्षेत्र 18,092 गाँव

---

98 जेएसबीएवाई की कुल परियोजना लागत ₹ 5,127.56 करोड़ थी जिसमें जेएसबीएवाई ग्रामीण के लिए ₹ 2,084.93 करोड़ और मीटरीकरण एवं नए कृषि विद्युत-संबंध के लिए ₹ 579.61 करोड़ शामिल थे।

99 जेएसबीएवाई शहरी के लिए ₹ 146.97 करोड़ को छोड़कर।

100 टीकेसी को भुगतान के साथ आनुपातिक आधार पर अनुबंध मूल्य का 45 प्रतिशत, अनुबंध अवधि के 27 समान मासिक किश्तों में 45 प्रतिशत और कार्य समाप्त होने पर शेष 10 प्रतिशत।

और 4,71,971 बीपीएल विद्युत-संबंध के विरुद्ध केवल 10,752 गांव का विद्युतीकरण और 2,71,670 बीपीएल विद्युत-संबंध जारी किया। इसके अलावा, जेबीवीएनएल और टीकेसी कार्य में विलंब के लिए जिम्मेदार थे, जिसके कारण पीएमए को अवधि विस्तार दिया जाना आवश्यक हो गया था।

6.3 टीडीएस कटौती न होने से संवेदकों को अनुचित लाभ

आयकर अधिनियम 1961 के धारा 194 ग(1) के अनुसार किसी संविदा के अनुसरण में, उत्तरदायी कोई व्यक्ति, किसी कार्य (जिसके अधीन किसी कार्य को करने के लिए श्रम की आपूर्ति भी है) को करने के लिए किसी निवासी (संवेदक) को, जहां भुगतान किसी व्यक्ति या अविभाजित हिन्दू परिवार से भिन्न किसी व्यक्ति को संदाय या प्रत्यय किया जा रहा हो, वहां दो प्रतिशत, के बराबर रकम की आय पर आय-कर के रूप में कटौती करेगा।

लेखापरीक्षा में पाया कि जेबीवीएनएल ने टीकेसी से एक टर्न-की अनुबंध किया परंतु मूल्य को ध्यान को रखकर अनुबंध को दो भाग यथा आपूर्ति एवं निर्माण में विभाजित कर दिया गया। टीकेसी को भुगतान के समय, जेबीवीएनएल ने आपूर्ति पक्ष में टीडीएस नहीं काटा अपितु यह अनुबंध का भाग था और निर्माण के साथ जुड़ा था। अतः आपूर्ति पक्ष को भी श्रोत पर कर (टीडीएस) कटौती के लिए विचार किया जाना था।

तत्पश्चात, आयकर विभाग (आईटीडी) ने जेबीवीएनएल को आरई के 17 योजना एवं पांच पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास तथा सुधार कार्यक्रम (आरएपीडीआरपी) के विरुद्ध ₹ 36.64 करोड़ जमा करने के लिए सूचित (अक्टूबर 2017) किया। जेबीवीएनएल आपूर्ति पक्ष पर ₹ 9.79 करोड़[101] की कम कटौती को स्वीकार (नवंबर 2017) किया एवं ₹ 9.79 करोड़ के 20 प्रतिशत की राशि ₹ 1.96 करोड़[102] जमा कर माँग विपत्र में सुधार करने के लिए आयकर उपायुक्त के पास आवेदन दिया।

अतः जेबीवीएनएल विपत्र से टीडीएस न/ कम कटौती कर संवेदकों को कम से कम ₹ 7.32 करोड़ का अनुचित लाभ प्रदान किया।

प्रबंधन/विभाग अपने उत्तर (मई 2021/अक्टूबर 2021) में स्वीकार किया कि आयकर विभाग ने अपने कारण बताओ नोटिस में कहा, चूँकि यह मिश्रित अनुबंध था, जेबीवीएनएल को पूरे अनुबंध मूल्य पर आयकर कटौती करनी थी।

6.4 डीडीयुजीजेवाई के ऋण पक्ष पर उच्च दर से ब्याज का पुनर्भुगतान

ऋण अनुबंधपत्र के अनुसार, जेबीवीएनएल को आरईसी के अद्यतन ऋण नीति में वर्णित श्रेणी[103] को प्रति अदायगी दिवस में प्रचलित दर के अनुसार ऋण भारित

---

101 आरई - ₹ 7.32 करोड़ और आरएपीडीआरपी - ₹ 2.47 करोड़।

102 आरई मद से ₹ 1.46 करोड़ एवं आरएपीडीआरपी मद से ₹ 49.48 लाख।

103 आरईसी ने प्रत्येक श्रेणी के लिए लागू ब्याज दरों को परिभाषित करने के लिए राज्य क्षेत्र की यूटिलिटी को श्रेणियों जैसे ए+, ए, बी और सी में वर्गीकृत किया।

किया जाना था। प्रयोज्य ऋण दर प्रति तीन वर्षों में पुनर्नियोजित एवं त्रैमासिक आधार पर संयोजन के साथ निम्न शर्तों के साथ लागू होने थे:

- अगर आरईसी की जेबीवीएनएल के लिए ऋण अदायगी 9.5 प्रतिशत से कम रही तो, डीडीयुजीजेवाई योजना के लिए, जेबीवीएनएल को आरईसी के ऋण अदायगी दर पर कोई छूट नहीं दी जाएगी;
- अगर आरईसी की जेबीवीएनएल के लिए ऋण अदायगी दर 9.5 प्रतिशत से 11.50 प्रतिशत के बीच रही तो, प्रयोज्य ऋण दर 9.5 प्रतिशत रहेगी; और
- अगर आरईसी की जेबीवीएनएल के लिए ऋण अदायगी 11.50 प्रतिशत से ज्यादा रही तो, डीडीयुजीजेवाई योजना के लिए, जेबीवीएनएल को आरईसी के ऋण अदायगी दर पर 1.50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

इसके अतिरिक्त, आरईसी, झारखण्ड सरकार और जेबीवीएनएल के बीच हुए त्रिपक्षीय अनुबंध (नवंबर 2016) के अनुसार, आरईसी को झारखण्ड सरकार के एवज में सीधे जेबीवीएनएल के खाते में निधि आवंटित करनी थी और अगर आरईसी से कोई ऋण लिया जाता है तो झारखण्ड सरकार, आरईसी के स्वीकृति पत्र के अनुसार, ऋण अदायगी एवं ब्याज एवं अन्य प्रभार के भुगतान के लिए वचनवद्ध/ उत्तरदायी था।

- लेखापरीक्षा ने पाया कि डीडीयुजीजेवाई योजना के कार्यान्वयन के लिए आरईसी ने जेबीवीएनएल को ₹ 1,103 करोड़ की ऋण स्वीकृत किया (नवंबर 2017)। जिसमें से ₹ 1,090.35 करोड़ का आवंटन जेबीवीएनएल को (दिसंबर 2018 एवं जून 2020 के दौरान) किया गया। आरईसी जेबीवीएनएल के ऋण पर 9.5 प्रतिशत, 10 प्रतिशत एवं 10.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज भारित किया जबकि ऋण अनुबंधपत्र के अनुसार अनुमान्य दर 9.5 प्रतिशत थी क्योंकि दिसंबर 2018 से आरईसी प्रयोज्य ऋण दर कभी भी 11.50 प्रतिशत से ऊपर नहीं गई।

परंतु, जेबीवीएनएल ने कभी आरईसी के साथ 10 प्रतिशत एवं 10.75 प्रतिशत के उच्च दर के ब्याज भारित करने का मुद्दा नहीं उठाया और दिसंबर 2018 से जून 2020 के अवधि के लिए ₹ 113.20 करोड़ के माँग के विरुद्ध ₹ 110.32 करोड़[104] (मार्च 2020 तक) भुगतान किया जिसमें ₹ 1.17 करोड़ (***परिशिष्ट VII***) का अतिरिक्त ब्याज़ भी शामिल था। क्योंकि, झारखण्ड सरकार ने ऋण अदायगी के लिए कोई धन उपलब्ध नहीं कराया, जेबीवीएनएल ब्याज दण्ड से बचने के लिए डीडीयुजीजेवाई के निधि से ₹ 110.32 करोड़ रुपये का भुगतान किया। इसके अतिरिक्त झारखण्ड सरकार ₹ 54.60 करोड़ (दिसम्बर 2020) का भुगतान किया जिसमें ₹ 94.71 लाख दण्ड राशि शामिल थी।

[104] विलंब शुल्क सहित ₹ 9.23 लाख।

➢ डीडीयुजीजेवाई का कार्य एलओए के अनुसार अप्रैल 2019 से सितंबर 2019 के बीच समाप्त होना था किन्तु मई 2020 तक कार्य अपूर्ण थे। एटीसी हानि भी 2018-19 के 15 प्रतिशत के लक्ष्य के विरुद्ध 28.69 प्रतिशत रहा। पूर्ण मीटरीकरण एवं ऊर्जा लेखांकन के कमी के कारण, जेबीवीएनएल, झारखण्ड सरकार से उपयुक्त आर्थिक सहायता लेने में असफल रहा। अतः, जेबीवीएनएल, डीडीयुजीजेवाई के ऋण का अतिरिक्त अनुदान के परिवर्तन से संबंधित आरईसी के शर्तों को पूरा नहीं कर सका जिसके कारण 50 प्रतिशत ऋण (₹ 558.32 करोड़) को अतिरिक्त अनुदान में परिवर्तित कराने से होने वाले लाभ प्राप्त करने की स्थिति में नहीं था।

प्रबंधन/विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकारते (मई/अक्तूबर 2021) हुए कहा कि इस मामले को आरईसी के समक्ष स्पष्टीकरण के लिए उठाया गया है।

6.5 मोबिलाइजेसन अग्रिम पर ब्याज़

आरईसी निर्देशिका (22 अगस्त 2016) के अनुसार, डीडीयुजीजेवाई के अनुबंध के दशा में मोबिलाइजेसन अग्रिम पर ब्याज़ दर एसबीआई के आधार मूल्य से कम नहीं होना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जेबीवीएनएल ने फरवरी 2018 से फरवरी 2020 के बीच 8.65 प्रतिशत से 9 प्रतिशत के दर से ब्याज़ भारित किया जो एसबीआई के आधार मूल्य जो 8.95 प्रतिशत से 9.1 प्रतिशत के बीच था, से कम रहा। परिणामस्वरूप, जेबीवीएनएल टीकेसी से ₹ 25.95 लाख का कम ब्याज़ अर्जित किया।

प्रबंधन/विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकारते (मई /अक्तूबर 2021) हुए कहा कि लेखापरीक्षा अवलोकन के आलोक में मोबिलाइजेसन अग्रिम पर ब्याज की गणना की समीक्षा की जा रही है और अल्प वसूली को अग्रिम विपत्र से वसूल कर ली जाएगी।

6.6 मोबिलाइजेसन अग्रिम से अर्जित ब्याज का नियम-विरुद्ध रखना

आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना) एवं डीडीयुजीजेवाई योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार, चूँकि डीडीयुजीजेवाई के अंतर्गत प्राप्त पूंजीगत सब्सिडी/अनुदान भारत सरकार की निधि थी और लाभार्थी मात्र निधि का देखभाल करने वाला था, पूंजीगत सब्सिडी/अनुदान से अर्जित ब्याज को कम से कम तीन महीने में एक बार उर्जा मंत्रालय के खाते में भेजना था।

साथ ही, सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर) 2017 के धारा 230(8) दर्शाता है कि अनुदेयी संस्था को अनुदान एवं अग्रिम (प्रतिपूर्ति को छोड़कर) से अर्जित सभी ब्याज एवं प्राप्ति को लेखा के समापन के तत्पश्चात अनिवार्य रूप से भारत के संचित निधि में भेजा जाना चाहिए। इन अग्रिम का समायोजन भविष्य में विमुक्त होने वाली राशि से नहीं किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जेबीवीएनएल, आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना) एवं डीडीयुजीजेवाई में वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान लगे टीकेसी को दिये

₹ 404.46 करोड़[105] के अग्रिम पर ₹ 41.62 करोड़[106] रुपया ब्याज़ कमाया जिसमें से ₹ 33.07 करोड़[107] ब्याज़ भारत सरकार अनुदान पर अर्जित किया जिसका उपयोग मोबिलाइजेसन अग्रिम देने में किया गया था। परंतु, जेबीवीएनएल ने भारत सरकार के अनुदान से अर्जित ब्याज़ को उर्जा मंत्रालय को नहीं भेजा।

प्रबंधन/विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकारते (मई/अक्तूबर 2021) हुए कहा कि ब्याज़ का अंतिम गणना योजना के समापन पर किया जाएगा एवं तदनुसार समायोजित किया जाएगा।

6.7 खनिज स्वामित्व की कटौती न किया जाना

झारखंड लघु खनिज रियायत नियमावली (जेएमएमसी), 2004 नियम 55 के अनुसार, कार्य संवेदकों को लघु-खनिजों की खरीदारी केवल अनुमति-पत्र धारक/ प्राधिकृत पट्टाधारकों से ही करनी है। साथ ही कार्य संवेदक को कार्य विभाग को विपत्र के साथ प्रपत्र 'ओ' में एक शपथ पत्र तथा प्रपत्र 'पी' में विवरणी समर्पित करना होता है जिसमें खनिज के खरीद का श्रोत, चुकता मूल्य एवं क्रय मात्रा का वर्णन होता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जेबीवीएनएल ने आरई योजना यथा डीडीयुजीजेवाई एवं आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना) इत्यादि में उपयोगित लघु खनिज यथा बालू, ईंट, चिप्स इत्यादि के खरीद के प्रमाण से संबन्धित प्रपत्र 'ओ' में एक शपथ पत्र तथा प्रपत्र 'पी' में विवरणी, विपत्र के साथ देने के लिए टीकेसी से आग्रह नहीं किया क्योंकि एलओआई में सिविल निर्माण कार्य का सामग्री विवरण नहीं था, जेबीवीएनएल ने भी किसी विपत्र से स्वामित्व की कटौती नहीं की।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि 44 पीएसएस में से, 24 पीएसएस का निर्माण नमूना-जांचित सात जिलों में किया गया था। डीडीयुजीजेवाई के तहत निर्मित गिरिडीह जिले (पैकेज IV) में एक पीएसएस की केवल चारदीवारी और नियंत्रण कक्ष के लिए सामग्री विवरण की जांच से कार्य में उपयोग किए गए चिप्स, रेत और ईंटों के विरुद्ध ₹ 10.63 लाख की स्वामित्व की कटौती न किए जाने का पता चला। इस गणना के आधार पर, जेबीवीएनएल ने 24 पूर्ण पीएसएस के विरुद्ध कम से कम ₹ 2.55 करोड़ के स्वामित्व की कटौती नहीं की।

प्रबंधन/विभाग ने कहा (मई /अक्तूबर 2021) कि संवेदकों से प्रपत्र 'ओ' एवं प्रपत्र 'पी' समर्पित करने के लिए पत्राचार किया गया है और उनके प्रस्तुतीकरण के बाद उचित निर्णय लिया जाएगा।

---

[105] XII पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ₹ 63.38 करोड़ और डीडीयुजीजेवाई के अंतर्गत ₹ 341.08 करोड़।

[106] XII पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ₹18.56 करोड़ और डीडीयुजीजेवाई के अंतर्गत ₹ 23.06 करोड़।

[107] XII पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ₹17.11 करोड़ और डीडीयुजीजेवाई के अंतर्गत ₹ 15.96 करोड़।

सारांश में, *जेबीवीएनएल ने आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना) से संबंधित कार्यों को समय पर पूरा करना सुनिश्चित नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप सितंबर 2020 तक परियोजना निगरानी एजेंसी (पीएमए) पर ₹ 3.43 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।*

जेबीवीएनएल निर्धारित समय के भीतर कार्यों को पूरा करने, 2018-19 तक एटीसी हानियों को 15 प्रतिशत की निर्धारित सीमा के भीतर रखने, मीटर-युक्त और बिल की गई विद्युत् उपभोग के आंकड़ों के अभाव में, झारखण्ड सरकार से स्वीकार्य राजस्व सब्सिडी दावा करने में विफल रहा। अतः जेबीवीएनएल ₹ 558.32 करोड़ मूल्य के 50 प्रतिशत ऋण को अतिरिक्त अनुदान में बदलने का लाभ नहीं उठा पाएगा।

आरईसी ने ऋण समझौते के अनुसार 9.5 प्रतिशत के स्वीकार्य ब्याज के विरुद्ध जेबीवीएनएल को वितरित ऋण (₹ 1,090.35 करोड़) पर 9.5 प्रतिशत, 10 प्रतिशत और 10.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष का ब्याज लगाया। इस प्रकार, जेबीवीएनएल ने दिसंबर 2018 से जून 2020 की अवधि के लिए ₹ 1.17 करोड़ के अधिक ब्याज का भुगतान किया।

टीकेसी को फरवरी 2018 से फरवरी 2020 के दौरान मोबिलाइजेशन अग्रिम पर ब्याज, मौज़ूदा एसबीआई आधार दर से कम दर पर लगाया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 25.95 लाख की कम वसूली हुई।

जेबीवीएनएल ने टीकेसी को दिए गए ₹ 404.46 करोड़ के मोबिलाइज़ेशन अग्रिम पर ₹ 41.62 करोड़ का ब्याज अर्जित किया, जिसमें भारत सरकार से प्राप्त अनुदान पर प्राप्त ₹ 33.07 करोड़ का ब्याज भी शामिल था। हालांकि, जेबीवीएनएल ने भारत सरकार के अनुदान पर अर्जित ब्याज उर्जा मंत्रालय को नहीं भेजा।

अध्याय 7 संविदा प्रबंधन

7.1 निविदाओं का अनियमित आवंटन

7.1.1 आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना) के अन्तर्गत निविदाओं का अनियमित आवंटन

आरजीजीवीवाई (XII योजना) के लिए मानक बोली दस्तावेज (एसबीडी) के नियम और शर्तों के अनुसार, निविदाकर्ताओं की तकनीकी योग्यता के मानदंड निम्नानुसार थे:

- कोई निविदाकर्ता निविदा खुलने के तारीख से पूर्व के सात वर्षों के दौरान (i) कम से कम दो नया पीएसएस या एक नया ग्रिड सब स्टेशन (जीएसएस) स्थापित किया होना चाहिए, (ii) 11/22/33/66 केवी या उच्च क्षमता या मिलाकर निर्मित लाइन की लंबाई, उस निविदा विशेष के 11 और 33 केवी लाइन की लंबाई के कुल योग का कम से कम 10 प्रतिशत होना चाहिए और (iii) निविदा में कम से कम 200 या 10 प्रतिशत, जो भी कम हो, वितरण ट्रांसफार्मर (डीटीआर) अधिष्ठापित किया होना चाहिए।

- संयुक्त उद्यम (जेवी) के मामले में, भागीदारों के पास संयुक्त उद्यम में उनके हिस्से के अनुपात में तकनीकी अनुभव होना चाहिए।

- पूर्ण किए गए अनुबंधों का सफलतापूर्वक निष्पादन और निविदा की तारीख को स्थापना के संतोषजनक संचालन के वर्षों की संख्या को संबंधित उपभोक्ताओं द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए और आवंटन पत्र/ कार्यादेश की प्रति के साथ होना चाहिए, ऐसा न करने पर निविदाकर्ता को योग्यता मानदंड पूरा करने के लिए योग्य नहीं माना जाएगा।

- निविदाकर्ता को निविदा पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रत्येक पृष्ठ पर विधिवत हस्ताक्षरित 'सत्यनिष्ठा अनुबंध' की दो प्रतियां जमा करनी थीं, ऐसा न करने पर निविदा को अस्वीकार कर दिया जाता।

लेखापरीक्षा ने निविदाओं के मूल्यांकन और कार्य आवंटन में निम्नलिखित अनियमितताएं देखीं:

- एक संयुक्त उद्यम, मेसर्स एनविल केबल प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता और मेसर्स शिखा इलेक्ट्रिक स्टोर्स ने 80:20 के अनुपात में आरजीजीवीवाई (XII योजना) के अंतर्गत धनबाद, बोकारो और गिरिडीह जिलों के लिए एनआईटी में भाग लिया। हालांकि, संयुक्त उद्यम (अक्टूबर 2015 में गठित) के प्रमुख भागीदार मेसर्स एनविल केबल ने बोलियों के साथ अपने स्वयं का निष्पादित दस्तावेज जमा नहीं किया और केवल गौण भागीदार (मेसर्स शिखा इलेक्ट्रिकल स्टोर्स) का निष्पादन

प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया। इस कारण, प्रमुख हिस्सेदार के प्रदर्शन का मूल्यांकन उनके जेवी के हिस्सेदारी के अनुपात में नहीं किया जा सका (***परिशिष्ट VIII)*** और जेवी को तकनीकी रूप से सफल घोषित किया गया (दिसंबर 2015)। मेसर्स एनविल केबल प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता को कार्य आवंटित किया गया और परिणामतः मेसर्स एनविल केबल प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता ने ₹ 298.32 करोड़ के मूल्य के लिए तीन अनुबंध किए (जुलाई 2016 एवं अक्टूबर 2016) जिसमें से जून 2020 तक ₹ 188.64 करोड़ का भुगतान कर दिया गया था। अतः मेसर्स एनविल केबल प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता को जेबीवीएनएल के निदेशक मण्डल ने कार्य आवंटित किया जो तकनीकी मानदंड पूरा नहीं कर रहा था।

प्रबंधन/विभाग ने कहा (मई/अक्टूबर2021) कि निविदाकर्ता या जेवी के मामले में साझेदार को तकनीकी योग्यता संयुक्त रूप में पूर्ण करना चाहिए।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एनआईटी के खंड 1.1.1 (टिप्पणी 1) के अनुसार अगर निविदाकर्ता (अकेले/ जेवी के साझेदार) अपना तकनीकी अनुभव एक संयुक्त उद्‌यम के रूप में समर्पित करता है, जिसमें निविदाकर्ता भी एक साझेदार हो तो उनका तकनीकी अनुभव, अनुपातिक रूप से संयुक्त उद्‌यम में वर्णित हिस्सेदारी के अनुपात में लिया जाएगा। मेसर्स एनविल केबल ने अपना अनुभव पत्र समर्पित नहीं किया अपितु, मेसर्स एनविल केबल को खुद के हैसियत पर कार्य आवंटित किया गया जिसका उपयोग अन्य अनुबंध लेने में भी किया गया, जिसपर आगामी कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

- मेसर्स टेक्नो पावर इंटरप्राइजेज को आरजीजीवीवाई (XII योजना) के तहत गुमला और रामगढ़ जिले में एल1 बोलीदाता होने के नाते काम दिया गया (फरवरी 2016)। अपने अनुभव के समर्थन में, मेसर्स टेक्नो पावर इंटरप्राइजेज ने दो कार्यादेशों का सार, पहला दो पीएसएस के लिए और दूसरा एक जीएसएस का प्रस्तुत किया। हालांकि, ये कार्यादेश, एसबीडी में अपेक्षित नए पीएसएस या जीएसएस के निर्माण करने के बजाय उन्नयन और आधुनिकीकरण (दो में से एक पीएसएस और एक जीएसएस) के लिए थे। निविदाकर्ता ने परियोजना के समर्थन में आवश्यक "सत्यनिष्ठा अनुबंध" और पूर्ण कार्यादेश भी प्रस्तुत नहीं किया था। इस प्रकार, मेसर्स टेक्नो पावर इंटरप्राइजेज एसबीडी के अनुसार अनुबंध प्रदान करने के लिए तकनीकी रूप से योग्य नहीं था।

प्रबंधन/विभाग ने अपने उत्तर (मई/अक्टूबर 2021) में कहा कि मेसर्स टेक्नो पावर इंटरप्राइजेज ने नागालैंड के वोखा जिले में रालन हेड क्वार्टर और लोंगसा में आरजीजीवीवाई योजना के तहत दो नए पीएसएस की आपूर्ति, निर्माण, कमीशनिंग और परीक्षण से संबंधित टर्न-की का काम पूरा कर लिया है। इस प्रकार दो नए पीएसएस की सामग्री की आपूर्ति, सर्वेक्षण, निर्माण, परीक्षण और कमीशनिंग के मानदंडों को पूरा किया। इसके अलावा निविदाकर्ता ने शुरू में बिना हस्ताक्षर के

सत्यनिष्ठा समझौता प्रस्तुत किया था लेकिन बाद में अनुरोध पर इसे जमा करा दिया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उक्त कार्यादेश के अनुसार, मेसर्स टेक्नो पावर इंटरप्राइजेज को रालन में केवल एक नए 33/11 केवी सब-स्टेशन-1.6 एमवीए के लिए काम दिया गया था और वोखा में सांसी और लोंगसा में -1.6 एमवीए के दो मौजूदा 33/11 केवी सब-स्टेशनों का विस्तार किया गया था। इस प्रकार, वोखा के लोंगसा में सब-स्टेशन उन्नयन के लिए था न कि नए निर्माण के लिए। इसके अलावा, प्रबंधन द्वारा लेखापरीक्षा को सत्यनिष्ठा समझौते की हस्ताक्षरित प्रति प्रस्तुत नहीं की गई थी।

7.1.2 डीडीयुजीजेवाई के तहत ठेके का अनियमित आवंटन

डीडीयुजीजेवाई के लिए मानक बोली दस्तावेज (एसबीडी) के नियमों और शर्तों के अनुसार, बोलीदाता की तकनीकी-वाणिज्यिक योग्यता के मानदंड निम्नानुसार थे:

- किसी विशेष निविदा के लिए, निविदाकर्ता ने पिछले सात वर्षों में (33/11 केवी या 66/22 केवी) और उससे जुड़ी लाइन (33 केवी या 66 केवी) के सब-स्टेशन को सफलतापूर्वक स्थापित, परीक्षण और चालू किया हो और निविदा खुलने की तारीख तक उक्त सिस्टम का संतोषजनक संचालन कम से कम एक वर्ष के लिए होना चाहिए।
- निविदाकर्ता अनिवार्य रूप से एकल टर्न-की अनुबंध में, ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता[108] का कम से कम 50 प्रतिशत और लाइन की लंबाई का 50 प्रतिशत या दो टर्न-की अनुबंधों में, ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता का कम से कम 40 प्रतिशत और लाइन की लंबाई का 40 प्रतिशत या तीन टर्न-की अनुबंधों में ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता का कम से कम 30 प्रतिशत और लाइन की लंबाई का 30 प्रतिशत का निर्माण प्रत्येक में किया होना चाहिए।
- एक से अधिक परियोजनाओं के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, एक निविदाकर्ता की तकनीकी आवश्यकता एक परियोजना के लिए अधिकतम आवश्यक योग्यता (क्यूआर) की होनी चाहिए।
- निविदाकर्ता को विद्युत पारेषण या उप-पारेषण और वितरण क्षेत्र में एकल रूप से पिछले पांच वर्षों में न्यूनतम वाणिज्यिक मानदंडों को पूरा करना था, यथा पूर्ण एकल परियोजना में, परियोजना के अनुमानित लागत के 50 प्रतिशत से कम का अनुभव नहीं या दो पूर्ण कार्य परियोजना में 40 प्रतिशत से कम का अनुभव नहीं या तीन पूर्ण कार्य परियोजना में लागत 30 प्रतिशत से कम का अनुभव नहीं होनी चाहिए।

[108] निविदा मे प्रस्तावित विद्युत ट्रांसफार्मरों की केवीए रेटिंग का योग।

- यदि निविदाकर्ता एक से अधिक परियोजनाओं के लिए कोटेशन देता है, तो वाणिज्यिक पूर्व-योग्यता आवश्यकता (पीक्यूआर) की जांच, उन सभी परियोजनाओं की परियोजना-वार अनुभव आवश्यकताओं के योग के आधार पर की जाएगी।
- निविदाकर्ता का निवल मूल्य सकारात्मक होना चाहिए।
- निविदाकर्ता को पिछले पांच वर्षों में मुकदमेबाजी या मध्यस्थता, यदि कोई हो, का विवरण प्रस्तुत करना था।
- भारत में किसी भी राज्य सरकार/केंद्र सरकार/सरकारी उपक्रम/विद्युत यूटिलिटी/डिस्कॉम द्वारा या जेबीवीएनएल और इसकी सहायक कंपनियों द्वारा पिछले तीन वर्षों में काली सूची में डाले गए या प्रतिबंधित किए गए निविदाकर्ता, निविदा में भाग लेने के लिए पात्र नहीं होंगे। झूठी घोषणा प्रस्तुत करने के मामले में, निविदाकर्ता का अग्रिम धन जब्त कर लिया जाएगा और निविदा को अस्वीकार किया जा सकता है या एलओए (कार्यादेश) रद्द किया जा सकता है।
- उन निविदाकर्ताओं की निविदाएं स्वीकार्य नहीं थीं, जो पिछले तीन वर्षों में नियोक्ता के किसी अन्य अनुबंध के लिए एलओआई/एलओए के एवज में प्रदर्शन सुरक्षा जमा करने में विफल रहे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि डीडीयुजीजेवाई कार्यों के लिए एनआईटी को आपूर्ति और निर्माण के लिए 12 पैकेजों[109] में जारी (अगस्त 2016) किया गया था। जेबीवीएनएल ने प्रत्येक पैकेज के लिए अलग-अलग निविदा का मूल्यांकन किया और एक ही निविदाकर्ता द्वारा कई पैकेजों के लिए प्रस्तुत बोलियों के लिए पीक्यूआर पर विचार नहीं किया।

- मेसर्स आईएलएफएस इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (आईएलएफएस) ने अगस्त 2016 में आमंत्रित निविदा में आठ[110] जिलों के विभिन्न पैकेजों और जनवरी 2017 में आमंत्रित निविदा में तीन जिलों के तीन पैकेजों में भाग लिया। यह देखा गया कि आईएलएफएस का तकनीकी-वाणिज्यिक प्रदर्शन आवश्यकता से काफी कम था और तीन से 96 प्रतिशत के बीच था ***(परिशिष्ट IX)***। इसी तरह, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम जिलों में ***(परिशिष्ट X)*** आईएलएफएस की क्षमता 31 से 73 प्रतिशत के बीच रही और कार्य के लिए तकनीकी-वाणिज्यिक मानकों को पूरा नहीं किया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आईएलएफएस को एसबीडी में नियमों और शर्तों का पालन किए बिना तीन पैकेजों (साहिबगंज, पश्चिम सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम) में ₹ 625.36 करोड़ मूल्य का कार्य प्रदान किया गया (मार्च और मई 2017)। इसके अलावा, निम्नलिखित अनियमितताएं भी देखी गईं:

[109] जमशेदपुर(102), राँची(103), हजारीबाग(104), गिरिडीह(105), गुमला(106), पलामू(107), दुमका(108), लोहरदगा(109), धनबाद(110), देवघर(111), गढ़वा(112), साहिबगंज(113)

[110] जमशेदपुर (102), राँची (103), गिरिडीह (105), दुमका (108), लोहरदगा (109), धनबाद (110), देवघर (111), साहिबगंज (113)।

आईएलएफएस के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए अपने पृथक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन और समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस) में विदेशी सहायक कंपनी में ₹ 33.19 करोड़ रुपये के निवेश को लेकर योग्य राय दी थी। 31 मार्च 2016 को सहायक कंपनी के वित्तीय विवरण के अनुसार, सहायक कंपनी की निवल संपत्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई थी और आईएलएफएस पर भावी देनदारियों को साझा करने के लिए संभावित दायित्व हो सकता था जो अनुमान लगाने योग्य नहीं थे। चूँकि, आईएलएफएस की निवल संपत्ति 31 मार्च 2016 को ऋणात्मक (₹ 25.61 करोड़) थी, इस तरह अनुबंध के लिए योग्य नहीं थी।

अंततः आईएलएफएस कार्यों को पूरा नहीं कर सका और जेबीवीएनएल ने उपरोक्त अनुबंधों को समाप्त कर दिया (जनवरी 2019)। आगे यह भी देखा गया कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल द्वारा स्थगन आदेश के बाद, आईएलएफएस को प्रदान किया गया अग्रिम वसूल नहीं किया जा सका और जेबीवीएनएल को अतिरिक्त वित्तीय बोझ उठाना पड़ा जिसकी चर्चा **कंडिका 7.2** में की गई है।

उत्तर में, प्रबंधन/विभाग ने कहा (मई/अक्टूबर 2021) कि साहिबगंज पैकेज के मामले में, अन्य पैकेजों के योग्यता मानदंड को एनआईटी के रूप में नहीं माना गया था, क्योंकि एनआईटी 102, 103, 109 और 111/पीआर/ जेबीवीएनएल/ 2016-17 को रद्द कर दिया गया था, दुमका और धनबाद पैकेज में निविदाकर्ता मूल्यांकन में ही अयोग्य घोषित कर दिए गए थे।

यह भी कहा गया कि पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम के मामले में एनआईटी अनुच्छेद सं. 1.2.1 (iii) के अनुसार, यदि कोई निविदाकर्ता एक से अधिक परियोजनाओं के लिए कोटेशन दे रहा है, तो पूर्व-योग्यता आवश्यकता की जांच, उन सभी परियोजनाओं की परियोजना–वार अनुभव आवश्यकताओं के योग के आधार पर की जाएगी। प्रबंधन ने आगे कहा कि "जांच की जाएगी" शब्द का व्यापक अर्थ और पहलू है और तदनुसार परियोजनाओं का मूल्यांकन निरंतरता के साथ जेबीवीएनएल के हित को ध्यान में रखकर किया गया है। इस संबंध में, आरईसी से राय ली गई थी और आरईसी ने जेबीवीएनएल की कार्यप्रणाली की समझ पर सहमति व्यक्त की थी। तदनुसार आईएलएफएस की निविदा का मूल्यांकन किया गया और एल1 पाए जाने के बाद संचयी क्यूआर पर विचार करते हुए निविदा क्षमता और अन्य वाणिज्यिक मानदंडों का मूल्यांकन किया गया। इसके अलावा, यदि दोनों परियोजनाओं को संचयी रूप में माना जाए तो एकल टर्न-की अनुबंध के मामले में, निष्पादित ₹ 190.50 करोड़ की परियोजना 50 प्रतिशत से अधिक है। पिछले तीन वित्तीय वर्ष में कंपनी का निवल मूल्य भी सकारात्मक था।

प्रबंधन/विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इसने एसबीडी क्लॉज 1.02.1 के अनुसार उन सभी परियोजनाओं की परियोजना–वार अनुभव आवश्यकताओं के योग पर विचार करते हुए पीक्यूआर तैयार नहीं किया था और एल1 का निर्णय केवल

मूल्य भाग के आधार पर किया गया और उसके उपरान्त एसबीडी के इतर तकनीकी वाणिज्यिक पक्ष का मूल्यांकन किया गया। इसके अलावा, आरईसी ने अपने स्पष्टीकरण में कहा था कि निविदा दस्तावेजों में निर्धारित अपेक्षित मानदंडों में विचलित किए बिना एक निविदाकर्ता (एक से अधिक परियोजनाओं के लिए कोटेशन) के वाणिज्यिक मानदंडों के मूल्यांकन की पद्धति पर उचित विधि अपनाई जा सकती है। इसके अलावा, साहिबगंज में, आईएलएफएस को एकल टर्न-की अनुबंध के मामले में 1,471.23 सर्किट किमी लाइन और 76.85 एमवीए ट्रांसफार्मेशन क्षमता की आवश्यकता थी। इसके विरुद्ध, आईएलएफएस ने पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) के लिए निष्पादित कार्य की स्थिति प्रस्तुत की (फरवरी 2014) और दावा किया कि उसने 1,978.38 किमी लाइन और 83.50 एमवीए ट्रांसफार्मेशन क्षमता का निर्माण किया। हालांकि, बाद में, आईएलएफएस ने केवल 55 एमवी ट्रांसफार्मेशन क्षमता के चालू होने और संतोषजनक संचालन के संबंध में पीजीसीआईएल द्वारा जारी प्रदर्शन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया (अक्टूबर 2014)। इस प्रकार, प्रस्तुत दस्तावेजों से, दावा की गई 1,978.38 किमी लाइनों और 83.50 एमवीए परिवर्तन क्षमता के एक वर्ष के सफल संचालन को एसबीडी में आवश्यकतानुसार स्थापित नहीं किया जा सकता था।

इसके अलावा, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम के मामले में, तकनीकी भाग पर उत्तर मौन था और आईएलएफएस के ₹ 190.5 करोड़ के अनुभव पर विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि उक्त कार्य सितंबर 2015 में पूरा किया गया था जबकि मार्च 2015 तक पूर्ण किए गए कार्य ही एसबीडी के तहत अपेक्षित थे।

आईएलएफएस का शुद्ध मूल्य अपने पृथक वित्तीय विवरण में धनात्मक था। हालांकि, सीएफएस में इसकी निवल संपत्ति ऋणात्मक थी। जेबीवीएनएल आईएलएफएस की वित्तीय क्षमता को उसके सहायक कंपनियों को ध्यान में रखकर आंकने में विफल रही। इसके अलावा, वित्तीय संकट के कारण, आईएलएफएस भी कार्य पूर्ण करने में विफल रहा।

- लेखापरीक्षा ने पाया कि मेसर्स आईएलएफएस को दिए गए कार्य की समाप्ति (जनवरी 2019) के बाद, नौ पैकेजों में पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, साहिबगंज और पाकुड़ जिलों में बचे हुए कार्यों के लिए एनआईटी जारी किए गए थे (जनवरी 2019)। मेसर्स एनविल केबल ने ₹ 317.56 करोड़ मूल्य के पांच[111] एनआईटी में भाग लिया। तकनीकी-वाणिज्यिक योग्यता मानदंड, एकल पूर्ण कार्य की स्थिति में अलग-अलग ₹ 158.78 करोड़ (₹ 317.56 करोड़ का 50 प्रतिशत),

[111] पूर्वी सिंहभूम पैकेज-2 (₹ 63.71 करोड़ रुपये का एनआईटी-276), पश्चिमी सिंहभूम पैकेज-1 (₹ 63.83 करोड़ रुपये का एनआईटी-277), पैकेज-2 (₹ 65.91 करोड़ रुपये का एनआईटी-278), पैकेज-3 (₹ 58.33 करोड़ रुपये का एनआईटी-279) और पैकेज-4 (₹ 65.78 करोड़ रुपये का एनआईटी-280)

दो पूर्ण कार्यों में अलग-अलग ₹ 127.02 करोड़ (₹ 317.56 करोड़ का 40 प्रतिशत) और तीन पूर्ण कार्य में अलग-अलग ₹ 95.26 करोड़ (₹ 317.56 करोड़ का 30 प्रतिशत) था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मेसर्स एनविल केबल प्रा. लिमिटेड ने आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना) के तहत जेबीवीएनएल द्वारा दिए गए ₹ 120.15 करोड़ के कार्यादेश से ₹ 71.63 करोड़ के पूर्ण कार्य और ₹ 73.30 करोड़ के कार्यादेश में से ₹ 58.98 करोड़ मूल्य पूर्ण कार्य के दो आंशिक रूप से पूर्ण (जनवरी 2018) कार्यों से संबंधित अनुभव दस्तावेज प्रस्तुत किए थे। इसके अलावा, यह देखा गया कि मेसर्स एनविल केबल ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), राँची में जेबीवीएनएल के विरुद्ध मामला दायर किया था (अगस्त 2016)। हालांकि, मेसर्स एनविल केबल प्राइवेट लिमिटेड निविदा के साथ गैर-मुकदमेबाजी इतिहास से संबन्धित झूठा हलफनामा प्रस्तुत किया था। इस प्रकार, मेसर्स एनविल केबल प्रा. लिमिटेड तकनीकी-व्यावसायिक रूप से योग्य नहीं था। फिर भी, जेबीवीएनएल ने पूर्वी सिंहभूम (पैकेज-2) के लिए ₹ 56.68 करोड़ मूल्य का एलओआई जारी किया (मार्च 2019)। आगे यह भी देखा गया कि मेसर्स एनविल केबल ने एलओआई जारी करने (मार्च 2019) के बाद जेबीवीएनएल के विरुद्ध मामला वापस ले लिया था (नवंबर 2019)।

प्रबंधन/विभाग ने कहा (मई/अक्टूबर 2021) कि पूर्ण किए गए कार्य का अर्थ होता है कार्यादेश के विरुद्ध निष्पादित कार्य और फर्म का मूल्यांकन कार्य की समान मात्रा को निष्पादित करने की क्षमता पर किया गया, अतः, अपेक्षित मानदंडों को पूरा किया गया।

प्रबंधन/विभाग ने आगे कहा कि मामला मेसर्स एनविल केबल प्रा. लिमिटेड एमएसईएफ काउंसिल, राँची में जेबीवीएनएल के विरुद्ध वर्ष 2009 से संबंधित भुगतान के संबंध में था और एसबीडी में मानदंड के अनुसार पिछले 5 वर्षों के अंतर्गत नहीं आता है। यह भी कहा गया कि फर्म द्वारा 18 नवंबर 2019 को मामला वापस ले लिया गया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एसबीडी में वाणिज्यिक मानदंड स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि अनुभव एकल पूर्ण कार्य में होना चाहिए और फर्म द्वारा उसके पक्ष में बोली का निर्णय मामला वापस लेने के बाद ही लिया गया।

- मेसर्स सनसिटी इंटरप्राइजेज को पूर्वी सिंहभूम जिले (पैकेज-1) में ₹ 60.71 करोड़ मूल्य का कार्य प्रदान किया गया (मार्च 2019), हालांकि निविदाकर्ता को एसबीडी के तहत आवश्यक पूर्ण कार्य का अनुभव नहीं था। निविदाकर्ता ने आरएपीडीआरपी के तहत जेबीवीएनएल स्वयं के द्वारा दिए गए ₹ 43.38 करोड़ के कार्यादेश में से ₹ 37.07 करोड़ मूल्य के आंशिक रूप से पूर्ण (मार्च 2018) कार्य से संबंधित अनुभव दस्तावेज प्रस्तुत किया था।

प्रबंधन/विभाग ने कहा (मई/अक्टूबर 2021) कि पूर्ण किए गए कार्य का अर्थ है कार्यादेश के विरुद्ध निष्पादित कार्य और फर्म का मूल्यांकन कार्य की समान मात्रा को निष्पादित करने की क्षमता के आधार पर किया गया था, अतः अपेक्षित मानदंडों को पूरा किया। आगे यह भी कहा गया कि यदि तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा पर विचार नहीं किया गया होता, तो कार्य एल-2 बोली लगाने वाले को दे दिया जाता और जेबीवीएनएल को ₹ 4.42 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ उठाना पड़ता।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एसबीडी में वाणिज्यिक मानदंड स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि अनुभव एकल पूर्ण कार्य में होना चाहिए।

- मेसर्स लेजर पावर एंड इंफ्रा (प्रा.) लिमिटेड को गिरिडीह जिले में ₹ 77.59 करोड़ मूल्य का कार्य (पैकेज-3) प्रदान किया गया (सितंबर 2017)। लेखापरीक्षा ने पाया कि फर्म ने एक घोषणा पत्र प्रस्तुत की थी (17 जुलाई 2017) कि निविदा की तिथि (जून 2017) को किसी भी पीएसयू/सरकारी उपक्रम/विद्युत उपयोगिता/डिस्कॉम द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया था। तथापि, यह देखा गया कि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) ने निविदाकर्ता को एक वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया था (11 जनवरी 2017)। डीएचबीवीएन की कार्रवाई के आधार पर, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) ने भी 2 जून 2017 से तत्काल प्रभाव से मेसर्स लेजर पावर एंड इंफ्रा (पी) लिमिटेड के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को प्रतिबंधित कर दिया था। इस प्रकार, फर्म द्वारा प्रस्तुत घोषणा-पत्र को सत्यापित किए बिना कार्य प्रदान किया गया।

प्रबंधन/विभाग (मई/अक्टूबर 2021) ने बताया कि निविदा की प्रक्रिया के दौरान सिटी सिविल कोर्ट, कलकत्ता द्वारा एक अंतरिम स्थगन आदेश जारी किया गया था। हालांकि, गैर-मुकदमे के इतिहास का दावा करने वाले झूठे हलफनामे को प्रस्तुत करने के संबंध में कुछ भी उत्तर नहीं दिया गया जबकि टीकेसी ने प्रस्तुत किया था कि पिछले पांच वर्षों में किसी अनुबंध के संबंध में किसी भी अदालत या मध्यस्थता प्राधिकरण में कोई मुकदमा या मध्यस्थता लंबित नहीं थी।

- लेखापरीक्षा में पाया गया कि जेबीवीएनएल ने मेसर्स ईस्ट इंडिया उद्योग लिमिटेड (ईआईयूएल) को मेसर्स एनर्जो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम में दिए गए एक अलग योजना[112] में मिले अनुबंध को समाप्त कर दिया था (04 अप्रैल 2017)। फिर भी, जेबीवीएनएल ने 20 अप्रैल 2017 को फर्म द्वारा प्रस्तुत तकनीकी-वाणिज्यिक निविदा खोली और उसे योग्य पाया। फर्म को एसबीडी के नियमों एवं शर्तों का उल्लंघन करते हुए तीन परियोजनाओं[113] के चार पैकेजों[114] में कार्य प्रदान किया गया।

---

[112] आरएपीडीआरपी

[113] गिरिडीह, गोड्डा और पलामू

[114] गिरिडीह पैकेज I एवं IV, गोड्डा और पलामू पैकेज।

प्रबंधन/विभाग ने कहा (मई/अक्टूबर 2021) कि निविदा खोली गई थी क्योंकि, पिछले तीन वर्षों में निविदा को समाप्त करने से संबंधित धारा क्यूआर का हिस्सा नहीं थी। जबकि, आईएलएफएस द्वारा छोड़े गए गांवों तथा जेएसबीएवाई चरण-I के लिए एनआईटी के समय, अनुबंध की समाप्ति वाला धारा, एनआईटी का हिस्सा था और तदनुसार, निविदा नहीं खोली गई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एसबीडी के योग्यता मानदंड की धारा 23.5 स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि "उन निविदाकर्ताओं की निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी जो पिछले 3 वर्षों में नियोक्ता का किसी अन्य अनुबंध में आशय पत्र (एलओआई)/ आवंटन पत्र (एलओए) जारी करने पर परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जमा करने में विफल रहे हों"।

7.2 समय और लागत का बढ़ जाना

समय अनुबंध का सार होता है और अगर समय-सारिणी का पालन न किया जाए तो परिणामस्वरूप लागत बढ़ सकती है। मेसर्स आईएलएफएस को डीडीयुजीजेवाई के तहत तीन पैकेजों[115] में कार्य सौंपा गया (मार्च और मई 2017) जिसे एलओआई जारी होने की तारीख से 24 महीने के भीतर पूरा किया जाना था। विद्युतीकरण कार्य की भौतिक प्रगति असंतोषजनक थी और चार से 17 प्रतिशत के बीच थी (दिसंबर 2018) क्योंकि फर्म जेबीवीएनएल के सीएमडी और एमडी के साथ बैठकों (जुलाई 2018 और दिसंबर 2018 के बीच) के दौरान बार-बार अपनी प्रतिबद्धता दर्शाने के बावजूद आवश्यक सामग्री और जनशक्ति नहीं जुटा पाई। सचिव, ऊर्जा विभाग-सह-सीएमडी, झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (जेयूवीएनएल)[116] और एमडी, जेबीवीएनएल ने मेसर्स आईएलएफएस को सामग्री आपूर्ति और निर्माण गतिविधियों में तेजी लाने में अपने प्रदर्शन में सुधार करने का निर्देश दिया (अप्रैल 2018) और चेतावनी जारी की कि असफल होने की दशा में निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) को सात दिनों के अंदर जब्त कर लिया जाएगा। तथापि, न तो मेसर्स आईएलएफएस ने कार्य में तेजी लाई और न ही जेबीवीएनएल ने चूक के लिए कोई कार्रवाई की।

झारखंड के मुख्यमंत्री ने खराब प्रदर्शन और पीईआरटी[117] अनुसूची का बार-बार पालन न करने के लिए आईएलएफएस को फटकार भी लगाई (जुलाई 2018 और अगस्त 2018)। हालांकि, जेबीवीएनएल ने अनुबंध को समाप्त करने और बीजी को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू करने में छः महीने का समय लिया और मेसर्स आईएलएफएस को समाप्ति नोटिस (दिसंबर 2018) दिया, एलओआई को रद्द कर दिया (जनवरी 2019) और बीजी को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। नेशनल

[115] (i) साहिबगंज और पाकुड़, (ii) पश्चिमी सिंहभूम और (iii) पूर्वी सिंहभूम

[116] जेबीवीएनएल की होल्डिंग कंपनी

[117] कार्यक्रम मूल्यांकन समीक्षा तकनीक

कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी), नई दिल्ली द्वारा स्थगनादेश लगाने (अक्टूबर 2018) के कारण पीबीजी की जब्ती अक्टूबर 2020 तक लंबित थी।

आगे यह देखा गया कि जनवरी 2019 तक, आईएलएफएस ने ₹ 624.36 करोड़ की स्वीकृत लागत और ₹ 561.88 करोड़ की स्वीकृत परियोजना लागत के मुकाबले ₹ 101.96 करोड़ का कार्य पूरा कर लिया था। अनुबंध की समाप्ति (जनवरी 2019) के बाद, शेष कार्यों को नौ पैकेजों में विभाजित किया गया था, जिसमें ₹ 135.06 करोड़ मूल्य का अतिरिक्त कार्य जोड़ा गया, जिसे बाद में आरईसी द्वारा इन जिलों[118] में विद्युतीकरण करने के लिए स्वीकृत (मार्च 2019) किया गया। कार्य के दायरे को कम करके एसओआर 2014-15 के आधार पर शेष स्वीकृत राशि ₹ 459.92 करोड़[119] के लिए हुए बचे गांवों का एनआईटी[120] आमंत्रित किया गया (जनवरी 2019)। इसके अलावा, आरईसी ने अतिरिक्त कार्य के लिए ₹ 135.06 करोड़[121] स्वीकृत (मार्च 2019) किया। कार्यों को स्वीकृत लागत के भीतर पुनर्विनियोजित किया जाना था और शेष कार्यों को विभिन्न राज्य योजनाओं के तहत लिया जाना था। लेखापरीक्षा ने पाया कि एसओआर 2018-19 के आधार पर शेष बचे कार्य की स्वीकृत लागत का मूल्य ₹ 833.98 करोड़ थी।

हालांकि, निधि की कमी के कारण, जेबीवीएनएल ने कार्य के दायरे को सीमित करके केवल ₹ 459.92 करोड़ का कार्य प्रदान किया और भविष्य में अन्य योजना (योजनाओं) के तहत ₹ 374.06 करोड़[122] (***परिशिष्ट XI***) के शेष कार्य को पूरा करने का निर्णय लिया।

साथ ही, कार्यों को पूर्ण करने में विलम्ब के कारण योजनाओं के अभीष्ट हितग्राहियों को विद्युत उपलब्ध न होने के कारण गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा। संबंधित जिलों के उपायुक्त कार्यालयों, झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री और जेबीवीएनएल के संबंधित ईएससी के उप-महाप्रबंधक (डीजीएम) द्वारा इस मुद्दे को नियमित रूप से उजागर किए जाने के बावजूद विलंब हुआ। परिणामस्वरूप, झारखंड सरकार भी 2019 तक सभी बिजली उपभोक्ताओं को 24x7 बिजली आपूर्ति और राज्य के सभी असंबद्ध घरों में बिजली की पहुंच सुलभ कराने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने में विफल रही।

प्रबंधन/विभाग ने स्वीकार करते हुए (मई/अक्टूबर 2021) कहा कि डीडीयुजीजेवाई के तहत निधियों की अनुपलब्धता के कारण अन्य योजनाओं के तहत ₹ 374.06

---

118 पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, साहिबगंज और पाकुड़

119 ₹ 459.92 करोड़ (पूर्वी सिंहभूम - ₹ 134.93 करोड़ + पश्चिमी सिंहभूम- ₹ 174.79 करोड़ + साहिबगंज/पाकुड़ - ₹ 150.20 करोड़)

120 एनआईटी संख्या 275/ पीआर/ जेबीवीएनएल/18-19 से एनआईटी संख्या 283/ पीआर/ जेबीवीएनएल/18-19 (कुल 09 संख्या)

121 पश्चिम सिंहभूम (₹ 79.06 करोड़), साहिबगंज (₹ 41.13 करोड़) और पाकुड़ (₹ 14.87 करोड़)

122 ₹ 833.98 करोड़- ₹ 459.92 करोड़

करोड़ की राशि का कार्य लिया जाएगा और आईएलएफएस प्रोजेक्ट को समाप्त करने में लगने वाले आधिक्य राशि के लिए जिम्मेदार होगा और एजेंसी के सभी दावे, जो मुख्यालय स्तर पर या फील्ड स्तर पर पड़े हों, को शेष कार्य को पूरा करने के लिए होने वाली अतिरिक्त लागत के प्रति हानि/देयता की क्षतिपूर्ति के लिए रोक कर रखा जाएगा। आगे यह भी कहा गया कि एनआईटी मानदंडों के आलोक में सभी पहलुओं पर विचार किया जाएगा और जेबीवीएनएल और आईएलएफएस के बीच अंतिम समझौता किया जाएगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आईएलएफएस के सहायक कंपनी की निवल संपत्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई थी और इस प्रकार, अनुबंध को पूरा करने में लगे अतिरिक्त राशि के लिए फर्म से वसूली की संभावना नगण्य प्रतीत होती है।

ऊर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार को माननीय मुख्यमंत्री और सीएमडी/जेयूवीएनएल के निर्देशों के बावजूद, अनुबंध समाप्त करने में विलंब और ससमय पीबीजी के गैर-नकदीकरण के मुद्दे पर जांच कराने की आवश्यकता है।

7.3 सौभाग्या में कार्य प्रदान करने में अनियमितता

सौभाग्या के दिशा-निर्देशों के अनुसार, कार्यों को टर्न-की आधार पर या विभागीय रूप से निष्पादित किया जा सकता था। ई-निविदा के माध्यम से विक्रेताओं/एजेंसियों का चयन किया जाना था। इसके अलावा, 7 जुलाई 2014 को जेबीवीएनएल द्वारा जारी वित्तीय शक्ति (डीओएफपी) के अनुसार, विद्युत आपूर्ति अंचल (ईएससी) के उप-महाप्रबंधक (डीजीएम) के पास तकनीकी रूप से स्वीकृत कार्य को अनुमोदित दरों की अनुसूची (एसओआर) पर बिना निविदा बुलाए देने की शक्ति है। यदि एसओआर मौजूद नहीं है, तो डीजीएम के पास बिना किसी निविदा के ₹ 50,000 तक की लागत वाले कार्य, अधिकतम ₹ 11 लाख प्रति वर्ष तक देने की शक्ति है। इसके अलावा, सितंबर 2018 के डीओएफपी के अनुसार, ओपन टेंडर के माध्यम से डीजीएम द्वारा चुने गए पैनल के विक्रेता को एसओआर पर ₹ 50 लाख तक का काम दिया जा सकता है। यह भी निर्धारित किया गया है कि अधिकारी की प्रत्यायोजित वित्तीय शक्ति के भीतर लाने के लिए कार्य को विभाजित नहीं किया जाना चाहिए।

समीक्षा के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईं:

- भारत सरकार ने सौभाग्या के तहत जिलेवार परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। योजना के तहत, कार्य को या तो नए रूप से टर्न-की आधार पर या मौजूदा अनुबंध में घरों को विद्युत-संबंध देने के लिए संशोधन करके किया जाना था।

नमूना-जांचित सात जिलों में, लेखापरीक्षा ने पाया कि भारत सरकार ने परियोजना लागत (₹ 17.22 करोड़ और ₹ 54.40 करोड़ के बीच) को मंजूरी दी थी और जेबीवीएनएल ने परियोजनाओं के निष्पादन के लिए ₹ 45.16 करोड़ मूल्य के 126 कार्यादेश जारी किए। इनमें से ₹ 26.23 करोड़ मूल्य के 33 कार्यादेश उन टीकेसी

को प्रदान किए गए जिन्हें पहले ही आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना) और डीडीयुजीजेवाई के कार्य दिए गए थे। शेष 93 कार्यादेश ₹ 18.93 करोड़ मूल्य के सूचीबद्ध विक्रेताओं को ईएससी के उप-महाप्रबंधक द्वारा विक्रेताओं के लिखित अनुरोध पर जारी किए गए। हालांकि, यह देखा गया कि इन विक्रेताओं को डीओएफपी के तहत अपेक्षित खुली निविदा के माध्यम से सूचीबद्ध नहीं किया गया। यह भी देखा गया कि उप-महाप्रबंधकों ने अपनी वित्तीय शक्ति ₹ 50 लाख से अधिक के परियोजना लागत के 18 कार्य और 54 कार्यों को विभाजित करके कार्य का आवंटन किया (***परिशिष्ट XII***)।

• नमूना-जांचित सात जिलों में सौभाग्या योजना के अन्तर्गत कार्य ₹ 2,024 और ₹ 3,000 प्रति विद्युत-संबंध की दर से आवंटित किए गए। लेखापरीक्षा ने पाया कि आवश्यकतानुसार दर के तार्किकता का विश्लेषण एक समिति के माध्यम से केवल दो जिलों में ₹ 2,540 से ₹ 2,987 प्रति विद्युत-संबंध के अनुमोदित दर पर किया गया था। लेखापरीक्षा को शेष पांच[123] जिलों में दरों की तर्कसंगतता का आकलन करने से संबन्धित कोई विश्लेषण नहीं मिला, जहां ₹ 2,900 और ₹ 2,999 प्रति विद्युत-संबंध के उच्च दरों को मंजूरी दी गई थी।

• कार्यादेश जारी होने के 10 से 30 दिनों के भीतर अनुबंधों को कार्यान्वित करने के बजाय, ₹ 20.31 करोड़ मूल्य के 64 कार्यादेशों[124] के अनुबंधों को 10 दिन और नौ महीने के विलंब से निष्पादित किया गया जिससे कार्यों को पूरा करने में विलंब हुआ।

• यद्यपि अक्टूबर 2018 और दिसंबर 2019 के बीच 43 कार्यादेश जारी किए गए थे और बिना किसी अनुबंध के निष्पादन कराए जा रहे थे अतः इस प्रकार एक अनुबंध के तहत आवश्यक कानूनी या तकनीकी गारंटी यथा प्रदर्शन सुरक्षा, दंड अनुच्छेद, संतोषजनक कार्य आदि सुनिश्चित किए बिना कार्य किए जा रहे थे।

• कार्यादेश के अनुसार, अनुबंध के साथ, अनुबंध लागत का पांच प्रतिशत जमानत राशि जमा करनी थी और पांच प्रतिशत चालू विपत्र (आरए) से वसूल किया जाना था। यह देखा गया कि तीन[125] जिलों में 15 विक्रेताओं ने जमानत राशि का केवल दो प्रतिशत जमा करके ₹ 4.48 करोड़ का अनुबंध निष्पादित किया जिसके कारण ₹ 134.47 लाख की कम राशि जमा हुई। ₹ 2.23 करोड़ चार[126] जिलों में 18 विक्रेताओं के साथ ₹ 2.23 करोड़ के इकरारनामा बिना जमानत राशि (₹ 15.65 लाख) के विक्रेताओं के अनुरोध पर उनकी खराब वित्तीय स्थिति का हवाला देते हुए चालू विपत्रों से आवश्यक जमानत राशि के समायोजन के शर्त के अधीन निष्पादित किए गए। गिरिडीह जिले में, ₹ 13.20 लाख (10 प्रतिशत) की

[123] गिरिडीह, राँची, पाकुड़, पलामू और दुमका।

[124] धनबाद (12), देवघर (4), गिरिडीह (4), पाकुड़ (1), पलामू (1), दुमका (3) और राँची (39)

[125] देवघर(4),पलामू(10) और दुमका(01)।

[126] गिरिडीह(2), देवघर (1), धनबाद (11), दुमका (3) और पाकुड़ (1)

जमानत राशि काटे बिना दो कार्यादेशों के विरुद्ध चालू विपत्रों के माध्यम से ₹ 1.32 करोड़ का भुगतान (मार्च 2020) किया गया था। इस प्रकार, ₹ 147.67 लाख की जमानत राशि की गैर/कम कटौती के माध्यम से विक्रेताओं को अनुचित वित्तीय लाभ दिया गया। इसके अलावा, एक विक्रेता (द ईस्ट इंडिया उद्योग लिमिटेड) द्वारा आठ कार्यादेशों के एवज में सुपुर्द ₹ 35.52 लाख की बैंक गारंटी जो 29 फरवरी 2020 को समाप्त हो गई थी, डीजीएम गिरिडीह द्वारा मार्च 2020 तक नवीनीकृत नहीं कराई गई थी।

- सौभाग्या के तहत डीडीयुजीजेवाई के 36,064 विद्युत-संबंध प्रदान करने के लिए ईएससी, गिरिडीह ने एक टीकेसी (द ईस्ट इंडिया उद्योग लिमिटेड) को ₹ 7.35 करोड़ मूल्य का कार्य आवंटित[127] किया (नवंबर और दिसंबर 2018)। लेखापरीक्षा ने पाया कि आरएपीडीआरपी के तहत मेसर्स एनर्जो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम में उसी टीकेसी का अनुबंध सामग्री न जुटा पाने और परियोजना में विलंब के कारण रद्द (04 अप्रैल 2017) कर दिया गया था और अंततः जेबीवीएनएल द्वारा टीकेसी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था (नवंबर 2018)। इसके अलावा, कार्यादेश की निरस्तीकरण के आधार पर, जेएसबीएवाई चरण-I और चरण-II के तहत टीकेसी (द ईस्ट इंडिया उद्योग लिमिटेड) द्वारा समर्पित निविदा जेबीवीएनएल ने नहीं खोली[128] थी (दिसंबर 2018 और मार्च 2019)। परंतु, फर्म को डीजीएम द्वारा सौभाग्या के तहत काम दिया गया था जबकि इसे जेबीवीएनएल द्वारा ब्लैक-लिस्ट किए जाने के अलावा काम के लिए उपयुक्त नहीं माना गया था।

प्रबंधन/विभाग ने कहा (मई/अक्टूबर 2021) कि मण्डल-वार कार्यादेश जारी किया गया था। कुछ मामलों में, एक ही आपूर्ति-मंडल के अधिकार क्षेत्र के भीतर एक ही एजेंसी को एक से अधिक कार्यादेश जारी किए गए थे। इसके अलावा, जिन मामलों में बिना जमानत राशि लिए अनुबंध निष्पादित किए गए थे, उनके पहले से चल रहे विपत्र से राशि की वसूली की गई है। यह भी कहा गया था कि काम समय पर शुरू किया गया था हालांकि कुछ विक्रेताओं के अनुरोध पर अनुबंध के निष्पादन के लिए समय का विस्तार दिया गया था और समझौते में विलंब ने कार्य के निष्पादन को प्रभावित नहीं किया और इससे कोई वित्तीय हानि नहीं हुआ क्योंकि सभी सामग्री श्रम-शुल्क सहित विक्रेता द्वारा वहन किया जाना था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि डीजीएम ने कार्य को डीओएफपी का उल्लंघन करते हुए वित्तीय शक्ति के तहत लाने के लिए कार्य आपूर्ति मण्डल-वार विभाजित किया था। प्रबंधन ने जमानत राशि कटौती नहीं किए जाने के संबंध में न तो कोई साक्ष्य-दस्तावेज प्रस्तुत किया और न ही कोई विशिष्ट उत्तर दिया। इसके अलावा, विक्रेता को सूचीबद्ध किए बिना, दरों की युक्तिसंगतता सुनिश्चित किए बिना, अनुबंध

[127] नवंबर 2018 और दिसंबर 2018

[128] सितंबर 2017 और जून 2018

निष्पादित किए बिना और काली सूची में डाले गए टीकेसी को कार्य आवंटन पर उत्तर मौन था।

7.4 झारखंड संपूर्ण बिजली आच्छादन योजना (जेएसबीएवाई)

झारखण्ड सरकार ने ₹ 5,127.56 करोड़ की परियोजना लागत पर जेएसबीएवाई को मंजूरी दी (मार्च 2017) थी। इस योजना का उद्देश्य 12,762 टोला, 5,08,605 घरों[129] को विद्युत-संबंध और 1,32,772 कृषि विद्युत-संबंधों को बिजली प्रदान करना था। हालांकि, सौभाग्या के आरंभ (अक्टूबर 2017) के बाद, जहां आखिरी मील संबद्धता को संतृप्ति की अवस्था तक सुनिश्चित किया जाना था, ग्रामीण विद्युतीकरण और अन्य बुनियादी ढांचे के लिए ₹ 2,664.54 करोड़ की परियोजनाओं और शहरी विद्युतीकरण और अन्य बुनियादी ढांचे के लिए ₹ 2,463.02 करोड़ की अन्य परियोजनाओं के साथ जेएसबीएवाई के दायरे को फिर से परिभाषित (अप्रैल 2018) किया गया था। ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं में पीएसएस, 33 और 11 केवी लाइन, फीडर और डीटीआर मीटरीकरण, मीटर-विहीन उपभोक्ताओं को मीटर और कृषि विद्युत-संबंध शामिल था।

जेएसबीएवाई चरण-I (जेएसबीएवाई-I) में, ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं को ₹ 978.57 करोड़ की अनुमानित लागत पर छः पैकेजों[130] में विभाजित किया गया था, जिसके लिए सितंबर 2017 में एनआईटी जारी किए गए थे। जेएसबीएवाई चरण-II (जेएसबीएवाई-II) में, ₹ 1,106.36 करोड़ के लिए सात पैकेज[131] में एनआईटी (जून 2018) जारी किए गए थे। जेएसबीएवाई परियोजनाओं के अंतर्गत कार्यों के आवंटन में पाई गई अनियमितताओं की चर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई है।

7.4.1 जेएसबीएवाई के तहत कार्य प्रदान करने में अनियमितता

जेएसबीएवाई-I के लिए एनआईटी के क्लॉज 1.1 (तकनीकी योग्यता) के अनुसार, निविदाकर्ता ने निविदा खुलने के दिन तक पिछले सात वर्षों में पीएसएस और 33 या 66 केवी और 11 या 22 केवी वर्ग की ट्रांसमिशन लाइन/फीडर का सफलतापूर्वक निर्माण, परीक्षण और चालू किया हो साथ ही पीएसएस (पॉवर ट्रांसफार्मर के एमवीए का योग) 11 केवी और एचटी लाइन और अधिक लंबाई के मामले में संचयी

---

[129] एपीएल परिवार: 3,06,614 और बीपीएल परिवार: 201991

[130] पैकेज I (राँची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा और लोहरदगा), पैकेज II (पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला-खरसावां), पैकेज III (दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज, पाकुड़, देवघर और गोड्डा), पैकेज IV (कोडरमा और गिरिडीह)), पैकेज V (धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, चतरा और रामगढ़) और पैकेज VI (पलामू, लातेहार और गढ़वा)

[131] पैकेज I (धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, चतरा और रामगढ़), पैकेज II (कोडरमा और गिरिडीह), पैकेज III (दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज और पाकुड़), पैकेज IV (राँची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा और लोहरदगा), पैकेज V (पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला-खरसावां), पैकेज VI (पलामू, लातेहार और गढ़वा) और पैकेज VII (देवघर और गोड्डा)

ट्रांसफार्मेशन और लाइन लंबाई क्षमता, निविदा में वर्णित क्षमता के कम से कम 50 प्रतिशत के बराबर और परिवर्तन क्षमता का कम से कम 30 प्रतिशत और एचटी लाइन की लंबाई जैसा कि एकल टर्न-की अनुबंध में निविदा में दिया गया हो।

लेखापरीक्षा ने जेएसबीएवाई-I के तहत अनुबंध करने में निम्नलिखित अनियमितताएं देखीं:

33/11 केवी पीएसएस, 33 केवी लाइनों और 11 केवी लाइनों के निर्माण के लिए पैकेज II[132] के लिए अनुमानित लागत ₹ 147.75 करोड़ पर निविदा खोलने की तारीख 30 नवंबर 2017 को निविदा आमंत्रित की गई थी। एनआईटी के अनुसार निविदाकर्ता के नामित प्रतिनिधि (प्रतिनिधियों) सामान्य रूप से और विशेष रूप से तकनीकी विशिष्टताओं में निविदा दस्तावेजों के संबंध में किसी भी मुद्दे को स्पष्ट करने के उद्देश्य से निविदा पूर्व बैठक में भाग ले सकते हैं और निविदा पूर्व बैठक का आयोजन खंड 6.4 के मद्देनजर आयोजित किया गया था।

निविदा पूर्व बैठक में 10 अक्टूबर 2017 को 14 बोलीदाताओं ने भाग लिया जिसमें पांच निविदाकर्ताओं ने एलटी लाइन और डीटीआर के निर्माण के अनुभव मानदंड को बदलने का अनुरोध किया (09 अक्टूबर और 10 अक्टूबर 2017)। जेबीवीएनएल ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और समग्र क्षमता में एलटी लाइनों और डीटीआर के निर्माण के अनुभव की अनुमति देते हुए परिशिष्ट जारी किया (24 अक्टूबर 2017)। यह देखा गया कि एनआईटी के अनुच्छेद 6.4 के उल्लंघन में एक और परिशिष्ट जारी करके एकल टर्न-की अनुबंध मेसर्स जैक्सन लिमिटेड के अनुरोध (30 अक्टूबर 2017) पर भी इस परिवर्तन की अनुमति (02 नवंबर 2017) दी गई थी। इसे 17 नवंबर 2017 को एमडी, जेबीवीएनएल द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया था और पूर्व-योग्यता के लिए विचार किया गया था, हालांकि कार्य के दायरे में इन मदों का निष्पादन (अर्थात एलटी लाइनों और डीटीआर) शामिल नहीं था।

कार्य के लिए आवश्यक मूल तकनीकी अनुभव एकल टर्न-की अनुबंध में 52.50 एमवीए की ट्रांसफार्मेशन क्षमता और 853.83 किलोमीटर की एचटी लाइनें (निविदा क्षमता का 50 प्रतिशत) बिछाने की क्षमता के साथ-साथ 31.5 एमवीए की परिवर्तन क्षमता और 512.30 सर्किट किमी की एचटी लाइन लंबाई (निविदा क्षमता का 30 प्रतिशत) थी। मेसर्स जैक्सन, हालांकि मूल रूप से योग्य नहीं था, को एलटी लाइनों और डीटी के अधिष्ठापन के अनुभव पर विचार करके एल-1 घोषित किया गया, और उसे ₹ 145.28 करोड़ मूल्य का कार्य (जुलाई 2018) आवंटित किया गया।

इस प्रकार, एक अयोग्य संवेदक को निविदा के शर्त को संशोधित करके कार्य प्रदान किया गया, हालांकि 11 में से तीन निविदाकर्ता एनआईटी की मूल शर्तों के अनुसार पात्र थे।

---

132 दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज, पाकुड़, देवघर और गोड्डा जिला।

प्रबंधन/विभाग ने बताया (मई/अक्टूबर 2021) कि मूल्यांकन एनआईटी और बाद के शुद्धि-पत्र के अनुसार निविदा पूर्व बैठक के आधार पर किया गया था। इसके अलावा, एनआईटी क्लॉज 7.1 (वॉल्यूम-I, सेक्शन-II) में कहा गया है कि "निविदा जमा करने की समय सीमा से पहले किसी भी समय, नियोक्ता किसी भी कारण से, स्वयं या अनुरोध पर, संभावित निविदाकर्ता को दिए स्पष्टीकरण में निविदा दस्तावेजों में संशोधन कर सकता है"

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एलटी लाइनों और डीटीआर के निर्माण का अनुभव, एनआईटी के कार्यक्षेत्र में नहीं थी, फिर भी इसकी अनुमति दी गई।

- इसी तरह, जेबीवीएनएल ने पैकेज-III में अनुमोदित निविदा शर्त के तहत ही फिर से जेएसबीएवाई-I, पैकेज-II[133] के लिए तकनीकी अनुभव के निविदा शर्त में छूट के साथ एनआईटी जारी किया (दिसंबर 2018)।

निविदा के मूल शर्त के अनुसार, एक एकल टर्न-की अनुबंध में 36.36 एमवीए शक्ति ट्रांसफार्मर और 399 किलोमीटर एचटी लाइनों की ट्रांसफार्मेशन क्षमता का आवश्यक तकनीकी अनुभव चाहिए था। इसके लिए, मेसर्स स्टेप इंडस्ट्रीज ने 77.14 एमवीए की डीटीआर और 752.54 किलोमीटर एलटी लाइनों की ट्रांसफार्मेशन क्षमता का अनुभव प्रस्तुत किया। इस प्रकार, निविदाकर्ता को बिजली ट्रांसफार्मर और एचटी लाइनों की स्थापना का कोई अनुभव नहीं था। मेसर्स स्टेप इंडस्ट्रीज को एल-1 घोषित किया गया और ₹ 132.34 करोड़ मूल्य का कार्य आवंटित (मार्च 2019) किया गया। इस प्रकार, एचटी लाइनों और पीटीआर के निर्माण में कोई अनुभव नहीं रखने वाले संवेदक के पक्ष में निविदा का निर्णय लिया गया था, हालांकि नौ बोलीदाताओं में से एक बोलीदाता मूल नियमों और शर्तों के अनुसार योग्य था।

प्रबंधन/विभाग ने जवाब दिया (मई/अक्टूबर 2021) कि इस एनआईटी को पहले शामिल की गई योग्यता आवश्यकता में डीटीआर और एलटी लाइनों को ध्यान में रखते हुए जेएसबीएवाई चरण-I के दिशानिर्देशों के अनुसार पुन: टेंडर किया गया था। फर्मों ने आवश्यक योग्यता के साथ अनुभव प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया था जो एनआईटी के अनुसार था और एनआईटी के किसी धारा का उल्लंघन नहीं किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एकल टर्न-की अनुबंधों में एलटी लाइनों और डीटीआर के अनुभव को स्वीकार किया गया जबकि कार्य एचटी लाइनों के निर्माण के लिए था जो कार्यक्षेत्र के बाहर था उसे भी स्वीकृत किया गया।

---

[133] पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला-खरसावां जिले

7.4.2 जेएसबीएवाई के तहत बिना मीटर-युक्त विद्युत-संबंधों के मीटरीकरण से संबन्धित कार्य सौंपने में अनियमितता

लेखापरीक्षा ने जेएसबीएवाई के तहत मीटरीकरण कार्यों के आवंटन में निम्नलिखित अनियमितताएं देखी गईं:

- सौभाग्या की तरह ही जेएसबीएवाई में, डीजीएम ने डीओएफपी का उल्लंघन करते हुए खुली निविदा के माध्यम से चयन के बजाय विक्रेताओं को सूचीबद्ध किया और उनके इच्छा के अनुसार कार्य आवंटित किया।

- डीओएफपी का उल्लंघन करते हुए कार्यों का विभाजन कर कई कार्यादेश जारी किए गए। जेएसबीएवाई के अंतर्गत ₹ 43.43 करोड़ (***परिशिष्ट XIII)*** मूल्य के कुल 162 कार्य आदेश[134] जारी किए गए थे, जिसमें से ₹24.95 करोड़ मूल्य के 73 कार्यादेश को ईएससी (₹ 50 लाख) के डीजीएम के डीओएफपी के अधीन लाने के लिए विभाजित करके आवंटित किया गया। इसके अलावा, ₹ 10.54 करोड़ मूल्य के 10 कार्यादेश डीजीएम के डीओएफपी के इतर दिया गया।

- लेखापरीक्षा ने देखा कि जेएसबीएवाई के तहत मीटरीकरण के लिए ₹ 43.43 करोड़ मूल्य के 162 कार्यादेश जारी किए गए थे। इनमें से 92 कार्यादेशों[135] में अनुबन्धों को कार्यादेश जारी होने के 10 से 30 दिनों की अपेक्षा दो से 137 दिनों के विलम्ब[136] से कार्यान्वित किया गया। इसके अलावा, ₹ 70.04 करोड़ मूल्य के 80 कार्यादेशों के संबंध में अनुबंध नहीं किए गए थे। तथापि, संबंधित उप-महाप्रबंधकों द्वारा आवश्यकतानुसार कार्यादेश रद्द नहीं किए गए और संवेदक को उचित कानूनी या तकनीकी गारंटी यथा- प्रदर्शन सुरक्षा, दंड अनुच्छेद, संतोषजनक कार्य आदि, सुनिश्चित किए बगैर काम जारी रखने की अनुमति दी गई थी। इसके अलावा, पलामू जिले में, पांच संवेदक बिना किसी कार्यादेश के ही मीटरीकरण के कार्य कर रहे थे जिनका कार्य ईएससी की प्रगति प्रतिवेदन में परिलक्षित हुआ।

- पच्चीस अनुबंध का निष्पादन ₹ 23.30 लाख (अनुबंध मूल्य का पांच प्रतिशत) की जमानत राशि जमा कर किए गए थे, जबकि 29 अनुबंध[137] के पांच प्रतिशत (35.95 लाख) की जमानत राशि के विरुद्ध केवल दो प्रतिशत (₹ 14.38 लाख) के साथ निष्पादित किया गया था। इस प्रकार, ₹ 39.11 लाख की गैर/कम सुरक्षा जमा राशि के साथ 54 अनुबंध को निष्पादित किया गया और इसके परिणामस्वरूप संवेदकों को अनुचित वित्तीय सहायता मिली।

---

[134] धनबाद (35), देवघर (45), गिरिडीह (10), पाकुड़ (4), पलामू (6), दुमका (6) और राँची (56) मूल्य ₹ 8.29 करोड़, ₹ 18.22 करोड़, ₹ 7.78 करोड़, ₹ 1.04 करोड़ , ₹0.01 करोड़ ₹ 1.92 करोड़ और राँची ₹ 5.83 करोड़ क्रमशः।

[135] धनबाद (25), देवघर (15), गिरिडीह (3), दुमका (6) और राँची (43)

[136] धनबाद- 2 से 4 दिन; देवघर- 11 से 110 दिन; गिरिडीह- 137 दिन; राँची- 74-124 दिन; और दुमका- 2 से 48 दिन

[137] देवघर (15), दुमका (6) एवं राँची (8)

- ईएससी देवघर ने 12 संवेदकों को (मई 2019 से सितंबर 2019 के बीच) 32,900 सिंगल फेज मीटर जारी किया जो ₹ 905 प्रति मीटर की दर से खरीदा गया था। संवेदकों को आपूर्ति किए गए मीटरों के बदले अतिरिक्त प्रतिभूति का कोई प्रावधान नहीं था, जबकि छः संवेदकों को 14,550 मीटर जारी किए गए थे, जिन्होंने केवल दो प्रतिशत की जमानत राशि जमा की थी और शेष छः संवेदकों को 18,350 मीटर जारी किए गए थे, जिन्होंने दिसंबर 2019 तक न तो जमानत राशि जमा किया और न ही जारी मीटरों को स्थापित कर खराब/मीटर-विहीन विद्युत् संबंधों का मीटरीकरण किया।

जवाब में, प्रबंधन/विभाग ने कहा (मई/अक्टूबर 2021) कि उप-प्रमंडल-वार कार्यादेश जारी किया गया। कुछ मामलों में, एक ही उप-प्रमंडल के अधिकार क्षेत्र के भीतर एक ही एजेंसी को एक से अधिक कार्यादेश जारी किए गए। इसके अलावा, जहां बिना जमानत राशि लिए इकरारनामा किया गया, एजेंसियों से राशि उनके प्रथम चालू विपत्र से वसूल कर ली गई।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि डीजीएम ने डीओएफपी का उल्लंघन करते हुए वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन के तहत लाने के लिए कार्य उप-प्रमंडल वार विभाजित किया। प्रबंधन/विभाग ने जमानत राशि की कटौती के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अलावा, पलामू जिले में संवेदक को पैनल में नामित किये बिना कार्य आवंटन, कार्य का अनुबंध किये बिना और संवेदकों को कार्यादेश जारी किये बिना कार्य करने की अनुमति देने पर उत्तर मौन था।

तकनीकी मूल्यांकन समिति, विशेष खरीद समिति और जेबीवीएनएल के बीओडी द्वारा निविदा के नियमों और शर्तों का पालन करने में विफलता की जांच की जानी चाहिए और दोषी अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।

इसके अलावा, जेबीवीएनएल को ईएससी के डीजीएम द्वारा डीओएफपी के उल्लंघन के मामलों की जांच करनी चाहिए और जिम्मेदारी तय करनी चाहिए।

सारांश में*, ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों को करने के लिए छः एजेंसियों को 18 पैकेज दिए गए, जबकि कोई भी एजेंसी निविदा के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक तकनीकी मानदंडों को पूरा नहीं करते थे। इसके अलावा, नमूना-जांचित 304 मामलों में, रॉयल्टी की गैर-कटौती, इकरारनामा निष्पादन में विलंब, खुली निविदा के बिना ही वेंडरों को सूचीबद्ध करने और अनुबंधों/कार्यों को प्रदान करने में वित्तीय शक्ति का प्रत्यायोजन (डीओएफपी) के उल्लंघन के मामले देखने को मिले।*

अध्याय 8 अनुश्रवण

8.1 जिला विद्युत समिति

ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ने प्रत्येक राज्य को जिला विद्युत समिति (डीईसी[138]) अधिसूचित करने का निर्देश दिया (अप्रैल 2015)। झारखण्ड में, जेबीवीएनएल के मुख्य अभियंता/ अधीक्षण अभियंता को सदस्य सचिव के तौर पर शामिल किया जाना था। डीडीयुजीजेवाई का डीपीआर, डीईसी से परामर्श लेकर बनाया जाना था। डीईसी को भी विद्युत वितरण की गुणवत्ता एवं उपभोक्ता संतुष्टि की समीक्षा करनी थी तथा ऊर्जा दक्षता एवं ऊर्जा संरक्षण को भी प्रोत्साहित करना था। समिति की बैठक तीन माह में कम से कम एक बार आयोजित की जानी थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि डीडीयुजीजेवाई का डीपीआर मार्च 2015 में डीईसी के अधिसूचना (मई 2015) के पहले ही बन चुका था। आगे, झारखण्ड सरकार/एसएलएससी ने 19 जिलों के डीपीआर पर डीईसी की अनुशंसा के बगैर ही ₹ 5,813.87 करोड़ राशि के सभी 24 जिलों के डीपीआर को आरईसी को अग्रेषित करने की अनुशंसा की (मई 2015)। आरईसी ने डीडीयुजीजेवाई के अंतर्गत सभी 24 जिलों के डीपीआर ₹ 3,722.12 करोड़ के लिए अगस्त 2015 में स्वीकृत किया।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि झारखण्ड सरकार ने डीडीयुजीजेवाई के अनुश्रवण के लिए डीईसी का गठन किया था (मई 2015)। हालांकि, 2015-20 के दौरान सात नमूना-जाँचित जिलों में से चार[139] में समिति की बैठक नहीं हुई, वहीं धनबाद (मई 2015), देवघर (जून 2015) और गिरिडीह (जून 2015) में मात्र एक बार बैठक हुई। यद्यपि, डीडीयुजीजेवाई के डीपीआर पर चर्चा के लिए बैठकें हुई थीं तथापि कोई भी कार्यवृत्त अभिलेखों में नहीं मिला।

अतः डीईसी, जो जनप्रतिनिधि समेत सभी विभागों का प्रतिनिधित्व करता है, ने डीडीयुजीजेवाई के कार्यान्वयन का अनुश्रवण नहीं किया पारिणामस्वरूप निम्नलिखित कमियों के साथ योजना के कार्यान्वयन में विलंब हुआ:

- पीएसएस एवं अन्य ढाँचा के लिए आरओडब्लू सहित स्थल एवं रास्ता संबंधित समस्या;
- एजीजेवाई के अंतर्गत, ग्रामों एवं लक्षित एपीएल लाभुकों की सूची उपलब्ध नहीं कराना;

---

138 समिति के अध्यक्ष के रूप में वरिष्ठतम सांसद, सह-अध्यक्ष के रूप में अन्य सांसद, संयोजक के रूप में जिला कलेक्टर (डीसी) और सदस्य के रूप में विधानसभा के सदस्य (विधायक), जिला पंचायत अध्यक्ष, ऊर्जा, कोयला क्षेत्र के केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों (सीपीएसयू) और गैर-अक्षय ऊर्जा मंत्रालय के वरिष्ठतम प्रतिनिधि, यदि संबंधित जिले में स्थित हैं तो।

139 पलामू, राँची, दुमका और पाकुड़

- कृषि संबंध हेतु योजना, टीएमकेपीवाई के कार्य का रुक जाना; और
- सौभाग्या के अंतर्गत लिए गए वंचित परिवार को विद्युत-संबंध देने में विलंब।

इस प्रकार, राज्य में डीडीयुजीजेवाई योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए डीपीआर की तैयारी एवं परामर्श के लिए गठित डीईसी का उद्देश्य विफल रहा।

प्रबंधन/विभाग ने कहा (मई /अक्तूबर 2021) कि माननीय सांसद की अध्यक्षता में डीईसी/दिशा की बैठक सभी जिलों में हुई। डीईसी/दिशा की बैठक के अलावा, माननीय सांसद, विधायक एवं डीसी ने भी ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य की समय-समय पर समीक्षा की और आवश्यक निर्देश/ दिशानिर्देश जारी किए, जिसका अनुपालन किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि प्रबंधन/विभाग ने डीईसी बैठक के बदले दिशा की बैठकों का ब्योरा दिया। डीईसी में ऊर्जा एवं कोयला क्षेत्र के विशेषज्ञों का प्रतिनिधित्व होता है जबकि दिशा में नहीं।

8.2 ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए समर्पित दल

डीडीयुजीजेवाई की निर्देशिका के अनुसार, जेबीवीएनएल को जिला और यूटिलिटी/राज्य स्तर पर परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक मानव-बल और कार्यालय, संभारिकी आदि जैसी आवश्यक अवसंरचना के साथ एक समर्पित दल बनाना था, ताकि सुचारू कार्यान्वयन, अनुश्रवण और जनता एवं जनप्रतिनिधियों की शिकायतों का निवारण परियोजना क्षेत्र में किया जा सके। डीपीआर में समर्पित दल की चर्चा करनी थी। मुख्य अभियंता/महाप्रबंधक या उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी को यूटिलिटी/राज्य स्तर पर समर्पित टीम के लिए नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया जाना था। नोडल अधिकारी निर्धारित निर्देशिका के अनुसार योजना के कार्यान्वयन, परियोजनाओं से संबंधित भौतिक और वित्तीय प्रगति सहित सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करने, राज्य सरकार से प्रासंगिक आदेश/मंजूरी प्राप्त करने की व्यवस्था करने, जागरूकता के स्तर को बढ़ाने और परियोजना क्षेत्र में जनता और जन-प्रतिनिधियों की शिकायतों के निवारण के लिए जिम्मेदार था।

संबंधित विद्युत आपूर्ति अंचल (ईएससी) के विद्युत कार्यपालक अभियंता (परियोजना) को प्रभारी अभियंता के रूप में सहायक विद्युत अभियंता (परियोजना/ आपूर्ति) और कनीय विद्युत अभियंता (परियोजना/आपूर्ति) की सहायता से कार्य करना था।

छः जिलों के नमूना-जांच के दौरान यह पाया गया कि जेबीवीएनएल ने समर्पित विद्युत कार्यपालक अभियंता (परियोजना) की तैनाती नहीं की। सभी जिलों में, ईईई (तकनीकी, वाणिज्यिक और राजस्व) का पद धारण करने वाले विद्युत कार्यपालक अभियंता (ईईई) को संबंधित जिले की परियोजनाओं का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। यह भी देखा गया कि ईएससी कार्यालय को नोडल कार्यालय होने के कारण योजनाओं के निष्पादन से संबंधित मूल अभिलेखों का रखरखाव करना था,

हालांकि, ईएससी स्तर पर ऐसा कोई अभिलेख संधारित नहीं था और वे पूरी तरह से संबंधित टीकेसी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों पर निर्भर थे। इस प्रकार, समर्पित ईईई (परियोजना) के तैनाती न होने के कारण बीओक्यू को अंतिम रूप देने में विलंब हुआ, टीकेसी को भूमि उपलब्ध कराने में विलंब हुआ, जिसके परिणामस्वरूप वैधानिक मंजूरी प्राप्त करने में विलंब हुआ और पीएसएस के निर्माण में विलंब हुआ।

प्रबंधन/विभाग ने स्वीकार किया (मई/अक्टूबर 2021) कि ईईई (तकनीकी, वाणिज्यिक और राजस्व) को जेबीवीएनएल में ईईई की कमी के कारण संबंधित जिलों के ईईई (परियोजना) का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था और कहा कि परियोजना के निष्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा साथ ही परियोजना और संबंधित जिले के पीएमसी/पीएमए कार्य के निष्पादन से संबंधित आंकड़ों का रखरखाव करते हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि समर्पित ईईई (परियोजना) की तैनाती के कारण बीओक्यू को अंतिम रूप देने में विलंब हुआ, टीकेसी को भूमि उपलब्ध कराने में विलंब हुआ परिणामस्वरूप वैधानिक मंजूरी प्राप्त करने में विलंब हुआ और पीएसएस के निर्माण में विलंब हुआ। इसके अलावा, लेखापरीक्षा को सभी आवश्यक आंकड़ा ईएससी कार्यालयों द्वारा टीकेसी से लेकर ही उपलब्ध कराए गए थे।

सारांश में, *बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता, उपभोक्ता संतुष्टि की समीक्षा करने और ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जिला विद्युत समितियों (डीईसी) को तीन महीने में एक बार मिलना था। नमूना-जांचित सात जिलों में डीईसी की अप्रैल 2015 से मार्च 2020 के दौरान केवल एक बार बैठक हुई, जिसका कोई कारण अभिलेख में उपलब्ध नहीं था। इस प्रकार, डीईसी द्वारा पर्यवेक्षी निरीक्षण, जैसा कि योजना निर्देशिका में निर्धारित था, नहीं पाया गया। इसके अलावा, झारखण्ड सरकार/ एसएलएससी ने 19 जिलों के डीपीआर पर डीईसी की अनुशंसा प्राप्त किए बिना ही सभी 24 जिलों के डीपीआर को आरईसी को अग्रेषित करने की अनुशंसा की।*

अध्याय

9 अनुशंसाएँ

भारत सरकार ने गांवों के विद्युतीकरण के लिए आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना), डीडीयुजीजेवाई और सौभाग्या योजनाएं शुरू की थीं। ग्रामीण विद्युतीकरण उपायों में योगदान करने के लिए, राज्य सरकार ने जेएसबीएवाई, एजीजेवाई और टीएमकेपीवाई जैसी राज्य प्रायोजित योजनाओं को भी लागू किया। इन योजनाओं के कार्यान्वयन के बावजूद विभिन्न परियोजनागत बाधाओं के कारण ग्रामीण विद्युतीकरण के उद्देश्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया जा सका।
ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार निम्नलिखित अनुसंशाओं को लागू करने पर विचार कर सकती है:

- जेबीवीएनएल यह जांच करे कि विद्युतीकरण कार्यों की योजना बनाते समय उचित सर्वेक्षण क्यों नहीं किया गया और व्यापक डेटाबेस क्यों नहीं तैयार किया गया तथा दोषी अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय करे। भविष्य के लिए, जेबीवीएनएल को भौतिक सर्वेक्षण के अलावा परिसंपत्ति डेटाबेस बनाने और उसके रख-रखाव के लिए जीआईएस पर आधारित आधुनिक तकनीकों को अपनाने का प्रयास करना चाहिए।

- जेबीवीएनएल को मीटर-विहीन ग्रामीण परिसरों में मीटर लगाकर, ग्रामीण उपभोक्ताओं को नियमित आधार पर बिलिंग करके, गांवों में नजदीकी संग्रह केंद्र स्थापित करके और ऊर्जा मित्र द्वारा स्पॉट बिलिंग तंत्र को मजबूत करके ग्रामीण उपभोक्ताओं से ऊर्जा शुल्क के संग्रह में सुधार के लिए समयबद्ध प्रयास करना चाहिए। उच्च-हानि वाले क्षेत्रों की पहचान की जानी चाहिए और आनुपातिक शुल्क वसूल करने में विफल रहने के लिए संबंधित अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।

- जेबीवीएनएल को निष्क्रिय पड़े कृषि फीडरों और समर्पित विद्युत लाइनों को चार्ज करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। जेबीवीएनएल को विद्यमान कृषि उपभोक्ताओं को पृथक्कीकृत कृषि फीडरों में स्थानांतरित नहीं करने के कारणों की भी जांच करनी चाहिए और दोषी अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय करनी चाहिए।

- जेबीवीएनएल को निष्क्रिय संपत्तियों जैसे पीएसएस, संबद्ध विद्युत लाइनों आदि का तत्काल अनुकूलतम उपयोग करना चाहिए ताकि उनके निर्माण पर किया गया खर्च धनोत्पादक बन जाए। सही ऊर्जा लेखांकन और ऊर्जा हानि वाले क्षेत्रों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए सभी स्तरों पर मीटर लगाए जाने चाहिए।

- लेखापरीक्षा द्वारा उजागर की गई परियोजनागत बाधाओं, जैसे कि समय पर उपयुक्त भूमि प्रदान करने में विफलता और वैधानिक मंजूरी प्राप्त करने में विफलता का विद्युतीकरण कार्यों की शुरूआत से पहले निराकरण किया जाना चाहिए ताकि वे समयबद्ध तरीके से पूरे हो सकें। विभाग द्वारा समय सीमा के भीतर कार्यों के पूरा न होने के कारणों का पूरी तरह से विश्लेषण किया जाना चाहिए जिससे इसकी पुनरावृत्ति से बचा जा सके। सभी कार्य, जो वर्तमान में निर्धारित समय से पीछे हैं, उन्हें शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने के लिए सूक्ष्म अनुश्रवण किया जाना चाहिए।

- एनआईटी/एसबीडी/डीओएफपी शर्तों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए क्योंकि अनुबंध प्रबंधन परियोजनाओं के प्रभावी, कुशल और मितव्ययी निष्पादन का सार है।

➢ विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि डीईसी मानदंडों के अनुसार बैठक करे और सुधारात्मक कार्रवाई एवं जवाबदेही तय करने के लिए इस प्रतिवेदन में उजागर हुए समस्याग्रस्त क्षेत्रों की समीक्षा में रचनात्मक रूप से शामिल हों।

राँची **(इन्दु अग्रवाल)**

दिनांक: 02 जून 2022 **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) झारखण्ड**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(गिरीश चंद्र मुर्मू)**

दिनांक: 20 जून 2022 **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**

परिशिष्टियाँ

परिशिष्ट I

(कंडिका 3.2.8 में निर्दिष्ट; पृष्ठ 37)

ग्रामीण उपभोक्ताओं से संग्रहण निपुणता का विवरण

विवरणी		2017-18		2018-19				2019-20			
		डीएस-I(ए)	डीएस-I(बी)	डीएस-I(ए)	डीएस-I(ए) सब्सिडी छोड़कर	डीएस-I(बी)	डीएस-I(बी) सब्सिडी छोड़कर	डीएस-I(ए)	डीएस-I(ए) सब्सिडी छोड़कर	डीएस-I(बी)	डीएस-I(बी) सब्सिडी छोड़कर
डी	कुल विक्रय ईकाई (एमयू)	1092.08	2516.66	1032.24	1032.24	2809.12	2809.12	1214.14	1214.14	2628.09	2628.09
ई	ऊर्जा विक्रय से प्राप्त कुल राजस्व (₹ करोड़ में)	106.07	260.71	400.68	216.13	537.18	439.96	755.70	316.49	836.57	515.94
एफ	ऊर्जा विक्रय से समायोजित राजस्व (राजस्व अनुदान का समायोजन)[140] (₹ करोड़ में)	106.07	260.71	400.68	216.13	537.18	439.96	755.70	316.49	836.57	515.94
जी	वर्ष के प्रारम्भ में ऊर्जा विक्रय के ऋणी (₹ करोड़ में)	252.66	170.53	337.05	337.05	315.15	315.15	519.76	519.76	549.35	549.35
एच	वर्ष के अंत में ऊर्जा विक्रय के ऋणी (₹ करोड़ में)	337.05	315.15	519.76	519.76	549.35	549.35	792.00	792.00	865.03	865.03
	(i) वर्ष के अंत में ऊर्जा विक्रय के ऋणी (₹ करोड़ में)	337.05	315.15	519.76	519.76	549.35	549.35	792.00	792.00	865.03	865.03
	(ii) अन्य हानि बट्टा (₹ करोड़ में)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
आई	वर्ष के अंत में समायोजित अंतिम ऋणी (₹ करोड़ में) (i+ii)	337.05	315.15	519.76	519.76	549.35	549.35	792.00	792.00	865.03	865.03
	बिना समायोजित किए संग्रहण क्षमता (प्रतिशत) ((एफ+जी/आई)/ई*100)	20.44	44.53	54.40	15.46	56.40	46.77	63.97	13.98	62.26	38.81

(स्रोत: जेबीवीएनएल द्वारा उपलब्ध सूचना से संकलित)

[140] झारखण्ड सरकार ने 2017-18 तक रिसोर्स गैप फंडिंग प्रदान की है और 2018-19 से सब्सिडी प्रदान करना शुरू कर दिया है। वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए डीएस-I(ए) टैरिफ के तहत क्रमशः ₹ 184.55 करोड़ और ₹ 439.21 करोड़ और डीएस-I(बी) के तहत ₹ 97.22 करोड़ और ₹ 320.63 करोड़ की कुल सब्सिडी दर्ज और प्राप्त की गई।

परिशिष्ट II

(कंडिका 3.2.9 में निर्दिष्ट; पृष्ठ 38)

समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक ह्रास (एटीसी) को दर्शाती विवरणी

एटीसी हानि की गणना					
विवरणी		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
ए	सकल ऊर्जा क्रय (लाख इकाई)	124893.38	128781.39	128603.64	1,26,193.99
बी	संचरण हानि (लाख इकाई)	8927.89	9378.94	8562.08	5,179.76
सी	शुद्ध ऊर्जा इनपुट (लाख इकाई)	115965.49	119402.45	120041.56	1,21,014.23
डी	कुल विक्रय ईकाई (लाख इकाई) (सी का %)	87210.72(75)	93137.26(78)	92775.51(77)	93,148.93(77)
ई	राजस्व अनुदान सहित ऊर्जा विक्रय से प्राप्त कुल राजस्व अनुदान[141] (₹ लाख में)	393862.86	659387.60	507410.27	6,40,507.35
एफ	समायोजित राजस्व - राजस्व अनुदान से समायोजन (शून्य)[142]- ₹ लाख में	393862.86	659387.60	507410.27	6,42,604.08
जी	वर्ष के प्रारम्भ में ऊर्जा विक्रय के देनदार - ₹ लाख में	400951.30	489275.99	589080.95	6,28,302.69
एच	वर्ष के अंत में ऊर्जा विक्रय के देनदार - ₹ लाख में	437614.56	589079.74	628302.69	7,17,512.36
	वर्ष के अंत में ऊर्जा विक्रय के देनदार-₹ लाख में	437614.56	589079.74	628302.69	7,17,512.36
	अन्य हानि बट्टा	0	0	0	0
आई	समायोजित ऊर्जा विक्रय के देनदार-₹ लाख में (i+ii)	437614.56	589079.74	628302.69	7,17,512.36
जे	संग्रहण क्षमता (*प्रतिशत*) (एफ+जी-आई)/ई	90.69	84.86	92.27	86.40
के	संग्रहित इकाई (लाख इकाई) (डी*जे)(डी का %)	79091.40(91)	79036.28(85)	85603.96(92)	80,480.68(86)
एल	गैरसंग्रहित इकाई (लाख इकाई) (सी-के)	36874.09	40366.17	34437.60	40533.55
एम	एटीसी हानि (*प्रतिशत*) (एल/सी)	31.80	33.81	28.69	33.49

(स्रोत: जेबीवीएनएल द्वारा उपलब्ध आंकड़ों से संकलित)

141 (2016-17- ₹ 1200 करोड़, 2017-18- ₹ 2999.99 करोड़; 2018-19-₹ 1250 करोड़, और 2019-20- ₹ 600 करोड़)

142 (2017-18- राजस्व दर्ज किया गया - ₹ 2999.99 करोड़, प्राप्ति - ₹ 2999.99 करोड़; 2018-19- राजस्व दर्ज किया गया - ₹ 1250 करोड़, प्राप्ति -₹ 1250 करोड़ और 2019-20 - राजस्व दर्ज किया गया - ₹ 600 करोड़, प्राप्ति -₹ 600 करोड़)

परिशिष्ट III

(कंडिका 5.2 में निर्दिष्ट; पृष्ठ 47)

विद्युत उप-केन्द्रों (पीएसएस) के संवर्धन और उसके विरुद्ध उपलब्धि का विवरण

जिला का नाम	योजना	संवर्द्धन किए जाने वाले पीएस	संवर्द्धन किए जाने वाले पीएसएस की क्षमता (एमवीए)	संवर्धित पीएसएस की संख्या	संवर्धित पीएसएस की क्षमता (एमवीए)
धनबाद	XII पंचवर्षीय योजना	3	15	3	15
	डीडीयुजीजेवाई	3	15	3	15
देवघर	XII पंचवर्षीय योजना	1	5	1	5
	डीडीयुजीजेवाई	2	8.7	2	8.7
पाकुड़	XII पंचवर्षीय योजना	0	-	0	-
	डीडीयुजीजेवाई	1	5	0	0
पलामू	XII पंचवर्षीय योजना	-	-	-	-
	डीडीयुजीजेवाई	4	20	2	10
गिरिडीह	XII पंचवर्षीय योजना	7	60	7	60
	डीडीयुजीजेवाई	1	10	1	10
दुमका	XII पंचवर्षीय योजना	0	0	0	0
	डीडीयुजीजेवाई	5	25	5	25
राँची	XII पंचवर्षीय योजना	0	0	0	0
	डीडीयुजीजेवाई	7	40	7	40
कुल	**XII पंचवर्षीय योजना**	**11**	**80**	**11**	**80**
	डीडीयुजीजेवाई	**23**	**123.7**	**20**	**108.7**
कुल योग		**34**	**203.7**	**31**	**188.7**

(स्रोत: जेबीवीएनएल के ईएससी के द्वारा उपलब्ध आंकड़ों से संकलित)

परिशिष्ट IV

(कंडिका 5.4 में निर्दिष्ट; पृष्ठ 49)

वितरण ट्रांसफार्मर की अधिक अधिष्ठापन को दर्शाती विवरणी

जिला	योजना	ट्रांसफार्मर पर जुड़े बीपीएल संबंध	ट्रांसफार्मर पर जुड़े एपीएल संबंध	ट्रांसफार्मर पर जुड़े सार्वजनिक स्थल संबंध	लगे ट्रांसफार्मर पर कुल भार (केवीए)	लगे डीटीआर की संख्या		डीटीआर की क्षमता	डीटीआर पर अधिकतम भार का प्रतिशत (80 प्रतिशत)	डीटीआर पर भार का प्रतिशत	पाँच साल के भार वृद्धि को देखते हुए डीटीआर की कुल आवश्यक्ता	अतिरिक्त स्थापित केवीए	25 केवीए क्षमता के अतिरिक्त स्थापित डीटीआर (केवीए)
						25 केवीए	63 केवीए						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)={(3)x0.25+(4)x0.5+(5)x1} x1.176	(7)	(8)	(9) = (7)x25 + (8) x63	(10) = (9)x0.8	(11)= (6)/(9) x100	(12)	(13) = (09) - (12)	(14) =(13)/25
पलामू	XII पंचवर्षीय योजना	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	डीडीयुजीजेवाई	1991	1902	0	1703.73	961	0	24025	19220	7.09	2743.87	21281.13	851.25
धनबाद	XII पंचवर्षीय योजना	13398	1237	0	4666.37	821	264	37157	29725.6	12.56	7515.23	29641.77	1185.67
	डीडीयुजीजेवाई	13975	6525	347	8353.42	743	0	18575	14860	44.97	13453.27	5121.73	204.87
देवघर	XII पंचवर्षीय योजना	24150	19248	453	18950.65	1798	64	48982	39185.6	38.69	30520.21	18461.79	738.47
	डीडीयुजीजेवाई	2405	7666	246	5503.97	972	0	24300	19440	22.65	8864.21	15435.79	617.43
पाकुर	XII पंचवर्षीय योजना	16183	5556	377	8468.08	1652	231	55853	44682.4	15.16	13637.93	42215.07	1688.60
	डीडीयुजीजेवाई	167	12202	55	7288.55	910	0	22750	18200	32.04	11738.29	11011.71	440.47
गिरिडीह	XII पंचवर्षीय योजना	13620	4000	855	7361.76	1736	0	43400	34720	16.96	11856.19	31543.81	1261.75
	डीडीयुजीजेवाई	43004	43479	1010	39396.59	3874	0	96850	77480	40.68	63448.60	33401.40	1336.06
राँची	XII पंचवर्षीय योजना	30400	23331	493	23236.00	2314	0	57850	46280	40.17	37421.80	20428.20	817.13
	डीडीयुजीजेवाई	13111	8374	373	9217.19	2745	0	68625	54900	13.43	14844.38	53780.62	2151.22
दुमका	XII पंचवर्षीय योजना	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	डीडीयुजीजेवाई	18783	30416	0	23406.81	5415	0	135375	108300	17.29	37696.90	97678.10	3907.12
कुल		**191187**	**163936**	**4209**	**157553.12**	**23941**	**559**	**633742**	**506993.6**	**301.69**	**253740.88**	**380001.12**	**15200.04**

(स्रोत: ईएससी/जेबीवीएनएल द्वारा उपलब्ध सूचना से संकलित)

परिशिष्ट V

(कंडिका 5.5 एवं 5.6 में निर्दिष्ट; पृष्ठ 50 और 51)

एचटी/एलटी लाइन के संगत एचटी/एलटी पीसीसी पोलों के अधिष्ठापन का विवरण

कार्य विवरणी	स्थापित एचटी लाईन की लंबाई (किमी में)	स्थापित एचटी पोल की संख्या	18 पोल प्रति किमी के दर से लगने वाले आवश्यक पोल की संख्या	आवश्यकता से ज्यादा लगे एचटी पोल की संख्या	स्थापित एलटी लाईन की लंबाई (किमी में)	स्थापित एलटी पोल की संख्या	25 पोल प्रति किमी के दर से लगने बाले आवश्यक पोल की संख्या	आवश्यकता से ज्यादा लगे एचटी पोल की संख्या
1	**2**	**3**	**4 (2*18)**	**5 (3-4)**	**6**	**7**	**8 (6*25)**	**9 (7-8)**
गिरिडीह (XII पंचवर्षीय योजना)	376.33	11361	6774	4587	1234.08	36240	30852	5388
गिरिडीह (डीडीयुजीजेवाई)	807.34	18486	14532	4146	1944.64	59272	48616	10656
देवघर (XII पंचवर्षीय योजना)	543.07	11154	9775	2433	1144.27	33281	28607	4674
देवघर(डीडीयुजीजेवाई)	652	15903	11736	4172	880.76	25210	22019	3191
धनबाद (XII पंचवर्षीय योजना)	150.17	5784	2703	3081	714.52	25094	17863	7231
धनबाद (डीडीयुजीजेवाई)	125.24	3936	2254	1604	530.96	14682	13274	1408
पाकुड़ (XII पंचवर्षीय योजना)	335	11712	6030	5682	1089.1	27228	27228	0
पाकुड़ (डीडीयुजीजेवाई)	63.81	2598	1149	1449	462.22	8702	11556	-2854
दुमका (डीडीयुजीजेवाई)	1394.86	25406	25107	299	3635.84	92723	90896	1827
पलामू (डीडीयुजीजेवाई)	321.08	5781	5780	1	1984.49	50159	49612	547
राँची (XII पंचवर्षीय योजना)	817.72	22022	14719	8238	1837.12	50571	45928	4643
राँची (डीडीयुजीजेवाई)	1326.92	27924	23885	4039	2481.47	68067	62037	6030
कुल	**6913.54**	**162067**	**124444**	**39731**	**17939.47**	**491229**	**448488**	**42741**

(स्रोत: जेबीवीएनएल के ईएससी द्वारा उपलब्ध सूचना से संकलित)

परिशिष्ट VI

(कंडिका 5.8 में निर्दिष्ट; पृष्ठ 53)

जेएसबीएवाई कार्यक्षेत्र के सापेक्ष उपलब्धि

क्र.सं.	क्रियाकलाप	ईकाई	जेएसबीएवाई-I				जेएसबीएवाई-II			
			कार्यक्षेत्र	सर्वेक्षण मात्रा	उपलब्धि	उपलब्धि का प्रतिशत	कार्यक्षेत्र	सर्वेक्षण मात्रा	उपलब्धि	उपलब्धि का प्रतिशत
1	नए 33 केवी लाईन	सर्किट किमी	2108.35	1330.19	797.51	59.95	1731.8	956.17	97.78	10.28
2	33 केवी लाईन का पुनर्स्थापन/सुदृढ़ीकरण	सर्किट किमी	1477.17	2419.06	685.58	28.34	0	0	0	0
3	नए 11 केवी लाईन	सर्किट किमी	1685	756.19	384.20	50.81	1745.43	1949.09	355.07	18.22
4	11 केवी लाईन का पुनर्स्थापन/सुदृढ़ीकरण	सर्किट किमी	2148.86	3157.40	1630.14	51.63	2447.46	1298.06	237.61	18.31
5	नए 33/11 केवी पीएसएस (2x5 एमवीए)	संख्या	50	44	9	20.45	120	85	0	0
6	अतिरिक्त/आरएम पीएसएस	संख्या	148	186	58	31.18	0	0	0	0
7	नए 33 केवी बे	संख्या	51	61	22	36.07	0	0	0	0
8	नए एलटी लाईन	सर्किट किमी	0	0	0		1477.73	1137.41	467.50	41.10
9	एलटी लाईन का पुनर्स्थापन	सर्किट किमी	0	0	0		3094.58	1664.77	289.44	17.39
10	वितरण ट्रांसफर्मर (डीटीआर)	संख्या	0	0	0		6076	3058.00	1024	33.49
11	वितरण ट्रांसफर्मर का प्रतिस्थापन	संख्या	0	0	0		3174	827	357	45.34
12	कृषि फीडर	संख्या	0	0	0		0	79.08	10.37	13.11
13	नए 33 केवी फीडर लाइन	संख्या	0	0	0	0	119	85	0	0

(स्रोत: जेबीवीएनएल से उपलब्ध सूचना से संकलित)

परिशिष्ट VII

(कंडिका 6.4 में निर्दिष्ट; पृष्ठ 61)

डीडीयुजीजेवाई के अंतर्गत आरईसी को ऋण-घटक पर उच्चतर दर से ब्याज का भुगतान

(राशि ₹ में)

वितरण किस्त	से	तक	दिन	प्रथम भुगतान दिवस	बकाया राशि	आर ओ आई	भारित ब्याज	भारित किया जाना था	अतिरिक्त भारित	ब्याज दण्ड
3	15/03/2019	19/03/2019	5	15/03/2019	14,29,95,000	10	1,95,884	1,86,089	9,794	0
3	28/03/2019	19/06/2019	84	28/03/2019	16,11,07,500	10	37,07,679	35,22,295	1,85,384	0
3	28/03/2019	19/06/2019	84	28/03/2019	11,46,45,000	10	26,38,405	25,06,485	1,31,920	0
3	28/03/2019	19/06/2019	84	28/03/2019	7,62,22,500	10	17,54,162	16,66,454	87,708	0
4	25/06/2019	19/09/2019	87	25/06/2019	3,48,21,000	10	8,29,980	7,88,481	41,499	0
5	09/09/2019	19/09/2019	11	09/09/2019	2,32,14,000	10	69,960	66,462	3,498	0
4	25/06/2019	19/09/2019	87	25/06/2019	4,33,89,000	10	10,34,204	9,82,493	51,710	0
5	09/09/2019	19/09/2019	11	09/09/2019	2,89,26,000	10	87,174	82,816	4,359	0
4	25/06/2019	19/09/2019	87	25/06/2019	7,98,21,000	10	19,02,583	18,07,454	95,129	0
5	09/09/2019	19/09/2019	11	09/09/2019	5,32,14,000	10	1,60,371	1,52,352	8,019	0
4	25/06/2019	19/09/2019	87	25/06/2019	5,46,07,500	10	13,01,603	12,36,523	65,080	0
5	09/09/2019	19/09/2019	11	09/09/2019	3,64,05,000	10	1,09,714	1,04,228	5,486	0
3	20/06/2019	19/09/2019	92	15/03/2019	14,29,95,000	10.8	38,74,577	34,24,045	4,50,532	0
4	19/06/2019	19/09/2019	63	19/06/2019	8,57,97,000	10	14,80,880	14,06,836	74,044	0
4	25/06/2019	19/09/2019	87	25/06/2019	10,64,74,500	10	25,37,885	24,10,991	1,26,894	0
5	09/09/2019	19/09/2019	11	09/09/2019	7,09,83,000	10	2,13,921	2,03,225	10,696	0
4	26/06/2019	19/09/2019	86	26/06/2019	11,83,90,500	10	27,89,475	26,50,001	1,39,474	0
5	09/09/2019	19/09/2019	11	09/09/2019	7,89,27,000	10	2,37,862	2,25,969	11,893	0
4	19/07/2019	19/09/2019	63	19/07/2019	5,30,59,500	10	9,15,822	8,70,030	45,791	0
5	09/09/2019	19/09/2019	11	09/09/2019	3,53,73,000	10	1,06,604	1,01,273	5,330	0
4	19/07/2019	19/09/2019	63	19/07/2019	8,65,71,000	10	14,94,239	14,19,527	74,712	0
5	09/09/2019	19/09/2019	11	09/09/2019	5,77,14,000	10	1,73,933	1,65,236	8,697	0

वितरण किस्त	से	तक	दिन	प्रथम भुगतान दिवस	बकाया राशि	आर ओ आई	भारित ब्याज	भारित किया जाना था	अतिरिक्त भारित	ब्याज दण्ड
4	26/06/2019	19/09/2019	86	26/06/2019	8,74,53,000	10	20,60,536	19,57,510	1,03,027	0
5	09/09/2019	19/09/2019	11	09/09/2019	5,83,02,000	10	1,75,705	1,66,919	8,785	0
4	25/06/2019	19/09/2019	87	25/06/2019	5,62,50,000	10	13,40,753	12,73,716	67,038	0
5	09/09/2019	19/09/2019	11	09/09/2019	3,75,00,000	10	1,13,014	1,07,363	5,651	0
4	25/06/2019	19/09/2019	87	25/06/2019	3,10,63,500	10	7,40,418	7,03,397	37,021	0
5	09/09/2019	19/09/2019	11	09/09/2019	2,07,09,000	10	62,411	59,290	3,121	0
4	25/06/2019	19/09/2019	87	25/06/2019	7,48,80,000	10	17,84,811	16,95,570	89,241	0
5	09/09/2019	19/09/2019	11	09/09/2019	4,99,20,000	10	1,50,444	1,42,922	7,522	0
4	25/06/2019	19/09/2019	87	25/06/2019	4,51,48,500	10	10,76,142	10,22,335	53,807	0
5	09/09/2019	19/09/2019	11	09/09/2019	3,00,99,000	10	90,709	86,174	4,535	0
3	19/07/2019	19/09/2019	63	19/07/2019	12,21,84,000	10	21,08,929	20,03,483	1,05,446	0
4	09/09/2019	19/09/2019	11	09/09/2019	3,05,46,000	10	92,056	87,454	4,603	0
4	19/07/2019	19/09/2019	63	19/07/2019	14,03,19,000	10	24,21,944	23,00,847	1,21,097	0
5	09/09/2019	19/09/2019	11	09/09/2019	9,35,46,000	10	2,81,919	2,67,823	14,096	0
3	20/06/2019	19/09/2019	92	28/03/2019	16,11,07,500	10	40,60,792	38,57,752	2,03,040	0
4	19/07/2019	19/09/2019	63	19/07/2019	9,66,64,500	10	16,68,456	15,85,033	83,423	0
5	09/09/2019	19/09/2019	11	09/09/2019	6,44,43,000	10	1,94,212	1,84,501	9,711	0
3	20/06/2019	19/09/2019	92	28/03/2019	11,46,45,000	10	28,89,682	27,45,198	1,44,484	0
4	19/07/2019	19/09/2019	63	19/07/2019	6,87,87,000	10	11,87,282	11,27,918	59,364	0
5	09/09/2019	19/09/2019	11	09/09/2019	4,58,58,000	10	1,38,202	1,31,292	6,910	0
4	25/06/2019	19/09/2019	87	25/06/2019	3,11,13,000	10	7,41,598	7,04,518	37,080	0
5	09/09/2019	19/09/2019	11	09/09/2019	2,07,42,000	10	62,510	59,385	3,126	0
4	25/06/2019	19/09/2019	87	25/06/2019	11,71,35,000	10	27,91,985	26,52,386	1,39,599	0
5	09/09/2019	19/09/2019	11	09/09/2019	7,80,90,000	10	2,35,340	2,23,573	11,767	0
3	20/06/2019	19/09/2019	92	28/03/2019	7,62,22,500	10	19,21,225	18,25,163	96,061	0
4	19/07/2019	19/09/2019	63	19/07/2019	4,57,33,500	10	7,89,373	7,49,904	39,469	0
5	09/09/2019	19/09/2019	11	09/09/2019	3,04,89,000	10	91,885	87,290	4,594	0

वितरण किस्त	से	तक	दिन	प्रथम भुगतान दिवस	बकाया राशि	आर ओ आई	भारित ब्याज	भारित किया जाना था	अतिरिक्त भारित	ब्याज दण्ड
4	19/07/2019	19/09/2019	63	19/07/2019	4,56,07,500	10	7,87,198	7,47,838	39,360	0
5	09/09/2019	19/09/2019	11	09/09/2019	3,04,05,000	10	91,632	87,050	4,582	0
4	19/07/2019	19/09/2019	63	19/07/2019	6,24,46,500	10	10,77,844	10,23,952	53,892	0
5	09/09/2019	19/09/2019	11	09/09/2019	4,16,31,000	10	1,25,463	1,19,190	6,273	0
4	20/09/2019	19/12/2019	91	25/06/2019	3,48,21,000	10	8,68,140	8,24,733	43,407	0
5	20/09/2019	19/12/2019	91	09/09/2019	2,32,14,000	10	5,78,760	5,49,822	28,938	0
4	20/09/2019	19/12/2019	91	25/06/2019	4,33,89,000	10	10,81,753	10,27,665	54,088	0
5	20/09/2019	19/12/2019	91	09/09/2019	2,89,26,000	10	7,21,169	6,85,110	36,058	0
4	20/09/2019	19/12/2019	91	25/06/2019	7,98,21,000	10	19,90,058	18,90,555	99,503	0
5	20/09/2019	19/12/2019	91	09/09/2019	5,32,14,000	10	13,26,705	12,60,370	66,335	0
4	20/09/2019	19/12/2019	91	25/06/2019	5,46,07,500	10	13,61,447	12,93,375	68,072	0
5	20/09/2019	19/12/2019	91	09/09/2019	3,64,05,000	10	9,07,632	8,62,250	45,382	0
3	20/09/2019	19/12/2019	91	15/03/2019	14,29,95,000	10.8	38,32,462	33,86,827	4,45,635	0
4	20/09/2019	19/12/2019	91	19/07/2019	8,57,97,000	10	21,39,048	20,32,096	1,06,952	0
4	20/09/2019	19/12/2019	91	25/06/2019	10,64,74,500	10	26,54,570	25,21,841	1,32,728	0
5	20/09/2019	19/12/2019	91	09/09/2019	7,09,83,000	10	17,69,713	16,81,227	88,486	0
4	20/09/2019	19/12/2019	91	26/06/2019	11,83,90,500	10	29,51,654	28,04,071	1,47,583	0
5	20/09/2019	19/12/2019	91	09/09/2019	7,89,27,000	10	19,67,769	18,69,381	98,388	0
4	20/09/2019	19/12/2019	91	19/07/2019	5,30,59,500	10	13,22,853	12,56,711	66,143	0
5	20/09/2019	19/12/2019	91	09/09/2019	3,53,73,000	10	8,81,902	8,37,807	44,095	0
4	20/09/2019	19/12/2019	91	19/07/2019	8,65,71,000	10	21,58,345	20,50,428	1,07,917	0
5	20/09/2019	19/12/2019	91	09/09/2019	5,77,14,000	10	14,38,897	13,66,952	71,945	0
4	20/09/2019	19/12/2019	91	26/06/2019	8,74,53,000	10	21,80,335	20,71,318	1,09,017	0
5	20/09/2019	19/12/2019	91	09/09/2019	5,83,02,000	10	14,53,557	13,80,879	72,678	0
4	20/09/2019	19/12/2019	91	25/06/2019	5,62,50,000	10	14,02,397	13,32,277	70,120	0
5	20/09/2019	19/12/2019	91	09/09/2019	3,75,00,000	10	9,34,932	8,88,185	46,747	0
4	20/09/2019	19/12/2019	91	25/06/2019	3,10,63,500	10	7,74,460	7,35,737	38,723	0

वितरण किस्त	से	तक	दिन	प्रथम भुगतान दिवस	बकाया राशि	आर ओ आई	भारित ब्याज	भारित किया जाना था	अतिरिक्त भारित	ब्याज दण्ड
5	20/09/2019	19/12/2019	91	09/09/2019	2,07,09,000	10	5,16,307	4,90,491	25,815	0
4	20/09/2019	19/12/2019	91	25/06/2019	7,48,80,000	10	18,66,871	17,73,528	93,344	0
5	20/09/2019	19/12/2019	91	09/09/2019	4,99,20,000	10	12,44,581	11,82,352	62,229	0
4	20/09/2019	19/12/2019	91	25/06/2019	4,51,48,500	10	11,25,620	10,69,339	56,281	0
5	20/09/2019	19/12/2019	91	09/09/2019	3,00,99,000	10	7,50,413	7,12,893	37,521	0
3	20/09/2019	19/12/2019	91	19/07/2019	12,21,84,000	10	30,46,231	28,93,920	1,52,312	0
4	20/09/2019	19/12/2019	91	09/09/2019	3,05,46,000	10	7,61,558	7,23,480	38,078	0
4	20/09/2019	19/12/2019	91	19/07/2019	14,03,19,000	10	34,98,364	33,23,446	1,74,918	0
5	20/09/2019	19/12/2019	91	09/09/2019	9,35,46,000	10	23,32,243	22,15,631	1,16,612	0
3	20/09/2019	19/12/2019	91	28/03/2019	16,11,07,500	10	40,16,653	38,15,820	2,00,833	0
4	20/09/2019	19/12/2019	91	19/07/2019	9,66,64,500	10	24,09,992	22,89,492	1,20,500	0
5	20/09/2019	19/12/2019	91	09/09/2019	6,44,43,000	10	16,06,661	15,26,328	80,333	0
3	20/09/2019	19/12/2019	91	28/03/2019	11,46,45,000	10	28,58,273	27,15,359	1,42,914	0
4	20/09/2019	19/12/2019	91	19/07/2019	6,87,87,000	10	17,14,964	16,29,215	85,748	0
5	20/09/2019	19/12/2019	91	09/09/2019	4,58,58,000	10	11,43,309	10,86,144	57,165	0
4	20/09/2019	19/12/2019	91	25/06/2019	3,11,13,000	10	7,75,694	7,36,909	38,785	0
5	20/09/2019	19/12/2019	91	09/09/2019	2,07,42,000	10	5,17,129	4,91,273	25,856	0
4	20/09/2019	19/12/2019	91	25/06/2019	11,71,35,000	10	29,20,352	27,74,334	1,46,018	0
5	20/09/2019	19/12/2019	91	09/09/2019	7,80,90,000	10	19,46,901	18,49,556	97,345	0
3	20/09/2019	19/12/2019	91	28/03/2019	7,62,22,500	10	19,00,342	18,05,325	95,017	0
4	20/09/2019	19/12/2019	91	19/07/2019	4,57,33,500	10	11,40,205	10,83,195	57,010	0
5	20/09/2019	19/12/2019	91	09/09/2019	3,04,89,000	10	7,60,137	7,22,130	38,007	0
4	20/09/2019	19/12/2019	91	19/07/2019	4,56,07,500	10	11,37,064	10,80,211	56,853	0
5	20/09/2019	19/12/2019	91	09/09/2019	3,04,05,000	10	7,58,042	7,20,140	37,902	0
4	20/09/2019	19/12/2019	91	19/07/2019	6,24,46,500	10	15,56,885	14,79,041	77,844	0
5	20/09/2019	19/12/2019	91	09/09/2019	4,16,31,000	10	10,37,924	9,86,027	51,896	0
4	20/12/2019	19/03/2020	91	25/06/2019	3,48,21,000	10	8,68,140	8,24,733	43,407	3,140

वितरण किस्त	से	तक	दिन	प्रथम भुगतान दिवस	बकाया राशि	आर ओ आई	भारित ब्याज	भारित किया जाना था	अतिरिक्त भारित	ब्याज दण्ड
5	20/12/2019	19/03/2020	91	09/09/2019	2,32,14,000	10	5,78,760	5,49,822	28,938	2,093
4	20/12/2019	19/03/2020	91	25/06/2019	4,33,89,000	10	10,81,753	10,27,665	54,088	3,912
5	20/12/2019	19/03/2020	91	09/09/2019	2,89,26,000	10	7,21,169	6,85,110	36,058	2,608
4	20/12/2019	19/03/2020	91	25/06/2019	7,98,21,000	10	19,90,058	18,90,555	99,503	7,197
5	20/12/2019	19/03/2020	91	09/09/2019	5,32,14,000	10	13,26,705	12,60,370	66,335	4,798
4	20/12/2019	19/03/2020	91	25/06/2019	5,46,07,500	10	13,61,447	12,93,375	68,072	4,924
5	20/12/2019	19/03/2020	91	09/09/2019	3,64,05,000	10	9,07,632	8,62,250	45,382	3,282
3	20/12/2019	19/03/2020	91	15/03/2019	14,29,95,000	10.8	38,32,462	33,86,827	4,45,635	13,860
4	20/12/2019	19/03/2020	91	19/07/2019	8,57,97,000	10	21,39,048	20,32,096	1,06,952	7,736
4	20/12/2019	19/03/2020	91	25/06/2019	10,64,74,500	10	26,54,570	25,21,841	1,32,728	9,600
5	20/12/2019	19/03/2020	91	09/09/2019	7,09,83,000	10	17,69,713	16,81,227	88,486	6,400
4	20/12/2019	19/03/2020	91	26/06/2019	11,83,90,500	10	29,51,654	28,04,071	1,47,583	10,674
5	20/12/2019	19/03/2020	91	09/09/2019	7,89,27,000	10	19,67,769	18,69,381	98,388	7,116
4	20/12/2019	19/03/2020	91	19/07/2019	5,30,59,500	10	13,22,853	12,56,711	66,143	4,784
5	20/12/2019	19/03/2020	91	09/09/2019	3,53,73,000	10	8,81,902	8,37,807	44,095	3,189
4	20/12/2019	19/03/2020	91	19/07/2019	8,65,71,000	10	21,58,345	20,50,428	1,07,917	7,806
5	20/12/2019	19/03/2020	91	09/09/2019	5,77,14,000	10	14,38,897	13,66,952	71,945	5,204
4	20/12/2019	19/03/2020	91	26/06/2019	8,74,53,000	10	21,80,335	20,71,318	1,09,017	7,885
5	20/12/2019	19/03/2020	91	09/09/2019	5,83,02,000	10	14,53,557	13,80,879	72,678	5,257
4	20/12/2019	19/03/2020	91	25/06/2019	5,62,50,000	10	14,02,397	13,32,277	70,120	5,072
5	20/12/2019	19/03/2020	91	09/09/2019	3,75,00,000	10	9,34,932	8,88,185	46,747	3,381
4	20/12/2019	19/03/2020	91	25/06/2019	3,10,63,500	10	7,74,460	7,35,737	38,723	2,801
5	20/12/2019	19/03/2020	91	09/09/2019	2,07,09,000	10	5,16,307	4,90,491	25,815	1,867
4	20/12/2019	19/03/2020	91	25/06/2019	7,48,80,000	10	18,66,871	17,73,528	93,344	6,751
5	20/12/2019	19/03/2020	91	09/09/2019	4,99,20,000	10	12,44,581	11,82,352	62,229	4,501
4	20/12/2019	19/03/2020	91	25/06/2019	4,51,48,500	10	11,25,620	10,69,339	56,281	4,071
5	20/12/2019	19/03/2020	91	09/09/2019	3,00,99,000	10	7,50,413	7,12,893	37,521	2,714

वितरण किस्त	से	तक	दिन	प्रथम भुगतान दिवस	बकाया राशि	आर ओ आई	भारित ब्याज	भारित किया जाना था	अतिरिक्त भारित	ब्याज दण्ड
3	20/12/2019	19/03/2020	91	19/07/2019	12,21,84,000	10	30,46,231	28,93,920	1,52,312	11,017
4	20/12/2019	19/03/2020	91	09/09/2019	3,05,46,000	10	7,61,558	7,23,480	38,078	2,754
4	20/12/2019	19/03/2020	91	19/07/2019	14,03,19,000	10	34,98,364	33,23,446	1,74,918	12,652
5	20/12/2019	19/03/2020	91	09/09/2019	9,35,46,000	10	23,32,243	22,15,631	1,16,612	8,434
3	20/12/2019	19/03/2020	91	28/03/2019	16,11,07,500	10	40,16,653	38,15,820	2,00,833	14,526
4	20/12/2019	19/03/2020	91	19/07/2019	9,66,64,500	10	24,09,992	22,89,492	1,20,500	8,716
5	20/12/2019	19/03/2020	91	09/09/2019	6,44,43,000	10	16,06,661	15,26,328	80,333	5,810
3	20/12/2019	19/03/2020	91	28/03/2019	11,46,45,000	10	28,58,273	27,15,359	1,42,914	10,337
4	20/12/2019	19/03/2020	91	19/07/2019	6,87,87,000	10	17,14,964	16,29,215	85,748	6,202
5	20/12/2019	19/03/2020	91	09/09/2019	4,58,58,000	10	11,43,309	10,86,144	57,165	4,135
4	20/12/2019	19/03/2020	91	25/06/2019	3,11,13,000	10	7,75,694	7,36,909	38,785	2,805
5	20/12/2019	19/03/2020	91	09/09/2019	2,07,42,000	10	5,17,129	4,91,273	25,856	1,870
4	20/12/2019	19/03/2020	91	25/06/2019	11,71,35,000	10	29,20,352	27,74,334	1,46,018	10,561
5	20/12/2019	19/03/2020	91	09/09/2019	7,80,90,000	10	19,46,901	18,49,556	97,345	7,041
3	20/12/2019	19/03/2020	91	28/03/2019	7,62,22,500	10	19,00,342	18,05,325	95,017	6,872
4	20/12/2019	19/03/2020	91	19/07/2019	4,57,33,500	10	11,40,205	10,83,195	57,010	4,123
5	20/12/2019	19/03/2020	91	09/09/2019	3,04,89,000	10	7,60,137	7,22,130	38,007	2,749
4	20/12/2019	19/03/2020	91	19/07/2019	4,56,07,500	10	11,37,064	10,80,211	56,853	4,112
5	20/12/2019	19/03/2020	91	09/09/2019	3,04,05,000	10	7,58,042	7,20,140	37,902	2,741
4	20/12/2019	19/03/2020	91	19/07/2019	6,24,46,500	10	15,56,885	14,79,041	77,844	5,630
5	20/12/2019	19/03/2020	91	09/09/2019	4,16,31,000	10	10,37,924	9,86,027	51,896	3,754
								कुल	**11717524**	**289464**
								ब्याज दण्ड सहित कुल योग		**12006988**

(स्रोत: जेबीवीएनएल मुख्यालय के संलेख)

परिशिष्ट VIII

(कंडिका 7.1.1 में निर्दिष्ट; पृष्ठ 66)

आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना) के अंतर्गत बोकारो, धनबाद एवं गिरिडीह में एनविल केबल्स एवं शिखा इलेक्ट्रिकल के संयुक्त उद्यम द्वारा समर्पित तकनीकी मानदंडों के संगत न्यूनतम तकनीकी मानदंड को दर्शाती विवरणी

विवरणी	इकाई	आवश्यक न्यूनतम तकनीकी मानदंड			समर्पित और टीईसी द्वारा जेवी के सभी तीन जिलों के लिए मान्य तकनीकी मानदंड		जेवी में हिस्सेदारी के आधार पर आनुपातिक योग्यता मानदंड
		धनबाद	गिरिडीह	बोकारो	एनविल केबल	शिखा ईलेक्ट्रिकल स्टोर्स	
पीएसएस/ जीएसएस	संख्या	दो पीएसएस या एक जीएसएस	दो पीएसएस या एक जीएसएस	दो पीएसएस या एक जीएसएस	0	दो पीएसएस	0.4 यथा एक से कम पीएसएस (0∗80 *प्रतिशत*+2∗20 *प्रतिशत*)
लाइन की लम्बाई	किमी	37.3	64.297	66.171	0	222.55	44.51 किमी यथा, (0∗80 *प्रतिशत* +222.55∗20 *प्रतिशत*)
डीटीआर क्षमता	संख्या	141	204	228	0	261	52.2 *यथा* 53 से कम (0∗80 *प्रतिशत* +261∗20 *प्रतिशत*)

(स्रोत: जेबीवीएनएल मुख्यालय के संलेख)

परिशिष्ट IX

(कंडिका 7.1.2 में निर्दिष्ट; पृष्ठ 68)

साहिबगंज जिले के सन्दर्भ में आईएलएफएस के द्वारा समर्पित तकनीकी मानदंडों के संगत न्यूनतम तकनीकी मानदंड को दर्शाती विवरणी

तकनीकी					वाणिज्यिक	
कार्यक्षेत्र	लाईन (ईएचटी + 33 केवी + 11 केवी + एलटी) (सर्किट किमी)	समर्पित लाईन अनुभव (सर्किट किमी) (प्रतिशत)	ट्रांसफोरमेशन क्षमता (पीटीआर +डीटीआर) (एमवीए)	समर्पित ट्रांसफोरमेशन क्षमता (एमवीए) (प्रतिशत)	राशि (करोड़ में)	समर्पित (प्रतिशत)
100 प्रतिशत कार्यक्षेत्र	**7503**		**415**		**2362.63**	
50 प्रतिशत कार्यक्षेत्र (एकल टर्न-की अनुबंध के मामले में)	3751.5	1978.40 (53)	207.5	83.5 (40)	1181.32	115.732 (10)
40 प्रतिशत कार्यक्षेत्र (दो टर्न-की अनुबंध के मामले में)	3001.2	1748.00 (58)	166	41.55 (25)	945.05	115.732 & 99.225 (23)
30 प्रतिशत कार्यक्षेत्र (तीन टर्न-की अनुबंध के मामले में)	2250.9	61.68 (03)	124.5	120 (96)	708.79	115.732, 99.225 & 95.03 (44)

(स्रोत: जेबीवीएनएल मुख्यालय के संलेख)

परिशिष्ट X

(कंडिका 7.1.2 में निर्दिष्ट; पृष्ठ 68)

पश्चिमी सिंहभूम तथा पूर्वी सिंहभूम जिले के सन्दर्भ में आईएलएफएस के द्वारा समर्पित तकनीकी मानदंडों के संगत न्यूनतम तकनीकी मानदंड को दर्शाती विवरणी

तकनीकी					वाणिज्यिक	
कार्यक्षेत्र	**लाईन (ईएचटी + 33 केवी + 11 केवी + एलटी) (सर्किट किमी)**	**समर्पित लाईन अनुभव (सर्किट किमी) (प्रतिशत)**	**ट्रांसफोर्मेशन क्षमता (पीटीआर +डीटीआर) (एमवीए)**	**समर्पित ट्रांसफोर्मेशन क्षमता (एमवीए) (प्रतिशत)**	**राशि (करोड़ में)**	**समर्पित (प्रतिशत)**
100 प्रतिशत कार्यक्षेत्र	**3211.18**		**203.45**		**358.56**	
50 प्रतिशत कार्यक्षेत्र (एकल टर्न-की अनुबंध के मामले में)	1605.59	2500.38 (156)	101.725	31.116 (31)	179.28	130.88 (73)
40 प्रतिशत कार्यक्षेत्र (दो टर्न-की अनुबंध के मामले में)	1284.472	1978.38 (154)	81.38	83.503 (103)	143.42	69.08 (48)
30 प्रतिशत कार्यक्षेत्र (तीन टर्न-की अनुबंध के मामले में)	963.354		61.035		107.57	
संवेदक न्यूनतम मानदंड पूरा नहीं किया परंतु अधूरे काम के अनुभव के आधार पर कार्य आवंटित किया गया।						

(स्रोत: जेबीवीएनएल मुख्यालय के संलेख)

परिशिष्ट XI

(कंडिका 7.2 में निर्दिष्ट; पृष्ठ 74)

पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, साहिबगंज तथा पाकुड़ पैकेजों में मूल्य-वृद्धि को दर्शाती विवरणी

₹ करोड़ में

क्र.स.	पैकेज का नाम	टीकेसी का नाम	परियोजना की आवंटित लागत	2014/15 के एसओआर के आधार पर स्वीकृत लागत	एसओआर 2018/19 के आधार पर लागत	पूर्ण कार्य	स्वीकृत लागत के विरुद्ध शेष बचे कार्य	स्वीकृत डीपीआर 2018-19 के आधार पर शेष बचे कार्य वर्तमान लागत	आरईसी द्वारा स्वीकृत अतिरिक्त डीपीआर	पुनर्निविदा	निविदा की स्वीकृत लागत	पैकेजवार कुल लागत	2018/19 एसओआर के आधार पर मूल्य वृद्धि
1	2	3	4	5	6	7	8=(5-7)	9	10	11	12	13=(8+10)	15=(9-8)
1	पूर्वी सिंहभूम	मेसर्स आईएलएफएस इंजीनियरिंग एवं कंस्ट्रकशन कंपनी लिमिटेड	169.27	151.88	206.93	16.95	134.93	189.98	0.00	पैकेज/I सनसिटी ईंटरप्राईजेज	71.22	134.93	55.05
										पैकेज 2/ एनविल केबल प्रा॰ लि॰	63.71		
2	पश्चिमी सिंहभूम	मेसर्स आईएलएफएस इंजीनियरिंग एवं कंस्ट्रकशन कंपनी लिमिटेड	232.39	206.68	397.22	31.89	174.79	365.33	79.06	पैकेज /1 एनविल केबल प्रा॰ लि॰	63.83	253.85	190.54
										पैकेज /2 गोपीकृष्णा इनफ्रास्ट्रक्चर	65.91		
										पैकेज /3 एकचक्र इलेक्ट्रिकल वर्क्स	58.33		
										पैकेज /4 गोपीकृष्णा इनफ्रास्ट्रक्चर	65.78		
3	साहिबगंज	मेसर्स आईएलएफएस इंजीनियरिंग एवं कंस्ट्रकशन कंपनी लिमिटेड	222.70	101.52	217.74	26.56	74.96	179.79	41.13	पैकेज 1/ जैकसन लिमिटेड	57.12	116.09	104.83
										पैकेज /2 जैकसन लिमिटेड	58.97		
4	पाकुड़	मेसर्स आईएलएफएस इंजीनियरिंग एवं कंस्ट्रकशन कंपनी लिमिटेड		101.80	138.07	26.56	75.24	98.88	14.87	पैकेज 1/गोपीकृष्णा इनफ्रास्ट्रक्चर	90.11	90.11	23.64
कुल			**624.36**	**561.88**	**959.96**	**101.96**	**459.92**	**833.98**	**135.06**		**594.98**	**594.98**	**374.06**

(स्रोत: जेबीवीएनएल मुख्यालय के संलेख)

परिशिष्ट XII

(कंडिका 7.3 में निर्दिष्ट; पृष्ठ 76)

सौभाग्या के कार्य-क्षेत्र के संगत उपलब्धि

ईएससी का नाम	कार्यादेश का संख्या	राशि (करोड़ में)	डीओएफपी के अंतर्गत कार्यादेश की संख्या	राशि (करोड़ में)	डीओएफपी के अंतर्गत लाने के लिए विभाजित किए गए कार्यादेश की संख्या	राशि (करोड़ में)	डीओएफपी के ऊपर कार्यादेश की संख्या	राशि (करोड़ में)	इकरारनामा किया गया	बिना प्रतिभूति राशि जमा कराए इकरारनामा किया गया	कम प्रतिभूति राशि जमा करके इकरारनामा किया गया
राँची	46	14.18	40	8.25	10	2.25	6	5.93	53	12	0
गिरिडीह	19	13.61	8	2.19	3	0.58	11	11.43	10	4	0
देवघर	16	5.94	16	5.94	14	5.34	0	0	5	1	4
धनबाद	28	5.58	28	5.58	22	4.74	0	0	12	11	0
पाकुड़	2	1.65	1	0.15	0	0	1	1.50	1	0	0
पलामू	10	2.85	10	2.85	5	1.5	0	0	10	0	10
दुमका	5	1.35	5	1.35	0	0	0	0	5	3	1
कुल	**126**	**45.16**	**108**	**26.31**	**54**	**14.41**	**18**	**18.86**	**96**	**31**	**15**

(स्रोत: ईएससी के संलेख)

परिशिष्ट XIII

(कंडिका 7.4.2 में निर्दिष्ट; पृष्ठ 81)

जेएसबीएवाई के कार्यक्षेत्र के संगत उपलब्धि

ईएससी का नाम	कार्यादेश का संख्या	राशि (करोड़ में)	डीओएफपी के अंतर्गत कार्यादेश की संख्या	राशि (करोड़ में)	डीओएफपी के अंतर्गत लाने के लिए विभाजित किए गए कार्यादेश की संख्या	राशि (करोड़ में)	डीओएफपी के ऊपर कार्यादेश की संख्या	राशि (करोड़ में)	इकरारनामा किया गया	बिना प्रतिभूति राशि जमा किए इकरारनामा किया गया	कम प्रतिभूति राशि जमा करके आर इकरारनामा किया गया
राँची	56	5.83	56	5.83	0	0	0	0	43	0	8
गिरिडीह	10	7.78	2	0.48	0	0	8	7.30	3		0
देवघर	45	18.22	43	14.98	40	15.97	2	3.24	15	0	15
धनबाद	35	8.63	35	8.63	25	6.49	0	0	25	25	0
पाकुड़	4	1.04	4	1.04	2	0.57	0	0	0	0	0
पलामू	6	0.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दुमका	6	1.92	6	1.92	6	1.92	0	0	6	0	6
कुल	**162**	**43.43**	**146**	**32.88**	**73**	**24.95**	**10**	**10.54**	**92**	**25**	**29**

(स्रोत: ईएससी के संलेख)

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/ag/jharkhand/hi